

सितम्बर 2021

साथ की खुशी:

भारत में

एल०जी०बी०टी०क्यू०आई०

लोगों और उनके बीच

सम्बन्धों के कानूनी

और नीतिगत मामले

सेंटर फॉर हेल्थ इक्विटी, लॉ एंड पॉलिसी अनुसंधान, ज्ञान उत्पादन और वकालत करने का एक मंच है, जो स्वास्थ्य सम्बन्धी कानूनी और नीतिगत मुद्दों पर काम करता है। उसका कार्य भारत के संवैधानिक ढांचे और उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप ढाले गए स्वास्थ्य के अधिकार में समाहित है।

लेखक

सूरज सनप, विवेक दिवान, उन्मुक्त गेरा

अनुवादक: चित्तजीत मित्रा

सम्पादक: धर्मेश चौबे

निरीक्षक: टीनेश चोपड़े

कॉपीराइट © इंडियन लॉ सोसाइटी 2021

सभी अधिकार सुरक्षित हैं।

सम्पर्क करें:

contact@c-help.org

चेतावनी:

ज़रूरी नहीं कि इस प्रकाशन में प्रस्तुत किये गए विचार सेंटर फॉर हेल्थ इक्विटी, लॉ एंड पॉलिसी या इंडियन लॉ सोसाइटी के विचारों को व्यक्त करते हों।

सेंटर फॉर हेल्थ इक्विटी, लॉ एंड पॉलिसी

इंडियन लॉ सोसाइटी

लॉ कॉलेज रोड

पुणे 411004

महाराष्ट्र, भारत

विषय-सूची

भूमिका

1. कानून से सम्बन्ध.....

1.1 संक्षिप्त में नीति के उद्देश्य

1.2 मान्यता की मांग

1.3 न्यायिक उपचार की मांग

2. कानूनी विकास

2.1 परिवर्तनकारी संवैधानिकता

2.2 जेंडर, यौनिकता और संवैधानिक कानून

2.3 प्रत्यक्ष रूप से तटस्थ कानूनों के अप्रत्यक्ष भेदभाव या असमान प्रभाव पर न्यायशास्त्र का विकास

2.4 सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को समावेशी बनाना

I. स्वास्थ्य सेवा

II. संरक्षण

III. सामाजिक सुरक्षा

IV. संपत्ति के अधिकार

V. आवास

VI. संरक्षकता, दत्तक ग्रहण और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी

VII. श्रम कानूनों में भागीदार लाभ

3. कानून में वैकल्पिक हस्तक्षेप

3.1 मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत प्रत्यक्ष समावेशन

3.2 कानून में अनिवार्य विषमलैंगिकता, एकविवाह और संयुग्मता की सैद्धांतिक अवधारणाओं को चुनौती

3.3 भेदभाव विरोधी कानून

4. निष्कर्ष

खुशियों का साथ: भारत में एल०जी०बी०टी०क्यू०आई० लोगों और उनके बीच सम्बन्धों के कानूनी और नीतिगत मामले

ये दस्तावेज़ सलीम किदवई की स्मृति को समर्पित है जो एक विश्वसनीय, समावेशी, उदार और सम्मानित क्वीयर नायक और मित्र थे।

परिचय

क्वीयर रिश्तों की कानूनी मान्यता सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और नागरिक अधिकारों के आपसी संबंधों और इन्हें हासिल करने के लिए क्वीयर समुदाय के अविभाजित संघर्ष में स्थित है। रिश्तों की यह कानूनी मान्यता तमाम अधिकारों तक पहुंच को सीधे-सीधे नियंत्रित करती है, जिसमें स्वास्थ्य, आवास, सम्पत्ति, रख-रखाव, संरक्षण, गोद लेने और ऐसे ही अन्य अधिकार शामिल हैं।

इसे ध्यान में रखते हुए सेंटर फॉर हेल्थ इक्विटी, लॉ और पॉलिसी का यह विचार है कि ऐसा कोई भी हस्तक्षेप जो कानूनी मान्यता प्राप्त करना चाहता है, उसका मूल सिद्धांत यह होना चाहिए कि क्वीयर समुदाय के हर व्यक्ति तक सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की समान पहुंच सुनिश्चित हो सके। और इस शोध में सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारा मार्गदर्शक सिद्धान्त होना चाहिए। इससे हम उन मान्यताओं को चुनौती दे सकते हैं जो अधिकारों तक पहुंच के लिए रिश्तों की स्थिति के आधार पर निर्भर होते हैं, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर, जहां भी संभव हो वहां, रिश्तों की स्थिति पर ध्यान ना देते हुए, हम अधिकारों की सार्वभौमिकता की मांग कर सकते हैं।

न्याय और कानून से सम्बंधित विमर्शों ने गैर-बराबरी और असमानता से लड़ने के लिए आवश्यक विचार व्यक्त किये हैं। मान्यता, प्रतिनिधित्व और पुनर्वितरण के विचार आर्थिक न्याय के साथ-साथ कानून में औपचारिक समानता की मांगों के लिए एक साझी प्रतिक्रिया बनाना सिखाते हैं। परिवर्तनकारी संवैधानिकता हमें कानून की एक महत्वपूर्ण समझ देती है जिसमें समानता की पारंपरिक सोच और भेदभाव-विरोधी भावना के साथ सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की महत्ता शामिल है।

यह शोध इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर लिखा गया है। इसका उद्देश्य क्वीयर समुदाय तक जानकारी पहुंचाना तथा कानून और नीति में उन बदलावों के लिए चर्चा करने के साथ सहयोग विकसित करना है जो क्वीयर लोगों तक उनके तमाम सामाजिक और आर्थिक अधिकार पहुंचाने में कारगर हों। अपराध के दायरे से बाहर होने के लिए लंबे अरसे से

चले आ रहे क्वीयर संघर्ष के संगठित प्रयास के बाद ही भारतीय कोर्ट में क्वीयर व्यक्तियों को अपना मुकाम मिला है। इन प्रयासों की तार्किक प्रकृति समुदाय को सशक्त बनाने और उसमें एकजुटता का भाव भरने में अहम रही है। सी-हेल्प आशा करते हैं कि इस शोध में प्रस्तुत किये गए परिप्रेक्ष्य क्वीयर आज़ादी के लिए समावेशी समीक्षात्मक चिंतन को आगे बढ़ाने में कारगर सिद्ध होंगे।

1. कानून से संबंध

1.1 संक्षिप्त में नीति के उद्देश्य

1.1.1 भारत में समलैंगिकता के अपराधीकरण के कानून को पलटने के लिए तीन दशक का कानूनी प्रयास हुआ जिसकी शुरुआत *एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन* द्वारा 1994 में दिल्ली हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करने से हुई¹ थी, जिसके बाद समुदाय के नेतृत्व में निरंतर प्रयास किये गए² जिससे *नाज़ फाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार* के केस³ में एक महत्वपूर्ण निर्णय आया और 2018 में *नवतेज सिंह जोहर और अन्य बनाम भारत सरकार ('नवतेज')*⁴ के केस में आखिरकार इस मुद्दे पर विराम लगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की बेंच ने *नवतेज* में सहमति से निजी स्थान पर वयस्कों द्वारा सम्बन्ध बनाये जाने को आपराधिक घोषित करने वाले भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 377 को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(क) और 21 का हनन माना और यह निर्णय दिया कि लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और उनके यौनिकता और जेंडर के आधार पर भेदभाव से आज़ादी का अधिकार है।

1.1.2 इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में *राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण बनाम भारत सरकार* (नालसा) में एक और ऐतिहासिक निर्णय दिया जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को खुद का जेंडर तय करने के अधिकार को मान्यता दी, और केंद्र तथा राज्य सरकारों को ये आदेश दिया कि वे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खुद के जेंडर को पुरुष, स्त्री या ट्रांसजेंडर (इसमें तीसरा जेंडर या *हिजड़ा* समुदाय भी शामिल हैं) बताने को कानूनी मान्यता दें। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15(4), 16(4), 19 और 21 के तहत सरकारों को तमाम निर्देश दिए जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का संरक्षण, सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एस०ई०बी०सी०) मान कर आरक्षण देना और लक्षित स्वास्थ्य सुविधाएं देना, तमाम दूसरे अधिकारों के साथ शामिल है।

1.1.3 देश भर के ट्रांस*⁶, इंटरसेक्स और जेंडर नॉन-बाईनरी व्यक्तियों और समुदायों ने कानून के साथ काम करने के रास्ते बनाए हैं जिससे समान और न्यायपूर्ण तरीके से संसाधनों, वस्तुओं और सेवाओं के वितरण की

मांग की जा सके। इन प्रयासों में खासकर *नालसा* निर्णय में दिए गए आदेशों का पालन राज्य और केंद्र सरकार करे, सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में आरक्षण लागू हो⁸, चुनाव लड़ने⁹, रोजगार¹⁰ और शिक्षा¹¹ तक पहुंच बने, इंटरसेक्स होने की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में भेदभाव का सामना ना करना पड़े¹², खाद्य सुरक्षा¹³ और आश्रय घर¹⁴ तक पहुंच बन सके, आदि पर खास ध्यान दिया गया है, इसके अलावा उन पुलिसिया कानूनों को संवैधानिक चुनौती देने पर भी ध्यान दिया जा रहा है जो खासकर हिजड़ा समुदाय¹⁵ को अपराधी घोषित कर उन्हें निशाना बनाते हैं।

1.1.4 *ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019* ('ट्रांस एक्ट') को लागू करने की विधायी प्रक्रिया में सामुदायिक चर्चा और भीषण आलोचना भी की गई।¹⁶ वर्तमान में इस अधिनियम के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय¹⁷ और कर्नाटक उच्च न्यायालय¹⁸ में ट्रांस समुदाय ने अनेक आपत्तियां दाखिल की हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ये कानून *नालसा* में दिए गए उन प्रगतिशील कानूनों को कमजोर करता है तथा खुद का जेंडर तय करने की आज़ादी और शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के प्रावधान को दरकिनार करता है।

1.1.5 अप्रैल 2019 में मद्रास उच्च न्यायालय ने *अरुण कुमार और अन्य बनाम पंजीकरण महानिरीक्षक और अन्य*⁹ में ये निर्णय दिया कि *हिन्दू विवाह अधिनियम, 1956* के भाग 5 में इस्तेमाल हुए 'वधू' शब्द की परिभाषा में *ट्रांसमहिला* और *ऐसे इंटरसेक्स व्यक्ति जो खुद को महिला बताती हैं* को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए और इसी के साथ इस कानून की व्याख्या से ट्रांस व्यक्तियों को शादी करने का अधिकार मिल गया।

1.1.6 मीडिया में क्वीयर यौनिकता के प्रस्तुतीकरण²⁰ और रोजगार में भेदभाव²¹ के विरुद्ध दर्ज़ किए जा रहे कानूनी दावों के प्रति भी कोर्ट ने संवेदनशीलता दिखाई है।

1.1.7 वर्तमान समय में केरल और दिल्ली उच्च न्यायालय भारत के मौजूदा वैवाहिक कानूनों में विवाह करने के समान अधिकार पर विमर्श कर रहे हैं। पहली रिट याचिका एक पुरुष समलैंगिक जोड़े ने *विशेष विवाह अधिनियम, 1954*²² के तहत जनवरी 2020 में केरल हाई कोर्ट में दायर की है। दिल्ली उच्च न्यायालय में और चार याचिकाएं विचाराधीन हैं, (i) चार हिन्दू क्वीयर व्यक्तियों ने सितंबर 2020 में हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में इसे सम्मिलित करने के लिए याचिका दायर की²³ (ii) एक महिला समलैंगिक जोड़े ने *विशेष विवाह अधिनियम, 1954* के तहत मान्यता प्राप्त करने के लिए अक्टूबर 2020 में याचिका दाखिल की है²⁴ (iii) एक समलैंगिक पुरुष जोड़े ने, जिनमें से एक भारत के विदेशी नागरिक हैं, अमेरिका के कानूनों के हिसाब से वाशिंगटन में शादी की और अक्टूबर 2020 में इसे भारत में *विदेशी विवाह अधिनियम, 1969* के तहत मान्यता

दिलवाने की याचिका दायर की है²⁵ और (iv) चार अन्य व्यक्तियों ने फरवरी 2021 में समलैंगिक विवाह को विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत मान्यता दिलवाने के लिए याचिका दाखिल की है।²⁶

1.1.8 एन्टी-सोडोमी (गुदा मैथुन विरोधी) कानून को संवैधानिक चुनौती देने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई उसकी एक आलोचना यह है कि इससे क्वीयर समुदाय की बहुआयामी सामाजिक तथा कानूनी चुनौतियां केवल एक मुद्दे तक सीमित हो गईं²⁷। यह कहा गया है कि समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाले कानून के खिलाफ चल रही लड़ाई ने भीख मांगने और यौन कर्म के अपराधीकरण जैसे श्रमिक वर्ग के लोगों और दलित क्वीयर समुदाय के उन जरूरी मुद्दों को दबा दिया है जिससे वो पुलिसिया कानूनों के चलते प्रताड़ित हैं। ये समुदाय कानून में लैंगिकता और जेंडर की चुनौतियों के अलावा जाति और वर्ग की चुनौतियों से भी जूझते हैं।

1.1.9 इस परिप्रेक्ष्य में परिवर्तनकारी संविधानवाद के जरिए क्वीयर रिश्तों को कानूनी मान्यता दिलवाने से यह लाभ है कि समानता पाने और भेदभाव को दूर करने के लिए सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को केंद्र में रखा जा सकेगा। ऐसी समझ, मान्यता और पुनर्वितरण की उन मांगों में नज़र आती है जिनमें यह मांग की जाती है कि किसी रिश्ते या शादी के दर्जे के बावजूद क्वीयर रिश्तों की विधिवत समानता के लिए सामाजिक और आर्थिक अन्याय को भी खत्म करना होगा²⁸। यह रणनीति दर्शाती है कि सिर्फ क्वीयर सम्बन्धों की मान्यता की मांग करने से क्वीयर समुदाय के अधिकारों का संरक्षण तब तक बेहद कम होगा जब तक कि हम उन मांगों के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात ना करें, खास कर समुदाय के उन लोगों के लिए जिनकी और भी लड़ाईयाँ हैं। ऐसे समय में जब क्वीयर समुदाय का एक बड़ा हिस्सा भौतिक कल्याण की चुनौतियों से जूझ रहा हो तब शादी करने की स्वतंत्रता जैसी औपचारिक समानता की मांगें समुदाय द्वारा सहे हुए ऐतिहासिक अन्यायों के सुधार में सिर्फ प्रतीकात्मक ही होंगी।

1.1.10 सेंटर फॉर हेल्थ इक्विटी, लॉ एंड पॉलिसी द्वारा संयोजित एक समुदायिक परामर्श में प्रतिभागियों ने माना कि वैवाहिक स्थिति को उनके सामाजिक और आर्थिक हालात से अलग करने की ज़रूरत है। क्वीयर समुदाय के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता और वकील, जो उन्हें मुश्किल समय पर कानूनी मदद और सहायता प्रदान करते हैं, उन्होंने माना कि सिर्फ रिश्तों को मान्यता मिल जाने से सब कुछ सुधर नहीं जाएगा और एक समुदाय के तौर पर क्वीयर व्यक्तियों को जेंडर, जाति, वर्ग और विकलांगता जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए जो उनके जीवन को और भी हाशिये पर धकेलता है। उन्हें सहायता देने के लिए शेल्टर होम, घर, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, नौकरी के अवसर, कानूनी मदद, इत्यादि जैसे समर्थन प्रणाली बनाई जाए।

1.1.11 इस शोध का उद्देश्य उन मुद्दों को सामने लाना है जो क्वीयर सम्बन्धों को कानूनी मान्यता मिलने के बाद आते हैं और उनके सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों के बारे में प्रस्ताव दिए जाएं जो सम्बन्धों और विवाह के ऊपर निर्भर ना रहें। इसे इस उम्मीद के साथ साझा किया जा रहा है कि इससे क्वीयर समुदाय के भीतर एक बातचीत शुरू होगी कि क्वीयर समुदाय की अलग-अलग मांगों के लिए किन कानूनी रास्तों या बदलावों की ज़रूरत है। ऐसा करते हुए ये शोध क्वीयर एक्टिविस्टों के लेखों और काम को आगे बढ़ाते हुए सरकार की उस नीति पर सवाल करता है, जिस नीति के चलते कई सामाजिक और आर्थिक अधिकार सिर्फ शादी के सम्बंध में बंधे लोगों तक सीमित रह जाते हैं, जिसमें जेंडर की दोहरी समझ, हेट्रोसेक्सुएलिटी (विषमलैंगिकता), दाम्पत्य और एकविवाह की प्रथा जैसे कई दकियानूसी मान्यताओं को आगे किया जाता है।

1.1.12 ये शोध तीन भागों में विभाजित है। पहले भाग में ये देखने की कोशिश की गई है कि ऐतिहासिक रूप से समुदाय ने किन कानूनों के साथ काम किया है जिससे हमें ये पता लगेगा कि क्वीयर संबंधों को कानूनी मान्यता मिलने की क्या स्थिति है। दूसरा भाग, स्वास्थ्य, आवास, रख-रखाव, उत्तराधिकार, संरक्षण, गोद लेने, जोड़ीदार होने के फायदे इत्यादि जैसे मामलों में उठने वाले सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को नियंत्रित करने वाले ऐसे भारतीय कानूनों की पहचान करता है जो लोगों की वैवाहिक स्थिति पर निर्भर होते हैं। इस कानूनी संगठन का मूल्यांकन जेंडर, यौनिकता, समानता और भेदभाव विरोधी कानून के उभरते हुए न्यायशास्त्र के मजबूत ढांचे के द्वारा देखा जाएगा जिससे कि ऐसे अधिकारों को समावेशी और लोगों की वैवाहिक स्थिति पर निर्भर हुए बिना क्वीयर समुदाय के लोगों की पहुँच में लाया जा सके। तीसरा भाग, ऊपर दिए गए उद्देश्यों को कानूनी मान्यता प्राप्त करवाने के लिए क्या रणनीति हो, उसका विश्लेषण करता है।

1.2 मान्यता मिलने की मांग

1.2.1 पहले ये देखना होगा कि क्या क्वीयर समुदाय ने अपने संबंधों को मान्यता दिलाने की कोई मांग रखी है या नहीं, फिर ये देखना होगा कि उस मांग का स्वरूप क्या है और वो सम्बन्ध किस प्रकार के हैं?

1.2.2 एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन (ए०बी०वी०ए०) ने 1991 में ही गे पुरुष, लेस्बियन महिलाओं और हिजड़ा जैसे अन्य "सेक्शुअल अल्पसंख्यकों" के लिए शादी, उत्तराधिकार, गोद लेने और ऐसे अन्य अधिकारों के संरक्षण की बात की थी। अपराध के दायरे से हटाने के अलावा, ए०बी०वी०ए० ने भारत में समलैंगिकता की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट में ध्यानपूर्वक 'विवाह समानता' की मांग को लेकर क्वीयर समुदाय में आम सहमति के अभाव को भी दर्ज किया था।³¹

1.2.3 इस रिपोर्ट में कई ऐसे वाकिए दिए हैं जैसे कि किसी लेस्बियन जोड़े ने अपने सम्बन्ध की मान्यता को कानून के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश की हो। लेस्बियन महिलाओं ने कहा कि अक्सर ये होता है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की वजह से वो आत्महत्या की तरफ प्रेरित होती हैं, कानून में मान्यता ना होने की वजह से जब सम्बन्ध विच्छेद होता है तो ये दिक्कतें आती हैं³²। लेस्बियन संबंधों की मान्यता के अभाव के कारण ही उनके परिवार उन पर पुरुषों से शादी करने के लिए दबाव डाल पाते हैं, जिसकी वजह से उनके पूर्व साथी के पास कोई पर्याप्त उपाय नहीं रहता और वो असुरक्षित महसूस करते हैं³³। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए लेस्बियन महिलाएं ये सुझाव देती हैं कि कानूनी मान्यता से उन्हें एक प्रकार की सामाजिक और आर्थिक परस्पर निर्भरता मिलेगी जिससे वो उनके चुने हुए परिवार बना पाएंगे³⁴।

1.2.4 समलैंगिक, बाईसेक्शुअल और क्वीयर पुरुषों ने बार-बार कहा है कि उनके संबंधों को कानूनी मान्यता ना मिलने की वजह से उन्हें एकल व्यक्ति के रूप में सामाजिक और आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और क्योंकि उन्हें अपने परिवारों से भी अलग कर दिया जाता है तो वे अनायास ही जीवन-यापन के लिए देह व्यापार को चुनते हैं³⁵।

1.2.5 ए०बी०वी०ए० ने भारत में पारिवारिक कानूनों के तहत विवाह को यौन संबंधों के इर्द-गिर्द बनाने के तर्क पर सवाल उठाया और ये मांग की कि जो अपने दोस्तों को परिवार मान कर रहते हैं और यौन सम्बन्ध नहीं बनाते हैं, उन्हें भी परिवार का दर्जा मिले जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का संरक्षण हो³⁶। उन्होंने अपने माँगपत्र में विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में कुछ संशोधन करने की सिफारिश की जिससे लेस्बियन, गे, बाईसेक्शुअल, ट्रांस और इंटरसेक्स व्यक्तियों को अन्य प्रकार के फायदे मिल सकें जैसे कि गोद लेने का अधिकार, साथी के वसीयत का लाभ पाना, विरासत, इत्यादि। इसके अलावा मैत्री करार³⁷ को कानूनी मान्यता देने की बात भी कही गई जिससे क्वीयर लोग आपस में परिवार बना सकें³⁸। भले ही अभी उसे गुजरात में गैर-कानूनी करार कर दिया गया हो पर एक समय में गुजरात में और उसके बाहर भी इसका इस्तेमाल लेस्बियन महिलाएं खुद को संरक्षित करने के लिए किया करती थीं³⁹। भले ही इसकी वैधता पर सवाल उठते रहे हों पर लेस्बियन जोड़े, कानूनी मान्यता की कमी पर इसका इस्तेमाल करती रही हैं⁴⁰।

1.2.6 1999 में नारीवादी, लेस्बियन, बाईसेक्शुअल और ट्रांस महिलाओं के दो संगठनों: स्त्री संगम (जिसे आज लेस्बियनस एंड बाईसेक्शुअल्स इन एक्शन- लेबिया के नाम से जाना जाता है) और फोरम अगेंस्ट ऑप्प्रेशन ऑफ वीमेन ने तीन मांगे रखी थी: (i) अपराध के दायरे से बाहर करना, (ii) भेदभाव का विरोध और (iii) घरेलू साझेदारी के अधिकार⁴¹।

1.2.7 कई संगठनों ने विभिन्न प्रकार के क्वीयर परिवारों के कानूनी मान्यता की महत्ता को सामने रखा है, जैसे कि- एकल माता/पिता परिवार, घरेलू साझेदारी, कई वयस्क लोगों का परिवार (ज़रूरी नहीं कि ये यौन सम्बंध के आधार पर हों) ⁴²। ऐसे परिवारों की मान्यता की मांग का मुख्य उद्देश्य यह है कि कानूनी ढांचे में जेंडर के मुद्दे पर न्याय हो एवं परिवार की समझ और व्यापक बने, जिसमें हेट्रोसेक्सुअल समूह और साथ ही ऐसे क्वीयर व्यक्ति शामिल हों जो शादी के बाहर घरेलू तौर पर रहते हैं परंतु इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि परिवार यौन सम्बन्ध के आधार पर हो⁴³।

1.2.8 विभिन्न प्रकार के क्वीयर परिवारों को कानूनी मान्यता मिलने की मांग का आधार ये है कि इससे अनेक सामाजिक और आर्थिक अधिकार मिलते हैं जो सामान्यतः लोगों की वैवाहिक स्थिति पर निर्भर करता है : आर्थिक अधिकार और साथी के दायित्व, संयुक्त कराधान, संयुक्त बीमा, वृद्धावस्था पेंशन, एकल माता या पिता के लाभ, ऋण/गिरवी आधारित ऋण, सम्पत्ति पर साझा स्वामित्व, उत्तराधिकार, अगर साथी गम्भीर रूप से बीमार हो तो 'निकटतम रिश्तेदार' होने का विशेषाधिकार, मृत्योपरांत मिलने वाले फायदे, बच्चों की देखभाल करने पर मिलने वाले फायदे, बच्चों की अभिरक्षा, गोद लेना, सहायक प्रजनन तकनीकों तक पहुँच और सम्बन्ध द्वि-राष्ट्रीय होने पर आप्रवासन के अधिकार जैसे सामाजिक फायदे शामिल हैं⁴⁴।

1.2.9 2013 में लेबिया ने एक अध्ययन किया जिसमें उन क्वीयर व्यक्तियों से बात की गई जिन्हें जन्म लेने के बाद स्त्री करार किया गया था और फिर कुछ मांगें रखी जिसमें सिविल भागीदारी को सरकार द्वारा कानूनी मान्यता देने की बात कही गयी, जिससे ऐसे समुदाय जिन्हें ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर धकेल दिया गया हो, उन्हें शादीशुदा हेट्रोसेक्सुअल जोड़ों की तरह ही समान अधिकार दिए जाएं, जिसमें सम्पत्ति का अधिकार, संयुक्त बैंक एकाउंट खोलने का अधिकार, साथी के लिए चिकित्सकीय निर्णय लेने का अधिकार और वसीयत में लाभार्थी के रूप में नामित करने का अधिकार शामिल हो⁴⁵।

1.2.10 2018 में क्वीयर, नारीवादी, लेस्बियन, बाईसेक्सुअल और ट्रांस* (एल०बी०टी०) कार्यकर्ताओं ने भारत के विधि आयोग द्वारा यूनिफार्म सिविल कोड (यू०सी०सी०) के बारे में परामर्श प्रक्रिया शुरू करने पर कुछ सुझाव दिए, जैसे कि विभिन्न प्रकार के क्वीयर परिवारों को मान्यता देना, भले ही वो वैवाहिक या यौन सम्बन्ध से ना जुड़े हों और गोद लेने या उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया में जेंडर का ध्यान ना रखा जाना शामिल है। इसके अलावा उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि ऐसे नियम लाये जाएं जिससे यौनिक या पारिवारिक संबंधों से इतर "कानूनी प्रतिनिधि" चुना जा सके जो समय आने पर रहने की व्यवस्था, नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा, कानूनी उत्तराधिकारों का चयन, मरणोपरांत की देखभाल, इत्यादि का ध्यान रख सके और जन्म से जिस परिवार के साथ रहते आये हैं उनकी हिंसा से बच सकें⁴⁶।

1.2.11 2019 की शुरुआत में सम्पूर्णा (ट्रांस, इंटरसेक्स और जेंडर नॉन-बाईनेरी व्यक्तियों का एक संगठन) ने एक अधिकारों से सम्बंधित घोषणा पत्र जारी किया था जिसमें उन्होंने मांग रखी कि जेंडर के विभिन्न पहचानों⁴⁷ को कानूनी मान्यता दी जाए, जिससे जनसंख्या में उनकी भागीदारी दिखे और आगे चल कर उनके लिए सरकार द्वारा नीति और बजट में अलग से जगह दी जाए। सरकार से ट्रांस, इंटरसेक्स और जेंडर नॉन-बाईनेरी लोगों के शादी, प्रजनन के अधिकार, गोद लेने, उत्तराधिकार और अन्य कानूनों⁴⁸ के बारे में बात करना जरूरी है। इस के साथ ही यह भी ध्यान रखे जाने योग्य है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में 'परिवार' की परिभाषा को सिर्फ जन्म, शादी या गोद लिए परिवार तक सीमित करना हिजड़ा घरानों/घरों को नज़रंदाज़ करता है⁴⁹।

1.2.12 एलजीबीटी+ समुदाय को भारत के पारिवारिक कानूनों में जगह देने के लिए क्वीयर कार्यकर्ताओं ने कुछ सुझाव दिए हैं जैसे कि शादी को आर्थिक और भावनात्मक परस्पर निर्भरता का सम्बंध बताना और ये मांग रखी कि कानून में 'परिवार' की परिभाषा में चुने गए परिवारों, जैसे कि हिजड़ा घरानों में गैर-यौन रिश्तों का तंत्र होता है, उन्हें भी मान्यता दी जाए और कानूनी सुधार ऐसे हो जो क्वीयर व्यक्तियों को पारंपरिक परिवार के ढांचे में बंद ना रखें⁵⁰।

1.2.13 एक्टिविस्टों ने आगे ये भी सुझाव दिए कि अंतर-जातीय विवाहों और तमिलनाडु द्वारा ऐतिहासिक रूप से पीड़ित हुए अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक सुरक्षा से सम्बंधित फैसलों से सीखने की ज़रूरत है⁵¹।

1.2.14 ऐतिहासिक तौर पर ये देखा जाता है कि क्वीयर समुदाय की कानून से कुछ निश्चित मांगे हैं जैसे कि, विभिन्न प्रकार के संबंधों को कानूनी मान्यता मिलना, नातेदारी के वे सम्बन्ध जो देखभाल करने और आर्थिक परस्पर निर्भरता पर आधारित हैं और जो जेंडर की दोहरी समझ, अनिवार्य हेट्रोसेक्सुएलिटी, एकविवाह की प्रथा और यौन सम्बन्ध को चुनौती देते हैं⁵²।

1.3 न्यायिक उपचार की मांग

1.3.1 ऐसे क्वीयर व्यक्ति जिन्हें जन्म से ही रिश्तेदारों या किसी अन्य व्यक्तियों से हिंसक प्रतिरोध झेलना पड़ा उन्होंने 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता के 377 अनुभाग को असंवैधानिक घोषित करने के पहले से ही उच्च न्यायालयों का दरवाज़ा खटखटाया था। पर चूंकि कानून के हिसाब से समलैंगिकता जुर्म थी तो 1947 से 2009 तक अधिकतर कानूनी दस्तावेज़ों में क्वीयर व्यक्तियों की सुरक्षा से सम्बंधित केसों में

उनके जेंडर की पहचान या लैंगिकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है⁵³। उस समय खुले तौर पर खुद को गे या लेस्बियन कहना और एक अंतरंग रिश्ते में होना एन्टी-सोडोमी कानून को न्योता देना था। क्वीयरता की अदृश्यता और कोर्ट के समक्ष खुद के सम्बंध के बारे में जानकारी न देने की मुख्य वजह यही थी, जिस कारण कोर्ट ने क्वीयर व्यक्तियों (वयस्क या किशोर) को जन्मजात परिवारों के साथ रहने के निर्णय दिए और खुद की ताकतों का इस्तेमाल नहीं किया।

1.3.2 सुप्रीम कोर्ट द्वारा नालसा जजमेंट (जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को खुद के जेंडर को निर्धारित करने की आज्ञा दी स्वीकार की गई) और नवतेज जजमेंट (जिसमें समलैंगिकता के अपराधीकरण को बदला गया) जैसे प्रगतिशील निर्णय दिए जाने के बावजूद क्वीयर व्यक्तियों को न्याय मिलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्वीयर संबंधों और साझेदारी के अधिकारों की कानूनी वैधता में स्पष्टता की कमी की वजह से क्वीयर व्यक्ति इस खतरे में रहते हैं कि कभी भी उनके जन्मजात परिवार या कोई और उन्हें परेशान कर सकता है। वर्तमान में क्वीयर जोड़े आमतौर पर उच्च न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 226 (रिट जारी करने का उच्च न्यायालय को अधिकार) या आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 (उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाने हेतु) के तहत उनसे सुरक्षा की गुहार लगाते हैं और उपचार ढूंढने की कोशिश करते हैं।

1.3.3 अक्टूबर 2018 में (नवतेज के एक महीने बाद) मद्रास उच्च न्यायालय ने एक पुरुष और उसके ट्रांस साथी को पुलिस सुरक्षा तब प्रदान की जब पुरुष के परिवार और एक 'राजनैतिक संगठन' ने उन्हें परेशान किया और धमकी दी⁵⁴। कोर्ट ने अंतरजातीय और अंतर-धार्मिक⁵⁵ जोड़ों को दी जाने वाली सुरक्षा को मानक मानते हुए कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से शादी करने पर अगर ऐसे ही परिवारों का विरोध झेलना पड़े तो सुरक्षा दी जानी चाहिए।

1.3.4 पुनः अक्टूबर 2018 में ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक विस्तृत आदेश दिया जिसमें एक लेस्बियन जोड़े को परिवार से हिंसक धमकियां मिलने पर पुलिस सुरक्षा दी गई और एक पुलिस अफसर के विरुद्ध विभागीय जांच बैठाने की बात की गई क्योंकि महिला द्वारा अनुरोध करने पर भी उसने धमकी दी और गलत कानून में फंसा देने की बात कही थी⁵⁶।

1.3.5 जनवरी 2019 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक औरत ने याचिका दायर की थी कि उसके साथी को उसके परिवार वालों ने गलत ढंग से बंद कर के रख रखा था, हालांकि कोर्ट में बयान देते वक्त उस महिला ने कहा कि वो अपनी मर्जी से घर गई है और इस वजह से याचिका को निस्तारित कर दिया गया⁵⁷।

1.3.6 अप्रैल 2019 में दो महिलाएं जो लिव-इन रिश्ते में थीं उन्हें उनके परिवारों की धमकियों से बचाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की⁵⁷।

1.3.7 जुलाई 2019 में एक ट्रांसपुरुष द्वारा हीबियस कॉर्पस की याचिका दायर की गई जिसमें उसने अपने साथी को उसके परिवार द्वारा ज़बरदस्ती बंद रखे जाने की बात बताई और उसे रिहा करवाने की गुहार लगाई परंतु जब महिला ने अपने माता-पिता के साथ रहने का निर्णय लेने की बात दिल्ली उच्च न्यायालय को बताई तो फिर याचिका को निरस्त कर दिया गया⁵⁹।

1.3.8 जून 2020 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक महिला द्वारा दायर की गई हैबियस कॉर्पस की याचिका सुनी जिसका आधार, उस महिला के साथी की शिकायत थी, कि उसे उसके परिवार ने ज़बरदस्ती बंद कर के रखा है। शुरुआत में बंद रखी गई महिला ने अपने साथी के साथ रहने की इच्छा जताई जिसने याचिका दायर की थी और इसकी पुष्टि की कि उसे उसकी मर्ज़ी के विरुद्ध बंद रखा गया है। पर अगली सुनवाई में बंद रह रही महिला अपनी बात से पलट गई और अपने परिवार के साथ रहना चुना⁶⁰।

1.3.9 जुलाई 2020 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने, ऐसी दो महिलाओं को ये कहते हुए पुलिस सुरक्षा प्रदान की, जिन्हें उनके परिवार द्वारा हिंसा की धमकी दी जा रही थी, कि भले ही उनके सम्बन्ध को कानूनन वैधता प्राप्त नहीं है फिर भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत वो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की हकदार हैं⁶¹।

1.3.10 नवम्बर 2020 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक लेस्बियन जोड़े को लिव-इन रिश्ते में थे उन्हें पुलिस सुरक्षा दी क्योंकि उन्हें अपने परिवार और अन्य लोगों से हिंसा का खतरा था⁶²।

1.3.11 दिसंबर 2020 में एक समलैंगिक पुरुष ने याचिका दायर की कि उसके साथी का, उनके परिवार ने अपहरण कर लिया है पर कर्नाटक उच्च न्यायालय में वो याचिका रद्द हो गई जब उसके साथी ने कोर्ट में ये करार कर दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने परिवार के साथ रह रहा है⁶³।

1.3.12 जनवरी 2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फिर एक लेस्बियन जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जिन्हें अपने परिवार की तरफ से हिंसा का खतरा था।⁶⁴

1.3.13 जून 2021 में मद्रास उच्च न्यायालय ने पुलिस को ये निर्देश दिया कि जब भी क्वीयर व्यक्तियों के परिवार द्वारा गुमशुदगी की शिकायत दर्ज हो और तब जब उस क्वीयर व्यक्ति/जोड़े से उनका कथन ले लिया गया हो कि वे वयस्क हैं और रज़ामंदी से घर छोड़ कर साथ में रह रहे हैं तो फिर पुलिस को तुरंत केस बंद कर देना चाहिए और उन्हें फिर परेशान नहीं करना चाहिए।⁶⁵ क्वीयर समुदाय से सेक्स, जेंडर और यौनिकता के बारे में पूर्ण रूप से समझने के बाद जज ने उस केस से जुड़े सिर्फ लेस्बियन जोड़े को ही राहत नहीं दी बल्कि अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल कर के तमिलनाडु की राज्य सरकार और केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि क्वीयर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को संरक्षित किया जाय, साथ ही "कनवर्जन थेरेपी" को बंद करने के कदम उठाए जाएं और ऐसे स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मियों के खिलाफ कुछ कार्यवाही हो जो कि ऐसे अवैज्ञानिक और हानिकारक काम करते हैं।

1.3.14 जुलाई 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने घर से भागे हुए एक क्वीयर जोड़े को पुलिस सुरक्षा और रहने की जगह देने का निर्णय दिया, जिन्हें अपने परिवार से हिंसक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था (*धनक*)⁶⁶ और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि कोर्ट ने सरकार को ये निर्देश दिया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य रूप से अंतर-धर्म तथा अंतर-जातीय जोड़ों के लिए, जिन आश्रय गृहों को बनाने की बात कही थी उसी का आयाम बढ़ाते हुए क्वीयर जोड़ों को भी ऐसी सुरक्षित जगहें दी जाएं।⁶⁷

1.3.15 देश भर के उच्च न्यायालयों ने अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक जोड़ों के "चुनने की आज़ादी"⁶⁸ को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और उसी क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर के क्वीयर जोड़ों के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को संरक्षित किया है। पर इन केसों का आकलन करने पर पता चलता है कि ये प्रक्रिया क्वीयर लोगों के लिए मुश्किलों से भरी हुई है क्योंकि देखा जाता है कि जन्मजात परिवार की तरफ से उनकी व्यक्तिगत और आर्थिक सुरक्षा पर खतरा होता है। जीवन पर खतरा मंडराने के सवाल पर उच्च न्यायालयों तक जाने की जो कानूनी रणनीति है, वो अक्सर सीमित राहत प्रदान करती है और संबंधों में रह रहे क्वीयर लोगों को पर्याप्त कानूनी उपाय प्रदान नहीं करती है, ठीक वैसे ही जैसे महिलाओं के आंदोलनों से पता चलता है कि जब भी वो अपनी पसंद और स्वायत्तता का इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं तो उन पर खतरा बन सकता है।⁶⁹

1.3.16 *धनक* ने नवतेज बेंच की टिप्पणियों को आगे रख कर कहा कि क्वीयर समुदाय के संघर्ष ऐतिहासिक रूप से भारत की सामाजिक पराधीनता से जुड़े कई संघर्षों से संबंधित हैं।⁷⁰ इसलिए "प्रकृति के नियमों" के विरुद्ध जो लड़ाई है, वो ना सिर्फ क्वीयर समुदाय को प्यार करने और यौनिकता व्यक्त करने की आज़ादी देता है बल्कि जेंडर, जाति, वर्ग, धर्म और समुदाय द्वारा थोपे गए प्रतिबंधों से आगे बढ़ कर खुद की पसन्द का साथी

चुनने की आज़ादी भी देता है। सी-हेल्प द्वारा आयोजित सामुदायिक परामर्श में क़ीयर समर्थक सेवा प्रदाताओं ने बताया कि भले ही उच्च न्यायालयों ने अच्छे कोर्ट फ़ैसले दिए हैं पर फिर भी घर से भागे हुए क़ीयर जोड़ों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क़ीयर लोगों के अधिकारों के संरक्षण और साथी चुनने के अधिकार के अलावा, यह आवश्यक है कि राज्य ऐसी महत्वपूर्ण सहायता सेवाओं की पहुँच उन जोड़ों तक सुनिश्चित करे, जो घर छोड़ देते हैं ताकि अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रुकावटों से आगे बढ़कर उन्हें आश्रय घरों, पर्याप्त आवास, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, रोज़गार के अवसर, कानूनी सहायता और अन्य सेवाएं मिल सकें।⁷¹

1.3.17 ये कहा जा सकता है कि क़ीयर संबंधों को कानूनी मान्यता मिलने के बाद परिवारों और अन्य लोगों द्वारा की जाने वाली हिंसा और मनमाना हस्तक्षेप खत्म भले ही ना हो पर कम ज़रूर हो जाएगा। जैसा कि अंतर-जातीय जोड़ों का अनुभव बताता है कि⁷² राज्य शायद सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ ऐसी नीति लाये जिससे ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर रहने वाले समुदायों से आने वाले जोड़ों को मदद मिल सके, जैसे कि तमिलनाडु में अंतर-जातीय विवाह के लिए डॉ अम्बेडकर स्कीम फ़ॉर सोशल इंटीग्रेशन चलाया जाता है। निश्चित रूप से क़ीयर लोगों के समाज में जगह बनाने के लिए क़ीयर संबंधों की मान्यता के साथ सामुदायिक आयोजन, एडवोकेसी और सामाजिक अभियान होने चाहिए।

2. कानूनी विकास

2.1 परिवर्तनकारी संवैधानिकता

2.1.1 संविधान में समानता और भेदभाव-विरोधी कानून के विकास को, इसकी शुरुआत से 'औपचारिक समानता' से 'वास्तविक समानता' की दिशा में होने वाले संक्रमण के नज़रिये से देखा जा सकता है। सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के साथ नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के बीच का सफर इस विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा है। नागरिक और राजनीतिक अधिकार (समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार) संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) में निहित हैं, जो संवैधानिक अदालत में जाकर व्यक्तियों द्वारा लागू करवाये जा सकते हैं। दूसरी ओर, सामाजिक और आर्थिक अधिकार (वितरणात्मक न्याय, कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना) भाग IV (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत) में निहित हैं, जिन्हें अदालतों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, ये सिद्धांत शासन और विधायी प्रक्रिया को सूचना और मार्गदर्शन देते हैं।

2.1.2 संविधान को अपनाने के पहले दो दशकों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया एक औपचारिक समानता का दृष्टिकोण, व्यक्तियों के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की व्याख्या और उसे लागू करने पर केंद्रित था। हालांकि, सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर, 1975 के एक मामले ने सुप्रीम कोर्ट की समानता और भेदभाव-विरोधी कानून की समझ को बदल दिया। अदालत ने यह घोषणा करते हुए आरक्षण नीति की संवैधानिक वैधता का बचाव किया कि जाति के आधार पर हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता के मौलिक अधिकार (भाग III में अनुच्छेद 16) के लिए विशेष उपाय करने को, राज्य के दायित्वों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए जिससे समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जा सके (भाग IV में अनुच्छेद 46)।⁷³ वास्तविक समानता की इस अभिव्यक्ति ने व्यक्तियों के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए, कानून की प्रतिबद्धता को हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को हासिल करने के संघर्ष के साथ जोड़ दिया, जिससे संविधान की मौलिक क्षमता उजागर हुई।।

2.1.3 कानून की व्याख्या और आवेदन के इस अभ्यास को आज परिवर्तनकारी संविधानवाद के रूप में जाना जाता है।⁷⁴ *नवतेज* केस में इस अवधारणा को और विकसित करने हेतु, सुप्रीम कोर्ट ने वंचित समूहों से संबंधित व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति पर महत्वपूर्ण विचार किया है, जिससे वे गरिमा, स्वतंत्रता और समानता का जीवन जीने में सक्षम हो सकें, जो सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया का केन्द्र है (पैरा 99)।

2.1.4 अदालत दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय से बड़े पैमाने पर प्रेरणा लेती है, और गहराई से मानती है कि औपचारिक समानता का दृष्टिकोण मौजूदा असमानताओं को और मजबूत करेगा। हमारी अदालत कहती है कि संविधान एक ऐसे व्यवस्थागत भेदभाव के इतिहास के बीच में स्थित है, जो प्रभावी जाति और वर्ग संरचनाओं से मजबूत होता है, और जिसे केवल राज्य पर सकारात्मक दायित्वों द्वारा समाप्त किया जा सकता है (पैरा 99-105)। संविधान की व्याख्या की प्रक्रिया को विभाजन, अन्याय और बहिष्कार पर आधारित समाज से लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकारों पर आधारित समाज की दिशा में बदलाव करने के इस इतिहास को पहचानना चाहिए (पैरा 105)।

2.1.5 परिवर्तनकारी संविधानवाद, इसलिए एक साथ नागरिक और राजनीतिक अधिकारों (भेदभाव से मुक्ति) के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक अधिकारों (अवसर की समानता) की प्राप्ति के लिए एक संयुक्त लक्ष्य

प्रस्तुत करता है।⁷⁵ दूसरे शब्दों में, मान्यता और पुनर्वितरण, कानून के रूप में इस परिवर्तनकारी संवैधानिकता में अभिव्यक्त होते हैं। हम इसी नज़रिए से क़ीयर जीवन को बदलने की संभावनाओं की फिर से कल्पना करने के लिए कानूनी ढांचे के साथ-साथ क़ीयर रिश्तों और उससे जुड़े मुद्दों की पहचान के सवाल पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं।

2.2 जेंडर, यौनिकता और संवैधानिक कानून

2.2.1 हाल के वर्षों में, सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर और यौनिकता से जुड़े कई संवैधानिक मामलों पर राय दी है जैसे कि रोजगार में लिंग आधारित भेदभाव, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए लिंग पहचान के स्व-निर्धारण की कानूनी मान्यता, निजता के अधिकार की संवैधानिक मान्यता, समलैंगिकता और विवाहेतर संबंध को अपराध के दायरे से हटाना। आने वाले समय में, इन मामलों से उभरने वाला न्यायशास्त्र, क़ीयर संबंधों की कानूनी मान्यता सहित, जेंडर और यौनिकता से संबंधित उभरते मुद्दे, संवैधानिक कानूनों के बीच के संबंधों को निर्देशित करेंगे।

2.2.2 *अनुज गर्ग और अन्य बनाम होटल एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया और अन्य*⁷⁶ में सुप्रीम कोर्ट ने लिंग सम्बंधित रूढ़िवादिता में निहित कानूनों की सख्त जांच का एक मानक स्थापित करते हुए कहा कि:

(i) कोई कानून संवैधानिक हो सकता है जब उसे पारित किया गया हो, परंतु समय बीतने के साथ बदली हुई स्थितियों को देखते हुए उसे असंवैधानिक माना जा सकता है (पैराग्राफ 7-8);

(ii) रूढ़िवाद विरोधी सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत निषेध के रूप में दृढ़ता से निहित हैं (पैरा 41-44)|

(iii) स्पष्ट रूप से 'सुरक्षात्मक भेदभाव' प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए क़ानूनों के निहितार्थों का आकलन करते समय एक सख्त परीक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क़ानूनों का मूल्यांकन न केवल उसके प्रस्तावित उद्देश्यों पर किया जाए बल्कि निहितार्थों और प्रभावों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए (पैरा 46)।

2.2.3 नालसा केस में, लैंगिक पहचान के आत्मनिर्णय को कानूनी मान्यता प्रदान करते हुए, अदालत ने कहा कि:

(i) किसी भी व्यक्ति को लिंग पहचान की कानूनी मान्यता के लिए आवश्यकता के रूप में सेक्स री-असाइनमेंट सर्जरी, नसबंदी या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी सहित किसी भी चिकित्सा प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा (पैरा 22, 135);

(ii) योग्यकर्ता सिद्धांतों को भारत में मान्यता दी जानी चाहिए और उनका पालन किया जाना चाहिए क्योंकि वे संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के अनुरूप हैं (पैरा 57-60);

(iii) लैंगिक रुझान और जेंडर पहचान के आधार पर भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन करता है (पैरा 62)

(iv) जेंडर के रूढ़िवादी विचारों को ना मानने के आधार पर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भेदभाव को रोकने के लिए, संविधान निर्माताओं ने लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ गारंटी शामिल की। इसलिए, अनुच्छेद 15 और 16 'जेंडर अस्मिता' के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाते हैं (पैरा 63, 66)

(v) जेंडर अस्मिता किसी की पहचान के मूल में है, और इसलिए गोपनीयता, स्वायत्तता और व्यक्तिगत अखंडता के मूल्यों के आधार पर जेंडर की अभिव्यक्ति और प्रस्तुति को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित किया गया है (पैरा 72)

(vi) जेंडर अस्मिता का आत्मनिर्णय व्यक्तिगत स्वायत्तता का एक अभिन्न अंग है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता के दायरे में आता है (पैरा 75)

(vii) स्त्री/पुरुष की जेंडर बाइनरी में निहित कानूनों में हिजड़ा और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान को मान्यता न देना, उन्हें कानून के समक्ष समान संरक्षण से वंचित करते हैं (पैरा 81)

(viii) यौन उन्मुखता या जेंडर अस्मिता के आधार पर भेदभाव में, कोई भी ऐसा भेदभाव करना, बहिष्कृत करना, प्रतिबंधित करना या वरीयता देना शामिल है, जो कानून के समक्ष समानता को समाप्त करने का प्रभाव रखता है (पैरा 83)।

2.2.4 *जे०के०एस० पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम भारतीय संघ*⁷ में न्यायालय ने संविधान के भाग

III के तहत गोपनीयता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देते हुए कहा कि:

(i) गोपनीयता एक संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है जो मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी से उभरता है (पैरा 320)।

(ii) नालसा बताता है कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत लैंगिक पहचान के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 15 और 21 का योग, व्यक्तिगत स्वायत्तता, गरिमा और पहचान की अभिव्यक्ति के रूप में, निजता के संवैधानिक अधिकार को स्थापित करता है (पैरा 96)।

(iii) गोपनीयता के मूल में व्यक्तिगत अंतरंगता का संरक्षण, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, विवाह, प्रजनन, घर और यौन उन्मुखताएँ शामिल हैं। गोपनीयता व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा करती है और व्यक्ति की अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करने की क्षमता को स्वीकार करती है। गोपनीयता विविधता की रक्षा करती है और हमारी संस्कृति की बहुलता और विविधता को मान्यता देती है (पैरा 323)।

(iv) निजता के अधिकार के उल्लंघन से जूझने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं का पूरा होना ज़रूरी है

-

- क) वैधानिकता, जो एक कानून के अस्तित्व को दर्शाती है
- ख) जरूरत, एक वैध उद्देश्य के संदर्भ में परिभाषित है, और
- ग) आनुपातिकता, जो वस्तुओं और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधनों के बीच एक तर्कसंगत संबंध सुनिश्चित करती है (पैरा 325)।

2.2.5 संविधान के तहत अधिकार-आधारित ढांचे के अनुरूप, एल०जी०बी०टी० व्यक्तियों के गोपनीयता-गरिमा के दावों से निपटने में, अपनी विफलता के लिए सुरेश कुमार कौशल केस ⁷⁸ में अपने पहले के फैसले की आलोचना करते हुए, पुट्टस्वामी अदालत ने अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में यौन उन्मुखता के आधार पर निम्नलिखित अवलोकन किया:

"कुछ अधिकारों को गारंटीशुदा मौलिक अधिकारों के स्तर तक ऊपर उठाने का उद्देश्य, उनके अस्तित्व को बहुसंख्यकों, चाहे विधायी हो या लोकप्रिय, के तिरस्कार से बचाना है। संवैधानिक अधिकारों की गारंटी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि बहुसंख्यकों ने उनके प्रयोग को अनुकूल माना है या नहीं। लोकप्रिय स्वीकृति का परीक्षण, संवैधानिक संरक्षण की पवित्रता के साथ प्रदान किए गए अधिकारों की अवहेलना करने के लिए, वैध आधार प्रस्तुत नहीं करता है। अलग और एकाकी अल्पसंख्यक इस साधारण से कारण के चलते भेदभाव के गंभीर खतरों का सामना करते हैं कि उनके विचार, विश्वास या जीवन का तरीका "मुख्यधारा" के अनुरूप नहीं है। फिर भी कानून के शासन पर स्थापित एक लोकतांत्रिक संविधान में, उनके अधिकार उतने ही पवित्र हैं जितने अन्य नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिए गए हैं।" (पैरा 144)

2.2.6 शफीन जहां बनाम अशोकन के.एम.⁷⁹ में राज्य या समाज की भूमिका से परे 'पसंद के अधिकार' को नियंत्रित करने वाले कानून के सिद्धांतों की घोषणा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि:

(i) शादी के भीतर या बाहर, एक साथी का चुनाव प्रत्येक व्यक्ति के अपने दायरे के भीतर होता है। विवाह की अंतरंगता, निजता के बुनियादी दायरे के भीतर होती है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति का जीवन साथी चुनने का अधिकार, कम से कम विश्वास के मामलों से प्रभावित नहीं होता है (पैरा 89)।

(ii) न तो राज्य और न ही कानून साथी की पसंद को निर्धारित कर सकते हैं या मामलों पर निर्णय लेने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्र क्षमता को सीमित कर सकते हैं। वे संविधान के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सार

हैं... हमारी पसंद का सम्मान किया जाता है क्योंकि वे हमारी हैं। व्यक्तिगत अंतरंग निर्णयों के लिए सामाजिक स्वीकृति, उन्हें पहचानने का आधार नहीं है। दरअसल, संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दर्शकों को अस्वीकार करने से बचाता है (अनुच्छेद 89)।

(iii) संविधान प्रत्येक व्यक्ति की उस जीवन शैली या आस्था का पालन करने की क्षमता की रक्षा करता है, जिसका वह पालन करना चाहते हैं। पोशाक और भोजन, विचारों और विचारधाराओं, प्रेम और साझेदारी के मामले, पहचान के केंद्रीय पहलुओं में सम्मिलित हैं। कानून एक वैध विवाह की शर्तों को नियंत्रित (संवैधानिक अनुपालन के अधीन) कर सकता है, क्योंकि यह उन स्थितियों को नियंत्रित कर सकता है, जिनमें वैवाहिक बंधन को समाप्त या रद्द किया जा सकता है। ये उपचार, विवाह के पक्षकारों के लिए उपलब्ध हैं क्योंकि वे ही इस बारे में सबसे अच्छा निर्णय लेते हैं कि उन्हें एक दूसरे को वैवाहिक बंधन में स्वीकार करना चाहिए या उस रिश्ते को जारी रखना चाहिए। भागीदारों की हमारी पसंद निर्धारित करने में समाज की कोई भूमिका नहीं है (पैरा 91)।

2.2.7 नवतेज केस में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:

(i) अनुच्छेद 14 के तहत समानता की गारंटी के उल्लंघन के दावे का आकलन करते समय, न्यायालय को तार्किक वर्गीकरण के पारंपरिक परीक्षण के बजाय, स्वतंत्रता और समानता के बुनियादी तत्व पर अपना विश्लेषण केंद्रित करना चाहिए (क्या कानून द्वारा किए गए वर्गीकरण का लक्षित वस्तु के साथ तर्कसंगत संबंध है) (पैरा 380);

(ii) अनुच्छेद 15 के तहत, भेदभाव का आधार सेक्स और अन्य बातों (सेक्स प्लस) में निहित है, और इसमें दूसरी पहचानों की कोई भूमिका नहीं होती है, इस बात को अब और स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इंटरसेक्शनल समझ हमें बताती है कि भेदभाव विशेष रूप से सामाजिक- राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ में (पैराग्राफ 389, 394) कैसे संचालित होता है।

(iii) अनुच्छेद 15(1) के तहत लिंग के आधार पर भेदभाव के निषेध को अल्ट्रा वायर्स के रूप में चुनौती देने वाले प्रावधान का मूल्यांकन इसे लागू करने वाले राज्य के उद्देश्यों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, उस प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए जो प्रभाव ये प्रावधान प्रभावित व्यक्तियों और उनके मौलिक अधिकारों पर डालता है (पैरा 394)।

(iv) संवैधानिक नैतिकता के लिए न्यायालय को बहुसंख्यक विरोधी संस्था के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है जो संवैधानिक रूप से निहित अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करती है, भले ही बहुमत जो भी मानता हो (पैरा 499)।

2.2.8 जेंडर के चश्मे से सोडोमी विरोधी कानूनों की नींव को चुनौती देते हुए, न्यायालय ने कहा कि:

“धारा 377 ऐसे व्यवहार को अपराधी बनाती है जो समाज की विषमलैंगिक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। ऐसा करने में यह, समलैंगिक विरोधी कानून और पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं के बीच सहजीवी संबंध को कायम रखता है।

... कोई भी आसानी से यौन उन्मुखता के आधार पर भेदभाव और सेक्स के आधार पर भेदभाव को अलग नहीं कर सकता क्योंकि यौन उन्मुखता के आधार पर भेदभाव स्वाभाविक रूप से सेक्स और जेंडर भूमिकाओं के रूढ़िवादी विचारों को बढ़ावा देता है...

... लैंगिक भेदभाव का निषेध पारंपरिक प्रथाओं को बदलने के लिए है जो कानूनी रूप से, और अक्सर सामाजिक और आर्थिक रूप से, लिंग के आधार पर व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं... समलैंगिकों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के प्रयास को, असमानता को समाप्त करने के बड़े प्रयास के एक आवश्यक हिस्से के रूप में समझा जाना चाहिए।

लिंगों के पुरुष/महिला विभाजन को कमजोर करने वाले रिश्ते, सामाजिक रूप से थोपी गई लैंगिक असमानता को कमजोर करने के लिए स्वाभाविक रूप से आवश्यक हैं... इन लैंगिक भूमिकाओं पर वार करके, प्रभावित समुदाय के सदस्य, देखभाल और पारस्परिकता पर आधारित रिश्तों और नए समुदायों को बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ा कर चुनौती देते हैं। इनका विचार है कि कार्य करने के लिए संबंधों, और विस्तार समाज द्वारा, पदानुक्रमित यौन भूमिकाओं के साथ विभाजित किया जाना चाहिए। (पैरा 397-400)

2.2.9 जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया⁸⁰ में विवाहेतर संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर करने में, सर्वोच्च न्यायालय ने 'विवाह की पवित्रता' पर बहस को फिर से आकार दिया, यह देखते हुए कि विवाहेतर संबंध कानून आमतौर पर लिंगों की ऐतिहासिक असमानता में निहित है और अनिवार्य रूप से एक ही साथी के साथ रहना और वैवाहिकता के माध्यम से अनजाने में अनिवार्य रूप से संपत्ति के हितों की स्थापना से संबंधित है। (पैरा 169, 180)

2.2.10 विवाहेतर संबंध को संवैधानिक रूप से संरक्षित चुनाव के रूप में देखने पर अदालत का विश्लेषण विशेष रूप से शिक्षाप्रद है। अदालत इस सवाल को खड़ा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार करती है: *यदि यह तर्क कि विवाहेतर संबंध, हालांकि अपरंपरागत है, विवाह और पारिवारिक संबंधों से संबंधित एक कार्य है और इसलिए मौलिक रूप से निजी स्वीकार किया जाता है, तो यह कानून में समान सुरक्षा का हकदार है*⁸¹। मात्र तथ्य यह है कि समाज में विवाहेतर संबंध को अपरंपरागत माना जाता है, इसे निजता

संरक्षण से वंचित करना उचित नहीं है। चुनाव करने की स्वतंत्रता में "अलोकप्रिय" चुनाव करने की स्वतंत्रता भी शामिल है। विवाह और रिश्तों की जटिलता और विविधता के साथ अदालत की गहरी संलिप्तता और मान्यता, जहां संबन्धित पक्ष या तो यौन विशिष्टता के लिए प्रतिबद्ध हैं, या "खुशी से एक ही साथी के साथ रहना चाहती हैं", इस मामले पर केवल उसे अपराध के दायरे से बाहर लाने के सवाल से आगे बढ़ने के लिए अदालत की इच्छा को ही अभिव्यक्त करती है।

2.2.11 यह एक खुला प्रश्न है कि क्या न्यायालय समलैंगिक कामुकता और लैंगिक अभिव्यक्ति (अनुज गर्ग) पर रूढ़िवादिता को खारिज करने में उसी मजबूत विश्लेषण के साथ जवाब देगा, अल्पसंख्यक "विचारों, विश्वासों या जीवन के तरीके" (पुट्टुस्वामी) का बचाव करेगा, राज्य या समाज की भूमिका को समाप्त करेगा (शफीन जहान), "लिंगों की असमानता को समाप्त करने के बड़े प्रयास" (नवतेज) को आगे बढ़ाने और संपत्ति के अधिकारों को अनिवार्य रूप से एक ही साथी के साथ रहना और वैवाहिकता (जोसेफ शाइन) से जोड़ने में राज्य की रुचि की वैधता पर सवाल उठाएगा, जब विविध रूपों में संबंधों की कानूनी मान्यता के दावे के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जैसा कि क्वीयर समुदाय संकल्पना करता है।

2.3 अप्रत्यक्ष भेदभाव या प्रत्यक्ष रूप से तटस्थ कानूनों के असमान प्रभाव पर न्यायशास्त्र का विकास

2.3.1 न्यायालय राज्य की कार्रवाई या कानूनों के विश्लेषण में तेजी से संलग्न हो रहे हैं जो आम तौर पर तटस्थ हो सकते हैं, लेकिन जिनके लागू होने पर कमजोर समुदायों पर असमान और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह जांच इस आधार पर की गई है कि ऐसी राज्य कार्रवाई या कानून अनुच्छेद 14 में समानता की गारंटी और संविधान के अनुच्छेद 15 में भेदभाव से स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। इस तरह के दृष्टिकोण में न्यायिक समीक्षा के मानक को बदलने की क्षमता है, अदालतों से क्वीयर संबंधों की कानूनी मान्यता और परिणामस्वरूप सामाजिक और आर्थिक अधिकारों तक पहुंच के मामलों में कार्य करने की उम्मीद की जा सकती है, विशेष रूप से अदालतें ऐतिहासिक रूप से व्याप्त हाशियाकरण को दूर करने के लिए कानूनी मिसाल तैयार कर रही हैं।

2.3.2 सबसे महत्वपूर्ण विकास, *मधु और अन्य बनाम उत्तर रेलवे और अन्य*⁸² में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय में है, जहां अदालत ने राज्य नियोक्ता (उत्तर रेलवे) के तहत पति/पिता की चिकित्सा नीति के रोजगार नियमों के तहत लाभ के लिए पत्नी और बेटी के दावे को निपटाया। अदालत ने नियमों को केवल सुविधा और

प्रक्रियात्मक बताते हुए, परिवार के सदस्यों और आश्रित रिश्तेदारों को लाभ का हकदार घोषित किया, भले ही प्रमुख लाभार्थी / कर्मचारी द्वारा नामांकन किया गया हो अथवा नहीं (पैरा 12)। हालांकि, अदालत ने खुद को तत्काल कानूनी विवाद तक ही सीमित नहीं रखा।

2.3.3 इसने निम्नलिखित अवलोकन के साथ 'अप्रत्यक्ष भेदभाव' पर अपने विश्लेषण की शुरुआत की:

"इस अदालत को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अपीलकर्ता, संविधान के तहत, एक विशेष समूह, यानी "महिलाओं" के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 15 और 16 में संविधान इस सिद्धांत को मान्यता देता है कि कुछ समूहों को ऐतिहासिक रूप से वंचित किया गया है और संविधान के लागू होने के बाद, राज्य की वे कार्यवाहियाँ जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करती हैं (जो अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 के अपवादों के अंतर्गत नहीं आता है (4)), वे संवैधानिक रूप से गलत हैं। इस प्रकार, जबकि महिलाओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए सकारात्मक कार्यवाही की अनुमति है, संविधान, बिना किसी दोष के, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव की अनुमति नहीं देता है...

चूंकि उत्तर रेलवे के कार्यों के परिणामस्वरूप इस विशेष वर्ग को लाभ और अधिकार से वंचित किया जाता है, यह देखने के लिए बारीकी से जांच की जानी चाहिए कि कार्यवाही, या उनका प्रभाव, भेदभावपूर्ण है या नहीं। उत्तर रेलवे का तर्क है कि अपीलकर्ताओं को मेडिकल कार्ड से वंचित नहीं किया गया है क्योंकि वे महिला हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पति और पिता ने अपेक्षित घोषणा नहीं की थी। हालाँकि, यह स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि उत्तर रेलवे ने जानबूझकर अपीलकर्ताओं के साथ भेदभाव नहीं किया क्योंकि वे महिला थीं। कानून निर्वात में काम नहीं करता है, और उत्तर रेलवे के तर्क और परिणामी निर्णय की जांच उस सामाजिक संदर्भ में की जानी चाहिए, जहां वह संचालित करता है और जो प्रभाव वो वास्तविक दुनिया में पैदा करता है। यहां तक कि एक सतही तौर पर तटस्थ निर्णय का संवैधानिक रूप से संरक्षित वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। (पैरा 16 - 17)।

2.3.4 इस नोट पर, अदालत ने अप्रत्यक्ष भेदभाव पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विकास की जांच की। यह काउंसिल ऑफ यूरोप डायरेक्टिव (2000/78/EC, दिनांक 27 फरवरी 2000) को संदर्भित करता है जो 'अप्रत्यक्ष भेदभाव' की अवधारणा को इस प्रकार परिभाषित करता है:

"अप्रत्यक्ष भेदभाव तब होगा जब एक स्पष्ट रूप से तटस्थ प्रावधान, मानदंड या अभ्यास में नस्लीय या जातीय मूल के व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों की तुलना में एक विशेष नुकसान में डालेगा, जब

तक कि वह प्रावधान, मानदंड या अभ्यास एक वैध उद्देश्य से निष्पक्ष रूप से उचित न हो और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के साधन उचित और आवश्यक हों।”

2.3.5 अदालत ने यूरोपीय न्यायालय के एक मामले का उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि पेंशन पाने से पहले 15 साल के लिए पूर्णकालिक कर्मचारी होने की आवश्यकता वाले रोजगार नियम महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण थे, क्योंकि पुरुषों की तुलना में, परिवार और बच्चों की देखभाल के चलते, महिलाओं के अंशकालिक काम करने की संभावना अधिक थी।⁸³

2.3.6 अदालत ने आगे कैंनेडा के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का उल्लेख किया जिसने 'असमान प्रभाव' के सिद्धांत को इस प्रकार परिभाषित किया कि:

"कोई भी भेद, चाहे जानबूझकर हो या नहीं, लेकिन जो व्यक्ति या समूह की व्यक्तिगत विशेषताओं पर आधारित होता है, तथा जो ऐसे व्यक्ति या समूह पर बोझ, दायित्वों या नुकसान थोपने का प्रभाव डालता है, जो दूसरों पर नहीं लगाया जाता है, या जो समाज के अन्य सदस्यों के लिए उपलब्ध अवसरों और लाभ की पहुंच को सीमित कर देता है।”⁸⁴

2.3.7 कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने इस अवधारणा को एक अन्य मामले में आगे बढ़ाया:

"...प्रतिकूल प्रभाव भेदभाव की एक अवधारणा है। यह तब उत्पन्न होता है जब एक नियोक्ता वास्तविक व्यावसायिक कारणों से एक ऐसे नियम या मानक को अपनाता है जो सतही तौर पर तटस्थ होता है, और जो सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू होगा, लेकिन जिसका एक कर्मचारी या कर्मचारियों के समूह पर निषिद्ध आधार पर भेदभावपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह कर्मचारी या समूह की कुछ विशिष्ट विशेषताओं के कारण, कार्यबल के अन्य सदस्यों पर दायित्वों, दंडों, या प्रतिबंधात्मक शर्तों को लागू नहीं करता है।

... ठोस आर्थिक या व्यावसायिक कारणों के लिए ईमानदारी से बनाया गया एक रोजगार नियम, उन सभी पर समान रूप से लागू होता है जिन्हें इसे लागू करने का इरादा है, फिर भी यह भेदभावपूर्ण हो सकता है यदि यह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को दूसरों से अलग तरह से प्रभावित करता है जिन पर यह लागू हो सकता है।

2.3.8 दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक न्यायालय ने भी अप्रत्यक्ष भेदभाव पर समान टिप्पणियां कीं:

"अप्रत्यक्ष भेदभाव की अवधारणा, जैसा कि मैं इसे समझता हूं, उन परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष रूप से विकसित की गई थी, जहां भेदभाव स्पष्ट रूप से तटस्थ मानदंडों के पीछे छिपा हुआ था या जहां पहले से ही ऐतिहासिक अधीनता की प्रकृति के चलते प्रतिकूल रूप से प्रभावित लोगों की अलाभ की स्थिति उन उपायों से गहरी या तीखी हो जाएगी, जो उस अलाभ की स्थिति को स्पष्ट तौर पर समाप्त नहीं करते।

कई मामलों में, विशेष रूप से वे जिनमें अप्रत्यक्ष भेदभाव का आरोप लगाया गया है, सुरक्षात्मक उद्देश्य विफल हो जाएगा यदि भेदभाव की शिकायत करने वाले व्यक्तियों को न केवल यह साबित करना होगा कि उनके साथ गलत भेदभाव किया गया था बल्कि यह भी कि अनुचित भेदभाव जानबूझकर किया गया था। अप्रत्यक्ष भेदभाव के मामलों में यह समस्या विशेष रूप से तीव्र होगी जहां आपत्ति किए गए आचरण या कार्रवाई में, भेदभावपूर्ण उद्देश्य के अलावा भी हमेशा कुछ न कुछ उद्देश्य हो।⁸⁶

2.3.9 भर्ती के लिए एक शर्त के रूप में एण्टीट्यूड टेस्ट के एक मामले में, यू०एस० सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यद्यपि एक ही परीक्षा सभी उम्मीदवारों के लिए प्रशासित की गई थी, लेकिन अफ्रीकी अमेरिकी आवेदकों ने अलग-अलग स्कूलों के कारण लंबे समय तक निम्न-मानक शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए नियोक्ता की भर्ती नीति ने अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्तियों को रोजगार स्रोतों से बाहर करके, उन पर असमान प्रभाव डाला था।⁸⁷

2.3.10 मधु मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस विश्लेषण को आगे रखते हुए कहा कि उत्तर रेलवे द्वारा अपीलकर्ताओं को चिकित्सा लाभ से वंचित करने का महिलाओं के वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अदालत का फैसला इस विश्लेषण पर आगे बढ़ता है कि चूंकि आश्रितों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे हैं, रेलवे अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए घोषणा करने हेतु कर्मचारी को बाध्य करके, ऐसी महिलाओं और बच्चों को चिकित्सा सेवाओं से वंचित होने के जोखिम में डालते हैं। इस तरह के निर्णय लेने का अंतिम प्रभाव, एक वर्ग के रूप में महिलाओं पर असमान तरीके से पड़ता है, क्योंकि वह भारत के महिलाओं द्वारा सामना किए जा रहे संस्था की ऐतिहासिक उपेक्षा को कायम रखता है (पैरा 29 - 30)।

2.3.11 दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंस्पेक्टर (महिला) रवीना बनाम भारतीय संघ और अन्य⁸⁸ में इसी तरह के विश्लेषण को लागू किया, जब उसने यह फैसला सुनाया कि सार्वजनिक रोजगार में वरिष्ठता को नियंत्रित

करने वाले नियम, जो पुरुष और महिला कर्मचारियों के लिए समान मानकों को अंधाधुंध रूप से लागू करते हैं, वे वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (1), 16(2) और 21 का उल्लंघन करते हैं, जब वे ऐसे नियमों का पालन करने के लिए गर्भवती महिला कर्मचारियों की क्षमता को समायोजित नहीं करते हैं। इसमें कहा गया है कि गर्भावस्था-आधारित भेदभाव की एक स्पष्ट दलील की कमी, किसी भी तरह से एक अदालत को संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए पूर्ण न्याय करने से नहीं रोकती है। यह विश्लेषण अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अप्रत्यक्ष भेदभाव के लिए समान विश्लेषण करने में संवैधानिक न्यायालयों के दायित्व की रूपरेखा को भी इंगित करता है, जब सतही तौर पर तटस्थ राज्य कार्रवाई या कानूनों को चुनौती दी जाती है, यहां तक कि तब भी ऐसी दलीलों को याचिकाकर्ताओं द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

2.3.12 नवतेज केस में अदालत ने अपने प्रभाव-विश्लेषण में मधु के निर्धारित परीक्षण को यह मानने के लिए लागू किया कि भले ही आई०पी०सी० की धारा 377, मौखिक और गुदा मैथुन को सभी के लिए समान रूप से अपराध बनाती है, ये कृत्य समलैंगिकों के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं, इसलिए, यह कानून अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन था, क्योंकि इसने एल०जी०बी०टी०क्यू० समुदाय पर नुकसान, बहिष्कार और अपमान की एक व्यवस्थागत प्रणाली थोपी।⁸⁹

2.3.13 लेफ्टिनेंट कर्नल नीतिशा बनाम भारतीय संघ⁹⁰ में, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रत्यक्ष भेदभाव या सतही तौर पर तटस्थ कानूनों के असमान प्रभाव पर एक पथ-प्रदर्शक निर्णय जारी किया है। इस तरह के विश्लेषण के केंद्र में वास्तविक समानता का विचार है, जिसके मूलभूत सिद्धांत न्यायालय द्वारा इस प्रकार बताए गए हैं:

"सबसे पहले, इसका उद्देश्य स्थिति या आउट-ग्रुप्स से जुड़े नुकसान के चक्र को तोड़ना है। यह समानता के पुनर्वितरित आयाम को दर्शाता है। दूसरे, इसका उद्देश्य गरिमा और मूल्य के लिए सम्मान को बढ़ावा देना है, जिससे एक पहचान समूह की सदस्यता के कारण होने वाले कलंक, रूढ़िवादिता, अपमान और हिंसा का निवारण हो सके। यह एक मान्य आयाम को दर्शाता है। तीसरे, इसे समानता की कीमत के रूप में सटीक अनुरूपता नहीं होनी चाहिए। इसकी बजाय, इसे भेदों को समायोजित करना चाहिए और संरचनात्मक परिवर्तन प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। यह परिवर्तनकारी आयाम को पकड़ लेता है। अंत में, वास्तविक समानता को सामाजिक और राजनीतिक दोनों रूप से समाज में पूर्ण भागीदारी की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। यह सहभागी आयाम है।"
(पैरा 56)

2.3.14 अप्रत्यक्ष भेदभाव का दावा पेश करने पर एक संवैधानिक अदालत का कर्तव्य है कि वो ये आंकलन करे कि एक निष्पक्ष प्रावधान, मापदंड या प्रथा (पी०सी०पी०) का किसी कमज़ोर समूह पर प्रतिकूल और असंगत प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं। अदालत को ये देखना होता है कि क्या ऐसे कानूनी प्रावधानों का, सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक बहिष्कार, मनोवैज्ञानिक या शारीरिक हानि के रूप में, अलाभ की स्थिति को मज़बूत करने, स्थिर रखने या बढ़ावा देने का प्रभाव होता है, और इन बातों को दावेदारों के द्वारा सामना किए जा रहे व्यवस्थागत या ऐतिहासिक अलाभ की स्थिति की पृष्ठभूमि में देखना चाहिए।

2.3.15 इन कथित कृत्यों की वैधता को सही ठहराने का भार प्रतिवादी वहन करता है, यह प्रदर्शित करके कि इस तरह के पी०सी०पी० एक वैध उद्देश्य की पूर्ति करते हैं और इसे कम भेदभावपूर्ण विकल्पों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। केवल इस तरह की गहन छानबीन और विकल्पों की खोज करके ही एक अदालत यह सुनिश्चित कर सकती है कि अप्रत्यक्ष भेदभाव के सिद्धांत की पूरी क्षमता का एहसास हो।

2.3.16 व्यवस्थागत भेदभाव को दूर करने के लिए, ऐसी कानूनी चुनौतियों का सामना करने पर, संवैधानिक अदालतों की जिम्मेदारी भेदभावपूर्ण पी०सी०पी० को खत्म करने और नुकसान के लिए पीड़ित को मुआवजा देने के नकारात्मक कर्तव्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके पास पर्याप्त राहत और उपचार विकसित करने का एक सकारात्मक कर्तव्य भी है। जो भविष्य में नुकसान के दायरे को नकारने के उद्देश्य से पात्रता प्रदान करके सामाजिक पुनर्वितरण की सुविधा प्रदान करता है (पैरा 90)। उदाहरण के लिए, किसी विशेष समूह द्वारा कार्यस्थल पर व्यवस्थागत भेदभाव के दावे को रोजगार इकिटी कार्यक्रम द्वारा दूर किया जा सकता है। ऐसा करने में, यह व्यवस्थागत भेदभाव का मुकाबला करता है, पहले से बहिष्कृत समूह को कार्यस्थल पर अपनी क्षमता साबित करने की छूट देकर व्यवहार संबंधी रूढ़िवादिता का मुकाबला करने की अनुमति देता है और पहले से बहिष्कृत समूह के एक प्रभावी हिस्से की नियुक्ति सुनिश्चित करता है, जो उन्हें नयी संस्थागत नीतियों को आकार प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने की शक्ति रखता है।

2.3.17 मिलून सरयाजानी व अन्य बनाम पुणे म्युनिसिपल कमिश्नर और अन्य⁹¹ महिला अधिकार समूहों द्वारा दाखिल एक जनहित याचिका (पी०आई०एल०) थी, जिसमें महाराष्ट्र में सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों और स्वच्छता सुविधाओं तक बेहतर पहुंच की मांग पर राहत प्रदान किया गया, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्वच्छता की कमी की वजह से लैंगिक प्रभाव पर विश्लेषण किया। हालाँकि, इस मामले में अनुच्छेद 15 के तहत एक औपचारिक घोषणा को रोक दिया गया। फिर भी, अदालत का विश्लेषण

ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यह सामाजिक, आर्थिक और कानूनी भेदभाव और अन्याय की परतों को खोलने के लिए अदालत के कर्तव्य को प्रकट करता है।

2.3.18 बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक शौचालयों तक पहुंच हर किसी को प्रभावित करती है, लेकिन यह महिलाओं को विशिष्ट रूप से प्रभावित करती है। सार्वजनिक स्थानों पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास पहले से ही बहुत कम सार्वजनिक सेवाएँ उपलब्ध हैं। पेशेवर श्रम के अलावा, महिलाएं अक्सर चाइल्डकेयर और होम-मेकर की जिम्मेदारियों से जुड़ी होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप यात्रा की ज़रूरतें होती हैं जो पुरुषों के काम और यात्रा से गुणात्मक रूप से भिन्न होती हैं। इसलिए, इन्हें सार्वजनिक शौचालयों और स्वच्छता सुविधाओं तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता है। महिलाओं की मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य ज़रूरतों के कारण सार्वजनिक शौचालयों तक पहुंच की ज़रूरत और भी अधिक होती है, इस तथ्य के अलावा कि महिलाओं में बुजुर्गों, विकलांग व्यक्तियों और बच्चों के लिए प्राथमिक देखभाल करने वालों का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, जो उनके शौचालयों के अतिरिक्त दौरे करने के उनके बोझ को बढ़ाते हैं। (पैरा 45-46)।

2.3.19 जीजा घोष बनाम भारतीय संघ⁹² में, जो कि अक्षमता अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका थी, जिसमें समावेशिता और सार्वजनिक स्थानों और यात्रा तक बेहतर पहुंच की मांग की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक यात्रा में विकलांग व्यक्तियों की ज़रूरतों को शामिल करने के निर्देश जारी किए। अदालत ने ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों द्वारा भेदभाव के दावों के निवारण के लिए निम्नलिखित कानूनी सिद्धांत पर जोर दिया:

"समानता का तात्पर्य न केवल भेदभाव को रोकना है (उदाहरण के लिए, भेदभाव विरोधी कानूनों को लागू करके प्रतिकूल व्यवहार के खिलाफ व्यक्तियों की सुरक्षा), बल्कि इससे परे जा कर समाज में समूहों के खिलाफ व्यवस्थित भेदभाव को दूर करना भी है। ठोस शब्दों में, इसका अर्थ सकारात्मक अधिकारों, सकारात्मक कार्रवाई और उचित समायोजन की धारणा को अपनाना है।"
(पैरा 40 - 43)

2.3.20 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के मुद्दे पर आशीष कुमार मिश्रा बनाम भारत सरकार से ले कर सचिव खाद्य और प्रसार मंत्रालय⁹³ के माध्यम से इसी तरह के विश्लेषण को अपनाया। इसने कहा कि जीवन के सभी क्षेत्रों में भेदभाव को रोकने का एक पहलू है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सम्मान के साथ जीने का अधिकार। हालांकि, गरीबी और

हाशियाकरण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जीवन का एक हिस्सा हैं, कानून को भेदभाव से परे जा कर, सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए राज्य के एक सकारात्मक दायित्व को मान्यता देनी चाहिए।

2.3.21 पूर्वोक्त खंड में चर्चा किए गए मामले भी परिवर्तनकारी संवैधानिकता का अभ्यास करने वाली अदालतों के उदाहरण हैं। मधु, रवीना, नितिशा और मिलुन सरयाजानी मामलों में, अदालतों को मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक अधिकारों (क्रमशः स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार और स्वच्छता सुविधाओं) के संरक्षण के सवालों का सामना करना पड़ा, जहां इसने लिंग के आधार पर एक समानता और भेदभाव-विरोधी विश्लेषण को आगे बढ़ाकर, राज्य कार्रवाई, कानून और नीति को निर्देशित किया। दूसरी ओर, जीजा घोष और आशीष कुमार मिश्रा मामलों में, अदालतों ने क्रमशः स्वास्थ्य स्थिति और लिंग पहचान के आधार पर समानता और भेदभाव-विरोध के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान किया, और खाद्य सुरक्षा तथा सार्वजनिक स्थानों तक पहुँच अनिवार्य करने के रूप में, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्धता दर्शाई। ये मामले क्वीयर व्यक्तियों के ऐतिहासिक बहिष्करण को दूर करने के लिए अदालतों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

2.4 सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को समावेशी बनाना

2.4.1 वैवाहिक स्थिति न केवल एक रिश्ते की कानूनी मान्यता को दर्शाती है, बल्कि यह विवाह, तलाक, रख-रखाव, संरक्षकता, गोद लेने, स्वास्थ्य लाभ, संपत्ति के अधिकार, आवास और साझेदारी लाभों के साथ अन्य मामलों में भी पक्षों पर अधिकारों और दायित्वों की एक श्रृंखला तक पहुंच को भी नियंत्रित करती है। इसके अतिरिक्त, वैवाहिक स्थिति विशेष रूप से ऐसे अधिकारों तक पहुंच को सीमित करती है; विषमलैंगिक अविवाहित संबंधों के संदर्भ में 'विवाह की प्रकृति के संबंधों' की समीक्षा से पता चलता है कि कानून अनिवार्य विवाह को प्राथमिकता देता है, बमुश्किल किसी अपवाद के साथ। इन सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर हमारे कानून, धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून और धर्मनिरपेक्ष कानून का मिश्रण, जेंडर बाइनरी की समझ, अनिवार्य हेट्रोसेक्सुएलिटी, एकलविवाह और संयुग्मन की सैद्धांतिक धारणाओं में निहित हैं। नतीजतन, कानून व्यवस्थित रूप से एकल व्यक्तियों और क्वीयर संबंधों और उनकी सामाजिक, आर्थिक और कानूनी चिंताओं को बाहर करता है।

2.4.2 क़ीयर व्यक्तियों ने आलोचना की है कि अधिकारों का दावा करने के लिए विवाह और परिवार को प्राथमिकता देने से ऐसे संबंधों के पक्षों के बीच लाभों का निजीकरण हो जाता है, और सामाजिक सुरक्षा को एक अधिकार के रूप में प्रदान करने में राज्य की मौलिक भूमिका से ध्यान हट जाता है।⁹⁴ इसलिए, परिवर्तनकारी संवैधानिकता में निहित एक कानूनी रणनीति केवल वैवाहिक स्थिति की समानता तक ही सीमित नहीं हो सकती है, बल्कि वैवाहिक स्थिति से परे एकल, तलाकशुदा, विधवाओं और रिश्तेदारी के विभिन्न नेटवर्क में क़ीयर व्यक्तियों के बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा की वकालत करती है। इस तरह की प्रक्रिया को मजदूर वर्ग और दलित, समलैंगिक समुदायों के बढ़े हुए हाशियाकरण और बहिष्कार को भी संबोधित करना चाहिए जो पुनर्वितरण के संघर्ष को प्राथमिकता दे सकते हैं, और इस प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में अपने सामाजिक, आर्थिक और कानूनी सरोकारों को शामिल कर सकते हैं।⁹⁵

1- स्वास्थ्य सेवा

2.4.3 आपातकालीन स्थितियों (जानलेवा बिमारी या अन्य) में, जहां एक व्यक्ति के पास सामान्य स्वास्थ्य सेवा के लिए सहमति देने की क्षमता नहीं है, वहाँ देखभाल करने वाले की सहमति देने की क्षमता से क़ीयर संबंधियों को नकार दिया जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य देखभाल संस्थान आमतौर पर केवल करीबी रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों को ही मान्यता देते हैं। यह क़ीयर व्यक्तियों की अपने भागीदारों को चिकित्सा परामर्श और संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का हिस्सा बनाने की क्षमता को कम करता है।

2.4.4 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज़ बनाम भारतीय संघ और अन्य में⁹⁶ घोषित किया कि सहमति देने की क्षमता वाले वयस्क को आत्मनिर्णय का मौलिक अधिकार है और मरने के जोखिम पर भी चिकित्सा उपचार से इंकार करने की स्वायत्तता है। इस संबंध में, मरणासन्न रूप से बीमार व्यक्ति, या कोमा की स्थिति में व्यक्ति (निष्पादक) द्वारा चिकित्सा उपचार वापस लेने के लिए एक अग्रिम निर्देश, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक इलाज करने वाले चिकित्सक द्वारा पालन करने का हकदार है। न्यायालय ने अग्रिम निर्देशों को लागू करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए, और अग्रिम निर्देश को प्रभावी करने में निष्पादक के अभिभावकों, करीबी रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों की भूमिका को रेखांकित किया (पैरा 198 - 201)।

2.4.5 मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 एक और उदाहरण प्रस्तुत करता है जो किसी व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे मानसिक बीमारी के उपचार के लिए चुने गए देखभाल और

उपचार के तरीके को निर्दिष्ट करने के लिए अग्रिम निर्देश दे सकें। अधिनियम की धारा 14, जो इस संदर्भ में नामित प्रतिनिधियों की नियुक्ति का प्रावधान करती है, 'रिश्तेदारों' के अलावा व्यक्तियों को इस तरह नियुक्त करने की अनुमति देती है। कानून का यह प्रावधान क्वीयर व्यक्तियों को उनके मनोनीत प्रतिनिधियों के रूप में रिश्तेदारों के अलावा अपने साथी, दोस्तों, या किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने की अनुमति दे सकता है ताकि क्वीयर व्यक्ति के पास ऐसा करने की क्षमता न होने की स्थिति में उनके नामित प्रतिनिधि उनके मानसिक स्वास्थ्य के सर्वोत्तम हित में निर्णय ले सकें। हालाँकि, यह प्रावधान केवल मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ तक ही सीमित है।

2.4.6 मामलों की एक श्रृंखला में, और हाल ही में रजनी हरिओम शर्मा बनाम भारतीय संघ और अन्य⁹⁷ में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने संपत्ति के प्रबंधन के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए, पति और परिवार के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने हेतु, एक पत्नी को उसके पति के संरक्षक के रूप में घोषित किया और नियुक्त किया। इसलिए, क्वीयर व्यक्तियों को सामान्य या आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में, उनकी ओर से कार्य करने से अपने साथी, दोस्तों, या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने से बाहर रखा जा सकता है, क्योंकि कॉमन कॉज और रजनी हरिओम शर्मा द्वारा घोषित कानून, परिवार के सदस्यों या करीबी रिश्तेदारों, जो कि विवाह या रक्त के आधार पर हो, उन को प्राथमिकता देता है।

2.4.7 इसके अतिरिक्त, क्वीयर समुदाय को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक को प्राप्त करने के लिए जिन चुनौतियों की श्रृंखला का सामना करना पड़ता है उससे पता चलता है कि क्वीयर संबंधों की कानूनी मान्यता के साथ किसी भी जेंडर पहचान, यौनिकता या वैवाहिक स्थिति को ना देखते हुए स्वास्थ्य के अधिकार पर काम करने की ज़रूरत है।

2.4.8 जैसा कि पहले कहा गया है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ने ट्रांस व्यक्तियों की लिंग पहचान के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता दी और केंद्र तथा राज्य सरकारों को पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर (तीसरे लिंग सहित) के रूप में कानूनी मान्यता देने का निर्देश दिया। इसने आगे घोषित किया कि सेक्स री-असाइनमेंट सर्जरी पर कोई भी जोर अवैध और अनैतिक है। हालाँकि, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019⁹⁸ के तहत कानूनी मान्यता के लिए दो-चरणीय प्रक्रिया, स्पष्ट रूप से लिंग पहचान के आत्मनिर्णय के अधिकार का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह उन ट्रांस व्यक्तियों को मजबूर करती है, जो पुरुष/महिला बाइनरी में पहचान करते हैं, कि वे कानूनी मान्यता के लिए सर्जरी कराएँ, और यह शारीरिक अखंडता और व्यक्तिगत स्वायत्तता के उनके अधिकार का भी उल्लंघन करता है। इस तरह के कालानुक्रमिक

कानूनी विकास ने अरुण कुमार (जिसमें यह माना गया था कि एक ट्रांस या इंटरसेक्स महिला कानूनी रूप से आत्मनिर्णय के आधार पर एक महिला है) में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को कमजोर करने का खतरा पैदा किया है, और संभावित रूप से ट्रांस और इंटरसेक्स व्यक्तियों को एक शादी करने के अधिकार से वंचित कर दिया है जब तक वे शल्य चिकित्सा से नहीं गुजरते।

2.4.9 ऐसे स्वास्थ्य मुद्दे भी हैं जो क्वीयर लोगों और समुदायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, भले ही क्वीयर व्यक्तियों के रिश्ते की स्थिति कुछ भी हो। वास्तव में, क्वीयर लोगों के स्वास्थ्य अधिकारों की पूर्ति उन्हें अपने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को महसूस करने के लिए सशक्त बना सकती है, जिसमें अंतरंग संबंध बनाने का अधिकार भी शामिल है।

2.4.10 एच०आई०वी०/एड्स उच्च जोखिम वाले समूहों - यौनकर्मियों, ट्रांस व्यक्तियों और पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों- पर असमान रूप से प्रभाव डालता है।⁹⁹ वर्ष 2000 की शुरुआत में एच०आई०वी० के साथ जी रहे व्यक्तियों (पी०एल०एच०आई०वी०) को स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच से बाहर करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेंच में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में एच०आई०वी०/एड्स से संबंधित उपचार तक सार्वभौमिक पहुंच की घोषणा की।¹⁰⁰ ये समुदाय अपने सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार¹⁰¹ को दूर करने के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून की वकालत करने में लगे हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप एच०आई०वी०/एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 (एचआईवी अधिनियम) को लागू किया गया है।

2.4.11 यौन मादक पदार्थों ('केमसेक्स') के उपयोग के माध्यम से एच०आई०वी० के नए संक्रमणों के बढ़ते प्रसार को संबोधित करने में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन०ए०सी०ओ०) की अक्षमता के साथ लक्षित हस्तक्षेपों के लिए घटता बजटीय आवंटन, समुदायों को एकत्रित करने और नुकसान कम करने के कार्यक्रमों पर निर्भर रहने से, महामारी को नियंत्रित करने में मिली उपलब्धियों का पीछे जाना, एक गंभीर चिंता प्रस्तुत करता है।¹⁰² एच०आई०वी० अधिनियम में राज्य को एच०आई०वी० के साथ जी रहे व्यक्तियों को "जहाँ तक संभव हो" एंटी-रेट्रोवायरल दवा प्रदान करने की आवश्यकता है, इस बात को मसौदा विधेयक में शामिल नहीं किया गया था, जिसे व्यापक सामुदायिक परामर्श के आधार पर सरकार को प्रस्तुत किया गया था। इस वाक्यांश ने पी०एल०एच०आई०वी० नेटवर्क और एच०आई०वी० से संबंधित संगठनों के बीच चिंता पैदा कर दी है कि राज्य स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने की अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता

से मुकर सकता है।¹⁰³ आलोचना इस चिंता से उत्पन्न होती है कि भेदभाव-विरोधी उपाय अपर्याप्त हैं जब तक कि वे जीवन रक्षक दवाओं और उपचार के लिए आर्थिक संसाधनों की राज्य की प्रतिबद्धता के साथ न हों।¹⁰⁴

2.4.12 कोविड-19 महामारी ने प्रदर्शित किया है कि कैसे पहले से ही हाशिए पर रहने वाले लोगों की कमजोरियां, पहले से मौजूद सामाजिक-आर्थिक कारकों के कारण बढ़ गई हैं। ट्रांस सेक्स वर्कर्स सहित ट्रांस व्यक्तियों को एचआईवी/ एड्स के जोखिम की सह-रुग्णता और लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तक अपर्याप्त पहुंच के चलते कोविड-19 के जोखिम में वृद्धि का अनुभव हुआ है। ट्रांस-अफ़र्मेटिव स्वास्थ्य सेवाओं और किफ़ायती आवास तक पहुंच प्रदान करने में राज्य की कार्रवाई की कमी ने भी ट्रांस, इंटरसेक्स और जेंडर नॉन-कन्फ़र्मिंग समुदायों के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य संकट पैदा कर दिया है क्योंकि कई लोग शत्रुतापूर्ण और हिंसक वातावरण में जन्म लेने वाले परिवारों के साथ ही रहे हैं।¹⁰⁵

2.4.13 ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में संबन्धित सरकारों से अपेक्षा की गई है कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के हिस्से के रूप में सेक्स री-असाइनमेंट सर्जरी और हार्मोन थेरेपी प्रदान करने के उपाय करें¹⁰⁶ और ट्रांस-विशिष्ट स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मौजूदा चिकित्सा पाठ्यक्रम और अनुसंधान की समीक्षा करें।¹⁰⁷ सितंबर 2021 में, एक समुदाय-आधारित संगठन की याचिका पर, केरल उच्च न्यायालय ने अंडर-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (नई दिल्ली) को लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए मौजूदा चिकित्सा पाठ्यक्रम और शोध की समीक्षा करने का निर्देश दिया।¹⁰⁸

2.4.14 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों, महिला यौनकर्मियों और ऐसे व्यक्ति जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, उन्हें रक्त दान करने पर एकतरफ़ा बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, जो राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद और नाको द्वारा जारी रक्त दाता चयन और रक्त दाता रेफरल, 2017 के दिशानिर्देशों के तहत होता है, जोकि उन्हें समाज में भाग लेने के अवसर की समानता और उन्हें सम्मान के साथ जीने के अधिकार से वंचित करता है। कोविड-19 महामारी के बीच दिशानिर्देशों ने वास्तविक और आसन्न परिणामों का खुलासा किया, क्योंकि रोगी देखभाल के लिए रक्त और प्लाज्मा की बढ़ती मांग के बावजूद, जिन लोगों को बाहर रखा गया था, वे आपातकालीन स्थितियों में परिवार और दोस्तों को ऐसे जीवन रक्षक संसाधनों को दान करने के अवसर से वंचित थे। वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट मनमाने, अवैज्ञानिक और भेदभावपूर्ण होने के नाते इन दिशानिर्देशों पर संवैधानिक चुनौती को सुन रहा है।¹⁰⁹

2.4.15 'कन्वर्जन थेरेपी'¹¹⁰ की निंदा करने वाले शीर्ष चिकित्सा निकायों के स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के आधिकारिक बयानों के बावजूद इसका अभ्यास बेरोकटोक जारी है और केवल अपनी कामुकता या स्व-निर्धारित लिंग पहचान को व्यक्त करने के लिए ये थेरेपियाँ समलैंगिक व्यक्तियों के स्वास्थ्य, जीवन और स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा हैं। एक समुदाय-आधारित संगठन ने ऐसी अवैज्ञानिक और हानिकारक चिकित्सा पद्धतियों को गैरकानूनी घोषित करने के लिए केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की है।¹¹¹

2.4.16 समलैंगिक व्यक्तियों के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। देश में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की हालिया समीक्षा से पता चलता है कि मौजूदा डिजाइन के तहत अधिकांश सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं केवल विवाहित, विषमलैंगिक महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का निदान करती हैं और इसलिए एकल और समलैंगिक महिलाओं की चिंताओं इससे बाहर हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश के तहत राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर०के०एस०के०) और किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य (ए०आर०एस०एच०) कार्यक्रम भी लेस्बियन, गे, बाई-सेक्सुअल, ट्रांस-जेंडर और जेंडर नॉन-कन्फ़र्मिंग किशोरों के लिए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सुरक्षित और समान पहुंच प्रदान करने में कमजोरी की सूचना देते हैं। जेंडर आधारित हिंसा (क्वीयर और इंटरसेक्स व्यक्तियों सहित) के उत्तरजीवियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चिकित्सा-कानूनी देखभाल पर प्रोटोकॉल को बड़े पैमाने पर देश भर में लागू नहीं किया जाता है।¹¹²

2.4.17 ट्रांस और इंटरसेक्स चिकित्सकों, समुदाय के सदस्यों और संगठनों के एक प्रतिनिधित्व पर, बाल अधिकार संरक्षण पर दिल्ली आयोग (डी०सी०पी०सी०आर०) ने दिल्ली सरकार को गैर-चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक, इंटरसेक्स शिशुओं और बच्चों पर, जानलेवा मामलों को छोड़कर, लिंग-चयनात्मक सर्जरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक सलाह जारी की।¹¹³ डी०सी०पी०सी०आर० ने राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग को समितियों का गठन करने, मामले की जांच करने और इंटरसेक्स समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए की गई कार्रवाई की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी। वर्तमान में, उन्हीं प्रतिनिधियों द्वारा इसी मामले पर दायर एक जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, जिसमें दिल्ली सरकार को डी०सी०पी०सी०आर० की सलाह पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।¹¹⁴ तमिलनाडु और दिल्ली के एन०सी०टी० के अलावा चिकित्सकों के लिए राष्ट्रीय या राज्य स्तर के कानून या नीति मार्गदर्शन के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

2- संरक्षण

2.4.18 मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 जैसे विभिन्न कानूनों के तहत आश्रितों के भरण-पोषण का प्रावधान पक्षों की वैवाहिक स्थिति से उत्पन्न होता है, जो आमतौर पर पत्नी और बच्चों को सम्मिलित करता है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में भरण-पोषण के साथ-साथ गुजारा भत्ता मांगने पर एक जेंडर-न्यूट्रल प्रावधान शामिल है,¹¹⁵ ऐसे पतियों को लाभ देने की अनुमति दी है जिनके पास आय का एक स्वतंत्र स्रोत नहीं है या खुद के पोषण को पूरा करने में असमर्थ हैं, यह विवाह के लिए पक्षों के बीच समता के सिद्धांत के आधार पर आधारित है।¹¹⁶ रख-रखाव में कम से कम भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा, चिकित्सा उपस्थिति और उपचार प्रदान करने का कानूनी दायित्व शामिल है।¹¹⁷

2.4.19 *विवाह की धारणा* का सिद्धांत उन मामलों में अदालतों द्वारा विकसित किया गया था, जहाँ अविवाहित जोड़े के रूप में सहवास करने वाले व्यक्तियों के सच्चे कानूनी उत्तराधिकारियों के निर्धारण की आवश्यकता होती है, आमतौर पर संपत्ति के रखरखाव या उत्तराधिकार से संबंधित मामलों में।

2.4.20 कानून का सुस्थापित नियम, जिसे पहले प्रिवी काउंसिल¹¹⁸ द्वारा घोषित किया गया था और आज सर्वोच्च न्यायालय¹¹⁹ द्वारा लागू किया गया है, यह है कि एक पुरुष और एक महिला कई वर्षों तक एक ही छत के नीचे सहवास करते हैं, तो ये विवाह की धारणा को जन्म देते हैं, अर्थात्, वे पति-पत्नी के रूप में रहते हैं (और उनसे पैदा हुए बच्चे 'नाजायज' नहीं होते हैं)।

2.4.21 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 (पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण का आदेश) परिवार में विवाह, जन्म या गोद लेने से संबंधित आश्रितों के भरण-पोषण का प्रावधान करती है। इस खंड की पारंपरिक न्यायिक व्याख्या कानूनी रूप से विवाहित पत्नियों के दायरे और कार्यान्वयन में सीमित है।¹²⁰ हालांकि, हाल ही में, अदालतों ने उक्त पुरुष के पूर्व विवाह के ज्ञान के बिना विवाहित पुरुषों के साथ संबंधों में रहने वाली महिलाओं को भी लाभ प्रदान करने के लिए कानून की साउद्देश्य व्याख्या की है।¹²¹ इसके अतिरिक्त, अदालतों ने कानून के इस प्रावधान की व्यापक व्याख्या करके पुरुषों के साथ गैर-वैवाहिक संबंधों में महिलाओं को नियमित रूप से आर्थिक अधिकार प्रदान करने के लिए विवाह की धारणा के सिद्धांत पर भरोसा किया है।¹²²

2.4.22 न्यायालयों ने सी०आर०पी०सी० की धारा 125- महिलाओं और बच्चों के निराश्रयता की रोकथाम-के तहत कानून के उद्देश्य पर भरोसा करते हुए इस तरह की आगे बढ़ती हुई प्रगतिशील व्याख्या का समर्थन किया है। कानून महिलाओं और बच्चों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय हासिल करने के हितों की सेवा करता है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों की अभिव्यक्ति और अनुच्छेद 39 के तहत निर्देशक सिद्धांत में परिलक्षित होता है।¹²³

2.4.23 घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 ('डी०वी० अधिनियम') से महिलाओं का संरक्षण "संविधान के तहत उन महिलाओं के अधिकारों की अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार हैं"।¹²⁴ डी०वी० अधिनियम धारा 2(ए) में 'पीड़ित व्यक्तियों' को इस प्रकार परिभाषित करता है:

"कोई भी महिला जो प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में है, या रही है और जो प्रतिवादी द्वारा घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन होने का आरोप लगाती है;"

2.4.24 डी०वी० अधिनियम में कुछ प्रमुख परिभाषाएँ उल्लेखनीय हैं। धारा 2(एफ) में 'घरेलू संबंध' को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

"दो व्यक्तियों के बीच संबंध, जो किसी भी समय एक साझा घर में एक साथ रहते हैं या रह चुके हैं, जब वे सगोत्रता, विवाह, या विवाह की प्रकृति के रिश्ते के माध्यम से, गोद लेने या एक साथ एक संयुक्त परिवार के रूप में रहने वाले परिवार के सदस्य हैं;"

2.4.25 डी०वी० अधिनियम धारा 2(क्यू) में एक 'प्रतिवादी' को परिभाषित करता है:

"कोई भी वयस्क पुरुष जो पीड़ित व्यक्ति के साथ घरेलू संबंध में है, या रहा है और जिसके खिलाफ पीड़ित व्यक्ति ने इस अधिनियम के तहत कोई राहत मांगी है;

यह कि विवाह की प्रकृति के रिश्ते में रहने वाली पीड़ित पत्नी या महिला भी पति या पुरुष साथी के किसी रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है;"

2.4.26 इसके अलावा, धारा 2 (एस) में 'साझा घर' को एक ऐसे घर के रूप में परिभाषित किया गया है जहां महिला प्रतिवादी के साथ घरेलू संबंध में रहती है, और इसमें एक घर शामिल है जिसके संबंध में महिला या प्रतिवादी, अकेले या संयुक्त रूप से, कोई अधिकार, हित, टाइटल या हिस्सेदारी रखती है।

2.4.27 डी०वी० अधिनियम प्रतिवादी द्वारा 'आर्थिक शोषण'¹²⁵ की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ एक पीड़ित महिला को उपचार प्रदान करता है।

2.4.28 डी० वेलुसामी बनाम डी० पच्चईअम्मल¹²⁶ में, सर्वोच्च न्यायालय ने 'विवाह की प्रकृति के संबंध' की व्याख्या इस अर्थ में की कि पक्षों को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए:

- i. शादी करने के लिए कानूनी उम्र का होना;
- ii. अविवाहित होना या किसी अन्य प्रकार से कानूनी विवाह में प्रवेश करने के योग्य होना;
- iii. स्वेच्छा से साथ रह रहे हों ; और
- iv. एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए दुनिया के सामने खुद को पति-पत्नी के समान दर्शाना।

2.4.29 जबकि यह निर्णय 2010 में जारी किया गया था, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इंद्र सरमा बनाम वी०के० सरमा¹²⁷ में निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा शासित होने वाली अभिव्यक्ति को और स्पष्ट किया:

1. *रिश्ते की अवधि की समय सीमा*: इसका अर्थ है रिश्ते को बनाए रखने और जारी रखने के लिए समय की एक उचित अवधि जो तथ्य की स्थिति के आधार पर अलग-अलग मामलों में भिन्न हो सकती है;
2. *साझा घरबार*;
3. *संसाधनों और वित्तीय व्यवस्थाओं को एकत्र करना* : एक दूसरे का समर्थन करना, या उनमें से किसी एक का वित्तीय रूप से समर्थन करना, बैंक खातों को साझा करना, संयुक्त नाम या महिला के नाम पर अचल संपत्तियों का अधिग्रहण करना, व्यापार में दीर्घकालिक निवेश, अलग और संयुक्त नामों में शेयर ताकि लंबे समय तक रिश्ता बना रहे;
4. *घरेलू व्यवस्थाएँ*: घर चलाने की जिम्मेदारी, विशेष रूप से महिला को सौंपना, घर की सफाई, खाना बनाना, घर का रख-रखाव आदि करना, विवाह की प्रकृति का एक संकेत है
5. *यौन संबंध*: सेक्स न केवल आनंद के लिए, बल्कि भावनात्मक और घनिष्ठ संबंध के लिए, बच्चों की उत्पत्ति के लिए, ताकि भावनात्मक समर्थन, साहचर्य और भौतिक स्नेह, देखभाल आदि भी मिल सके

6. *बच्चे*: बच्चों का होना और उन्हें पालने और बड़ा करने की जिम्मेदारी साझा करना विवाह की प्रकृति के रिश्ते का एक मजबूत संकेत है
7. *सार्वजनिक रूप से समाजीकरण*: और सार्वजनिक रूप से बाहर जाना तथा पति और पत्नी के रूप में मित्रों, संबंधों और अन्य लोगों के साथ सामाजीकरण करना, और
8. *पक्षों का इरादा और आचरण*: उनके रिश्ते में क्या शामिल है, और उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में पक्षों का सामान्य इरादा।

2.4.30 अदालतों ने डी०वी० अधिनियम के तहत उक्त परीक्षणों को लागू किया है, जिससे उन महिलाओं को डी०वी० अधिनियम के तहत किसी लाभ से बाहर करके संरक्षण से वंचित किया जा सके, जो जानबूझकर विवाहित पुरुषों के साथ संबंधों में प्रवेश करती हैं, स्पष्ट रूप से यह विवाहेतर संबंधों को दंडित करने के एक पाखंडी तर्क के रूप में इस्तेमाल किया गया है। दोनों मामलों में, अदालतें कानून में इस तरह के बहिष्करण से महिलाओं को होने वाले सामाजिक और आर्थिक नुकसान के अनुपातहीन प्रभाव से पूरी तरह परिचित थीं। हालाँकि, उन्होंने किसी भी दोष को ठीक करने के लिए 'विवाह की प्रकृति में संबंध' की अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने के लिए एक संसदीय संशोधन की सिफारिश की।

2.4.31 ये न्यायिक परीक्षण वैवाहिक संबंधों के एक रूढ़िवादी मानदंड पर निर्भर करते हैं, क्योंकि कई विवाह, यदि समान रूप से जांच हो तो "विवाह की प्रकृति में संबंधों" को नियंत्रित करने वाली अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल हो सकते हैं। यदि यह इस तरह के संबंधों पर पूछ-ताछ पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय करीबी वयस्क संबंधों की तरह दिखने वाले किसी मॉडल को प्राथमिकता दी जाये तो इस मुद्दे को इस तरह से देखना समस्याग्रस्त हो सकता है। पक्षों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक अधिक विश्वसनीय परीक्षण, साझा घर/सह-आवास, रिश्ते की अवधि, आर्थिक और परस्पर आश्रित होना तथा देखभाल की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित कर के किया जा सकता है, और दावा किए गए अधिकारों के अधीन मानकों के आवेदन में लचीलेपन की अनुमति दे सकता है। संयुग्मता की एक अनिवार्य आवश्यकता (यौन संबंध या बच्चे के पालन-पोषण का अस्तित्व) अधिकारों के निर्धारण के लिए एक वैध आधार प्रस्तुत नहीं करती है, क्योंकि घनिष्ठ वयस्क संबंधों की विविधता और जटिलता तथा परिवारों को संगठित करना, इस क्षेत्राधिकार में इस तरह के वर्गीकरण की अवहेलना करता है।¹²⁸ \

2.4.32 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हीरल पी० हरसोरा और अन्य बनाम कुसुम नरोत्तमदास हरसोरा व अन्य¹²⁹ में डी०वी० अधिनियम की धारा 2 (q) में 'प्रतिवादी' की परिभाषा से 'वयस्क पुरुष' शब्द हटा दिया गया, जिससे प्रतिवादी को आवेदन में लिंग-तटस्थ बना दिया गया, और कानून में घरेलू हिंसा की शिकायत के लिए एक महिला को प्राथमिक प्रतिवादी बनाने की अनुमति दी गई।

2.4.33 अभी हाल ही में अगस्त 2020 में, चिन्मयी जेना @ सोनू कृष्णा जेना बनाम ओडिशा राज्य और अन्य¹³⁰ मामले में उड़ीसा के उच्च न्यायालय ने नालसा और नवतेज केस में कानून के विकास पर विचार करने के बाद डी०वी० अधिनियम को एक ट्रांस पुरुष और एक महिला से जुड़े जोड़े पर लागू होने की घोषणा की, "महिला के पास सभी डी०वी० अधिनियम के तहत एक महिला के अधिकार हैं"।

2.4.34 हरसोरा और चिन्मयी जेना के घटनाक्रम को पिछले खंड में चर्चा किए गए जेंडर और सेक्सुएलिटी के मामलों में किए गए कानूनी घोषणाओं के साथ पढ़ा जाना चाहिए और तब हम देखेंगे कि सरमा के पुनरावलोकन की आवश्यकता है क्योंकि डी०वी० अधिनियम समान-लिंग साथियों (गे व लेस्बियन) के साथ-साथ बहुपत्नी संबंध को मान्यता नहीं देता है (पैरा 38.5, 39, 58)। यदि रख-रखाव पर कानून (सामान्य कानून के साथ-साथ डी०वी० अधिनियम) का घोषित उद्देश्य संविधान के तहत महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करना है, तो गैर-मानक संबंधों को बाहर करने का कोई वैध तर्क नहीं है।

2.4.35 हरसोरा और चिन्मयी जेना केस से यह सवाल उठते हैं कि क्या डी०वी० अधिनियम के तहत अभिव्यक्ति 'शादी की प्रकृति का रिश्ता' अब एल०बी०टी० महिलाओं से जुड़े समलैंगिक संबंधों पर लागू हो सकता है। इस तरह की कानूनी मान्यता, डी०वी० अधिनियम के तहत कानूनी टाइटल या लाभकारी हित (धारा 17, 19), घरेलू हिंसा से सुरक्षा (धारा 3 को धारा 18 के साथ पढ़ें), रख-रखाव और अन्य मौद्रिक राहत (धारा 20) और घरेलू हिंसा के लिए मुआवजा (धारा 22) के होने या न होने के बावजूद साझे घर में रहने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए, रिश्तों में एल०बी०टी० महिलाओं की क्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित करेगी।

2.4.36 सरमा परीक्षण, हालांकि, गैर-मानक संबंधों और परिवारों पर उच्च स्तर की जांच बढ़ा सकता है और उन्हें बहिष्कार की ओर ले जा सकता है। इसके अलावा, अनिवार्य आवश्यकताएं जो एक जोड़े को, खुद को दुनिया के सामने पति-पत्नी के समान रखने के लिए बाध्य करती हैं, वे क्वीयर संबंधों के लिए भी हानिकारक

हो सकते हैं, जो इस तरह के खुलासे के परिणामस्वरूप सामाजिक नुकसान और भेदभावपूर्ण व्यवहार के शिकार हो सकते हैं।

2.4.37 विशेष रूप से, 2018 में, भारत के विधि आयोग ने नागरिक भागीदारी मॉडल के माध्यम से कानूनी मान्यता के प्रस्ताव पर क्वीयर समुदाय के साथ जुड़ने में रुचि व्यक्त की, जो रख-रखाव और ऐसे अन्य लाभों तक समान पहुंच प्रदान कर सकता है।¹³¹

3- सामाजिक सुरक्षा

2.4.38 हालांकि अब तक की चर्चा रख-रखाव कानून की रूपरेखा, आर्थिक सुरक्षा के लिए संबंधपरक दावों तक सीमित है। क्वीयर व्यक्ति जो अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा/शोकाकुल हैं, उनके पास आर्थिक संसाधनों के अधिशेष तक पहुंच नहीं है जो केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा, आवास और शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा, जीवित रहने के लिए सड़क पर श्रम करने वाले श्रमिक वर्ग के क्वीयर समुदाय जानते हैं कि कानूनी मान्यता ने उनकी भौतिक वास्तविकताओं को नहीं बदला है।

2.4.39 जैसा कि पिछले अनुभाग में चर्चा की गई है, भरण-पोषण संबंधी कानून के तर्क का आधार गरीबी को कम करना है। निश्चित रूप से, इस तरह के वैध राज्य हित आर्थिक सुरक्षा को वैवाहिक स्थिति पर आकस्मिक नहीं बना सकते हैं। इसलिए, वैवाहिक स्थिति के बावजूद समलैंगिक व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हेतु सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक प्रगतिशील एजेंडे के साथ समानता की मांग की जा सकती है, ताकि कानून वास्तव में हाशिए के जीवन पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाल सके। यह श्रम अधिकारों के ढांचे में क्वीयर व्यक्तियों की चिंताओं को एकीकृत करने के साथ-साथ ऐसे मौजूदा कानूनों और नीतियों को मजबूत करने के द्वारा आगे बढ़ सकता है, जो समलैंगिक व्यक्तियों और अन्य हाशिए के समूहों को अधिकार प्रदान करते हैं।

2.4.40 श्रम पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग (2002) ने यौनकर्मियों को स्व-नियोजित श्रमिकों के रूप में सामाजिक सुरक्षा और सभी श्रम अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने की सिफारिश की।¹³² हालांकि, यौनकर्मियों को आयोग की सिफारिशों के अनुसार, स्व-नियोजित श्रमिकों¹³³ या असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों¹³⁴ की परिभाषाओं

के अनुरूप, अधिनियमित सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020)¹³⁵ के तहत साफ़ तौर पर शामिल नहीं करता है। यह संहिता, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948- एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कानून - जो पहली बार 2005-2020 के बीच विभिन्न नीतियों के तहत बेरोजगारी बीमा¹³⁶ के लिए प्रदान किया गया है, को समाहित करती है। ऐसी सामाजिक सुरक्षा नीतियां आम तौर पर स्वास्थ्य, विकलांगता, वृद्धावस्था सुरक्षा, आवास, बच्चों की देखभाल और शिक्षा से संबंधित लाभों तक पहुंच प्रदान करती हैं।

2.4.41 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पेंशन योजनाएँ आम तौर पर काम के संगठित क्षेत्रों में वृद्ध आबादी, विकलांग व्यक्तियों और गरीबी उन्मूलन के लिए विधवाओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं। हालांकि, सामाजिक आंदोलन इस तरह के सामाजिक सुरक्षा उपायों से बाहर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के विशाल बहुमत को एकत्रित कर रहे हैं, और अन्य वंचित समूहों जैसे सेक्स वर्कर्स, ट्रांस व्यक्तियों और एच०आई०वी० के साथ रहने वाले व्यक्तियों को शामिल करना चाहते हैं, जिनकी विशेष कमजोरियां उम्र से परे हैं क्योंकि वे ऐतिहासिक रूप से काम की दुनिया से हाशिए पर हैं।¹³⁷ एकल महिलाएँ (निराश्रित, तलाकशुदा, अलग, कभी शादी नहीं की, महिला प्रधान परिवार आदि) भी गरीबी के स्त्रीकरण के निवारण को शामिल करने के लिए एक मामला पेश करती हैं।

2.4.42 एच०आई०वी० अधिनियम में केंद्र और राज्य सरकारों को पी०एल०एच०आई०वी० और उनके परिवारों के लिए मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाने के साथ-साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को स्पष्ट रूप से संबोधित करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने की आवश्यकता है - जो ट्रांस लोगों, यौनकर्मियों, 'पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष' और एच०आई०वी० के साथ रहने वाले लोगों को राहत प्रदान कर सकती हैं।¹³⁸

2.4.43 हाल ही में अधिनियमित ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के लिए उपयुक्त सरकार को ट्रांस व्यक्तियों के लिए मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ, उनकी सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को स्पष्ट रूप से संबोधित करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं की रूप-रेखा तैयार करने की आवश्यकता है।¹³⁹ अधिनियम के तहत जारी किए गए नियम स्पष्ट करते हैं कि उपयुक्त सरकारों को विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास, खाद्य सुरक्षा, पेंशन, रोजगार और वित्तीय सेवाओं में शामिल करने के लिए कल्याणकारी उपायों को तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए।¹⁴⁰

4- संपत्ति के अधिकार

2.4.44 मृत्यु पर किसी व्यक्ति की संपत्ति के वितरण का तरीका कानून में दो मार्गों से होता है:

- (i) वसीयतनामा उत्तराधिकार, यानी, वसीयत द्वारा, जो मुख्य रूप से सभी समुदायों (मुस्लिमों को छोड़कर) के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 ('आई०एस०ए०') द्वारा शासित है, और
- (ii) निर्वसीयत उत्तराधिकार (वसीयत के अभाव में), समुदाय-विशिष्ट कानूनों, रीति-रिवाजों के साथ-साथ आई०एस०ए० के मिश्रण द्वारा शासित होता है।

2.4.45 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 हिंदुओं के लिए संपत्ति के निर्वसीयत उत्तराधिकार पर लागू होता है। पारसी और मुसलमान प्रथागत कानून द्वारा शासित होते हैं; मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 मुस्लिम समुदाय के लिए इसे संहिताबद्ध करता है। जबकि आई०एस०ए० समान रूप से, मृत व्यक्ति के संबंध में कानूनी उत्तराधिकारी की निकटता (शादी, जन्म या गोद लेने के द्वारा) को प्राथमिकता देता है, समुदाय-विशिष्ट कानून पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों (शादी, जन्म या गोद लेने) के लिए उत्तराधिकार की विभिन्न योजनाओं को अपनाते हैं।¹⁴¹ इसके अतिरिक्त, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 21 और 21ए में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति (हिंदुओं को छोड़कर) कानून के तहत विवाह को संपन्न और पंजीकृत करता है, वह संपत्ति के उत्तराधिकार के उद्देश्यों के लिए आई०एस०ए० द्वारा शासित होगा।

2.4.46 एक दुर्लभ मामले में, विद्याधारी और अन्य बनाम सुखराना बाई और अन्य¹⁴², सर्वोच्च अदालत ने वैवाहिक स्थिति से परे उत्तराधिकार कानून लागू किया, जहां एक प्रतिस्पर्धी के रूप में कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के दावे के खिलाफ (हालांकि सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के अनुपात में उसके हिस्से की रक्षा करते हुए), पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और मृतक के अन्य मृत्यु लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र उस महिला को दिया गया, जिसके साथ वह 20 साल तक रहा और 4 बच्चों की परवरिश की। अदालत ने स्पष्ट किया कि 'वास्तविक पत्नी' कानून के तहत कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में योग्य नहीं है और केवल कानून में मान्यता प्राप्त कानूनी उत्तराधिकारियों (बच्चों और कानूनी रूप से विवाहित पत्नी) के लिए मृतक की संपत्ति रखने की अधिकारी है। हालांकि, जैसा कि मृतक ने उसे उक्त लाभों के लिए नामांकित किया था, वास्तविक पत्नी धारा 372, आई०एस०ए० के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कानूनी रूप से एक आवेदन दायर कर सकती है - जिसके लिए एक व्यक्ति को 'याचिकाकर्ता का दावा करने

का अधिकार' बताने की आवश्यकता होती है। कानून के इस तरह के विकास, पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और उनसे उत्पन्न होने वाले अन्य मृत्यु लाभों जैसे आर्थिक अधिकारों तक पहुंच के सवाल और विवाह (लिव-इन रिलेशनशिप) की प्रकृति में क़ीयर संबंधों की मान्यता और कानूनी अवधारणा के रूप में सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जहां पारिवारिक और वैवाहिक संबंध की कानूनी अवधारणा का विस्तार 'वास्तविक साथियों' को समायोजित करने के लिए होता है।

2.4.47 एल०बी०टी० समूहों ने लैंगिक समानता और विविध परिवारों की मान्यता के साथ उत्तराधिकार कानूनों में बहिष्कार के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की है, कानून के द्वारा डाले जाने वाले वास्तविक और तात्कालिक परिणामों के कारण, जो विशेष रूप से ट्रांस व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर पड़ता है।¹⁴³

2.4.48 स्वीटी बनाम आम समाज¹⁴⁴ में, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2016 में गुरु-चेला परम्परा के किन्नर रिवाज के अनुसार संपत्ति के उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांतों पर एक निर्णय दिया। अदालत ने अपीलकर्ता के गुरु को जिनका नाम ट्रांस व्यक्ति के राशन कार्ड, बैंक खाते आदि में परिलक्षित होता है, को मृतक (गुरु) की संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए कानूनी उत्तराधिकारी माना। अदालत ने विशेष रूप से घोषित किया कि मृतक ट्रांस व्यक्ति के (धार्मिक) समुदाय-विशिष्ट नाम के आधार पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने का कोई अनुमान नहीं था, विशेष रूप से, जब अपीलकर्ता ने रिश्ते को साबित करने के लिए सफलतापूर्वक साक्ष्य प्रस्तुत किया था, कि उसका सम्बन्ध गुरु-चेला परम्परा द्वारा शासित था (पैरा 12-14)। 1989 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्णय ने गुरु-चेला प्रथा के अनुसार संपत्ति के उत्तराधिकार की कानूनी वैधता को बरकरार रखा, और इसे सार्वजनिक नीति के विरोध में घोषित नहीं किया।¹⁴⁵ ये मामले हिजड़ा घरानों/घरों में, कानून में गैर-वैवाहिक संबंधों की महत्वपूर्ण मान्यता के साथ-साथ विविध परिवार प्रणालियों के तहत आर्थिक अधिकारों तक पहुंच का संकेत देते हैं।

2.4.49 ऐसे ट्रांस व्यक्ति जो आई०एस०ए० या समुदाय-विशिष्ट कानूनों द्वारा निर्वसीयत उत्तराधिकार पर शासित हो सकते हैं, वे शादी, जन्म या गोद लेने के संबंधों द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण को बहिष्कृत करने वाला मान सकते हैं, क्योंकि ये प्रणालियाँ यह नहीं बताती कि ट्रांस व्यक्ति परिवारों और घरेलू व्यवस्थाओं को कैसे व्यवस्थित करते हैं, और इसलिए, इस हद तक, आई०एस०ए० और समुदाय-विशिष्ट कानूनों के प्रावधान, लैंगिक पहचान के आधार पर अप्रत्यक्ष भेदभाव का गठन कर सकते हैं। (मधु, नवतेज, नितिशा)

2.4.50 हाल के एक विधायी विकास में, उत्तर प्रदेश ने अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत 'परिवार' की परिभाषा में संशोधन किया, ताकि कृषि भूमि के उत्तराधिकार के लिए 'तृतीय लिंग' व्यक्तियों (साथी के साथ-साथ बच्चों) को भी शामिल किया जा सके।

5- आवास

2.4.51 कृषीय व्यक्तियों को नौकरी की सुरक्षा की कमी होती है और वे जबरन बेदखली का शिकार होते हैं, क्योंकि भारत में किरायेदारी कानूनों में, जैसे कि दिल्ली, कर्नाटक और पंजाब में, यह धारणा अंतर्निहित है कि किराये का आवास, पट्टाधारक और विवाह, जन्म से संबंधित परिवार के सदस्यों द्वारा उपयोग के लिए है।¹⁴⁷

2.4.52 किरायेदारी कानूनों के तहत 'परिवार' के एक हेट्रो-नोर्मेटिव निर्माण को आगे रखने के अलावा, महाराष्ट्र¹⁴⁸, पश्चिम बंगाल¹⁴⁹ और तमिलनाडु¹⁵⁰ तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी¹⁵¹ जैसे राज्यों के पट्टे के समझौते, नैतिकता की मांग करते हैं।

2.4.53 इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, जमींदारों को छूट देते हैं कि वे 'सामाजिक उपद्रव' माने जाने वाले किरायेदारों को बेदखल कर सकें, जिसे स्पष्ट रूप से वेश्यावृत्ति आदि में शामिल होने के रूप में परिभाषित किया गया है।¹⁵² ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अक्सर किफायती आवास तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही सेक्स वर्क में वास्तविक या कथित भागीदारी के आधार पर किरायेदारों को चित्रित करने वाले किराएदारी के कानून, पर्याप्त आवास के अधिकार के उल्लंघन के प्रति ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की कमजोरी को और बढ़ा देती है। यह तर्क कि इस तरह के इंकार 'लिंग और कथित अपराध (अपराधों)' के आधार पर होते हैं, और इसलिए केवल लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण नहीं है, नवतेज केस के प्रतिच्छेदन भेदभाव के विश्लेषण के विपरीत है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सेक्स कार्य में संलग्नता को लिंग के आधार पर ऐतिहासिक अलाभ की स्थिति के सामाजिक-आर्थिक परिणाम के रूप में स्थापित करता है। मधु, नीतिशा और नालसा के अनुसार अनुच्छेद 15 के तहत लैंगिक पहचान के आधार पर इस तरह की प्रथाएं यकीनन अप्रत्यक्ष भेदभाव का गठन कर सकती हैं, क्योंकि यौन कार्य में संलग्नता के आधार पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आवास से वंचित करने का प्रभाव, एक वर्ग के रूप में उनके सामाजिक और आर्थिक हाशियाकरण को बढ़ाता है।

2.4.54 घर के स्वामित्व को नियंत्रित करने वाले राज्य स्तरीय सहकारी समिति कानून अलग नहीं हैं। ये कानून अक्सर किसी भी दो व्यक्तियों को संयुक्त रूप से एक फ्लैट खरीदने की अनुमति देते हैं जो एक दूसरे से संबंधित नहीं हो सकते हैं और उन्हें सदस्य और सहयोगी/संयुक्त सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है। हालांकि, अधिकांश कानूनों में कहा गया है कि सहयोगी सदस्य को फ्लैट के स्वामित्व में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। सदस्य की मृत्यु के मामले में, फ्लैट मृत सदस्य के कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम पर हस्तांतरित किया जाता है।¹⁵⁴

2.4.55 रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 ('रेरा') को रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया था। रैरा अधिनियम के तहत रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण को प्रत्येक रीयल एस्टेट परियोजना के पंजीकरण के आवेदन के लिए एक प्रमोटर (बिल्डर, डेवलपर के साथ-साथ एक सहकारी हाउसिंग सोसाइटी) की आवश्यकता होती है;¹⁵⁵ पंजीकरण की शर्तों का पालन करने/उल्लंघन करने में विफल रहने पर पंजीकरण रद्द किया जा सकता है (धारा 7)। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में राज्य-स्तरीय रैरा नियम, स्पष्ट रूप से प्रमोटर को उक्त पंजीकरण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी अपार्टमेंट, भूखंड या भवन के आवंटन के संबंध में, प्रमोटर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, 'सेक्स' या 'वैवाहिक स्थिति'¹⁵⁶ के आधार पर किसी भी आवंटी के साथ भेदभाव नहीं करेगा।। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों को, किसी भी आधार को निर्दिष्ट किए बिना भेदभाव-विरोधी संबंध में एक सामान्य घोषणा की आवश्यकता है।

2.4.56 यह बात अब निर्विवाद रूप से मान्य है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए संवैधानिक उपचार, विशेष रूप से अनुच्छेद 15 (सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच में गैर-भेदभाव), 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन), 19 (व्यवसाय करने की स्वतंत्रता), 21 (जीवन और स्वतंत्रता) के तहत और 23 (जबरन श्रम) का दावा राज्य के साथ-साथ गैर-राज्य पार्टियों (निजी व्यक्तियों और संस्थाओं) के खिलाफ किया जा सकता है।¹⁵⁷

2.4.57 आवास तक पहुंच संपत्ति विनियमों के हस्तांतरण की निष्पक्षता को भी दर्शाता है। अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अचल संपत्ति को अपने साथियों को हस्तांतरित करने का इरादा रखने वाले कृषि लोग, विषमलैंगिक विवाहित जोड़ों की तुलना में उच्च स्टांप शुल्क का भुगतान करने के वित्तीय बोझ के खिलाफ आएंगे।¹⁵⁸ यदि कृषि लोग गिफ्ट डीड द्वारा अपने साथियों को पूर्ण स्वामित्व वाली अचल संपत्ति हस्तांतरित करने का

विकल्प चुनते हैं, तो वे संपत्ति के बाजार मूल्य पर 5% स्टांप शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि विषमलैंगिक विवाहित जोड़ों को उसी लेन-देन के लिए 3% स्टांप शुल्क का भुगतान करना होता है। भले ही यह अंतर नाममात्र का प्रतीत हो, यह वैवाहिक स्थिति, यौन उन्मुखता और लिंग पहचान के आधार पर अनुचित और भेदभावपूर्ण व्यवहार के लिए कानून और समाज में गलत मिसाल कायम करता है। एक आवासीय फ्लैट के हस्तांतरण के संदर्भ में यह भेदभाव और भी अधिक है, जहां विषमलैंगिक विवाहित जोड़े केवल 200 रुपये के मामूली स्टांप शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, जबकि रिश्ते की कानूनी मान्यता की कमी के कारण, एक समलैंगिक जोड़ा आवासीय फ्लैट के बाजार मूल्य पर 5% स्टांप शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा,¹⁵⁹ जो निषेधात्मक रूप से महंगा हो सकता है और समलैंगिक लोगों के लिए परिवार के आयोजन के संगठन और अंतरंग पहलुओं में हस्तक्षेप कर सकता है।

2.4.58 इस दुविधा के दो दृष्टिकोण हैं; सबसे पहले, इस तरह के नियम विवाह कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने का आधार हो सकते हैं, जो समलैंगिक संबंधों को मान्यता नहीं देते हैं, और फिर वो समलैंगिक लोगों पर असमान वित्तीय बोझ डालते हैं। दूसरे, वैवाहिक स्थिति को मौलिक सामाजिक और आर्थिक अधिकारों का दावा करने से अलग करने के लिए, नियमों की संवैधानिक वैधता को वैवाहिक स्थिति के बावजूद समान देनदारियों को निर्धारित करने के लिए चुनौती दी जा सकती है, और इस प्रकार लंबे समय तक सहवास करने वाले साथियों (क्रीयर या विषमलैंगिक), जो विवाह नहीं करते, को एक जैसे लेन-देन करने के लिए स्वायत्तता की छूट दी जा सकती है।

2.4.59 शहरी गरीबों में, मलिन बस्तियों/अनौपचारिक बस्तियों में भूमि अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानून भी, किसी व्यक्ति और विवाह या जन्म से संबंधित किसी को भी, हित, अधिकार या टाइटल प्रदान करते हैं। हालांकि, एक व्यक्ति के नेतृत्व वाले परिवार के मामले में, हित, अधिकार या टाइटल व्यक्ति के नाम पर दर्ज किया जाता है।¹⁶⁰

2.4.60 शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना (एस०यू०एच०) स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा, पानी, स्वच्छता, बाल देखभाल, शिक्षा, आजीविका के संबंध में सामाजिक सुरक्षा उपायों तक पहुंच प्रदान करती है और उन व्यक्तियों के लिए किफायती आवास तक रास्ता प्रदान करती है, जिनके पास घर नहीं है (किराए पर या स्व-स्वामित्व) और सार्वजनिक स्थानों पर या मानव निवास के लिए अनुपयुक्त स्थानों पर रहते हैं और सोते हैं।¹⁶¹ होमलेस शेल्टर, आश्रित बच्चों, वृद्धों, विकलांग व्यक्तियों या मानसिक बीमारियों वाले व्यक्तियों और अकेली

महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए लक्षित सेवाएं प्रदान करते हैं, और काम करने वाले पुरुषों / महिलाओं के छात्रावासों तथा सामाजिक आवासों के लिए एक रास्ता बन कर सभी के लिए पर्याप्त आवास के अधिकार को साकार करने में पहले कदम के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि, वर्तमान में, यह योजना क्वीयर व्यक्तियों के बेघर होने की असुरक्षा को नहीं पहचानती है और इस कारण इस चिंता को दूर नहीं करती है।

2.4.61 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा राज्यों को गोद लेने के लिए जारी किए गए मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2019 ('एम०टी०ए०') का उद्देश्य विशेष रूप से प्रवासियों, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों, पेशेवरों, छात्रों और शहरी गरीबों के लिए एक समावेशी किरायेदारी बाजार को बढ़ावा देना है। एम०टी०ए०, हालांकि, सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सामाजिक आवास पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, क्योंकि यह छात्रावास, सामूहिक आवास व्यवस्था और सामुदायिक भूमि ट्रस्ट प्रदान नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, यह भी सुझाव है कि जाति, धर्म, जन्म स्थान, यौन उन्मुखता, लिंग पहचान या वैवाहिक स्थिति के आधार पर सुरक्षा के लिए किसी भी भेदभाव-विरोधी प्रावधान का अभाव होने के बावजूद, राज्य किरायेदारी समझौतों में नैतिकता की धारा को अपनाते हैं।¹⁶²

2.4.62 ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के प्रावधानों को परिवार से अलग हुए किसी भी ट्रांस व्यक्ति के लिए 'पुनर्वास केंद्र' पर व्यक्तिगत स्वायत्तता के अधिकारों का उल्लंघन करने और मानवीय गरिमा के साथ जीने के रूप में चुनौती दी गई है।¹⁶³ किफायती आवास पर अधिकार आधारित दृष्टिकोण, उक्त अधिनियम और नियमों के तहत संबोधित किया जा सकता है, जो खाद्य सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता तक पहुंच प्रदान करने हेतु, हाशियाकृत ट्रांस व्यक्तियों के लिए किफायती आवास, आश्रयों और सामुदायिक केंद्रों पर कल्याणकारी योजनाएं बनाने के लिए उपयुक्त सरकारों को बाध्य करता है।¹⁶⁴

2.4.63 बेघरों के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया में एक असंगत द्विभाजन मौजूद है - किफायती आवास के अधिकार को सक्षम करने के बजाय, वर्तमान में भिखारी विरोधी कानून लागू किए गए हैं, जो वास्तव में बेघरों को अपराधी बनाते हैं। इस तरह के कानून, वर्तमान में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कानून या कार्यकारी आदेशों के माध्यम से लागू हैं, और उनके प्रवर्तन गरीबों को जेल और सड़क के बीच एक घूमने वाले दरवाजे में फंसा देता है, जिनमें कई ट्रांस व्यक्ति भी शामिल हैं।

2.4.64 दिल्ली¹⁶⁵ और जम्मू-कश्मीर¹⁶⁶ के उच्च न्यायालयों ने स्थानीय भिक्षावृत्ति विरोधी कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए) और (डी) और 21 के उल्लंघन के रूप में रद्द कर दिया है, इस आधार पर कि ऐसे कानून अनिवार्य रूप से गरीबी या बेघर होने की स्थिति को दंडित करते हैं। दोनों मामलों में, कानून, अर्थव्यवस्था और अपराध के सूक्ष्म विश्लेषण से अदालतें बड़े पैमाने पर भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने के लिए प्रेरित हुईं। अदालतों ने देखा कि भीख मांगना गरीबी, भूमिहीनता और जाति-आधारित भेदभाव से जुड़ा हुआ है, और यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह धन, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं के पुनर्वितरण के माध्यम से ऐसी असमानताओं को दूर करे। अदालतों ने निष्कर्ष निकाला कि इस तरह की असमानताओं को दूर करने में राज्य की विफलता के चलते, भीख मांगने के मुद्दे को एक दंडात्मक मॉडल के माध्यम से संबोधित किए जाने की बजाय एक आर्थिक/गरीबी मॉडल के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए।

2.4.65 यौन कर्मियों में काम की सुरक्षा का भी अभाव होता है और वे कानून में जबरन बेदखली के शिकार होते हैं। यौन कार्य अपने आप में एक अपराध नहीं है, हालांकि, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 ('आई०टी०पी०ए०') के तहत सहमति से वयस्क यौनकर्मियों को कानून में मानव तस्करी के पीड़ितों के साथ जोड़ा जाता है। आई०टी०पी०ए० घर से वेश्यालय चलाने को अपराध बना देता है, और उल्लंघन होने पर बिना किसी अपील के घर से बेदखल कर दिया जाता है।¹⁶⁷ इसलिए कानून यौनकर्मियों को सुरक्षित रूप से काम करने से रोकता है और उन्हें वास्तविक हिरासत और सड़क के बीच एक गोल घूमने वाले दरवाजे में फँसा देता है। भीख मांगने और बेघर होने को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का निर्णय, एक दंड आधारित मॉडल से एक आर्थिक मॉडल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक कानूनी रणनीति को सबक प्रदान कर सकता है। इसके अलावा, अप्रत्यक्ष भेदभाव (मधु, नितिशा) के साथ-साथ प्रतिच्छेदन भेदभाव (नवतेज) के कानूनी सिद्धांतों को विकसित करने के लिए आर्थिक विश्लेषण का आवश्यक घटक, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के रूप में श्रम अधिकारों के ढांचे के भीतर यौनकर्मियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, लिंग, जाति और वर्ग के चश्मे से यौन कार्य के अपराधीकरण पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है।

6 - संरक्षकता, दत्तक ग्रहण और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी

2.4.66 संरक्षकता का संदर्भ सामूहिक रूप से अधिकारों और दायित्वों से है, जिसका उपयोग एक वयस्क, कानूनन नाबालिग की व्यक्तित्व और संपत्ति के संबंध में करता है। नाबालिग की अभिरक्षा की धारणा इससे निकटता से जुड़ी हुई है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में यह बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक (माता, पिता) होता है जिसके पास अभिरक्षा होती है। ये रिश्ते संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 के तहत शासित होते हैं, जो धर्म से परे लागू होते हैं, जबकि हिंदू नाबालिग और संरक्षकता अधिनियम, 1956 विशेष रूप से हिंदुओं पर लागू होता है।

2.4.67 दोनों कानूनों ने मूल रूप से, माता को बहिष्कृत करके, नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक के रूप में पिता को प्राथमिकता दी थी। गीता हरिहरन बनाम भारतीय संघ¹⁶⁸ में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताने के लिए हिंदू कानून की व्याख्या की कि "पिता की अनुपस्थिति में" माँ बच्चे की स्वाभाविक संरक्षक हो सकती है। 2010 में धर्मनिरपेक्ष कानून में संशोधन किया गया था ताकि पिता के साथ-साथ माता को नाबालिग की समान संरक्षकता प्रदान की जा सके।¹⁶⁹

2.4.68 हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956 ('एच०ए०एम०ए०') एकमात्र समुदाय-विशिष्ट कानून है, जो कानून में गोद लेने को स्पष्ट रूप से मान्यता देता है, और जो गोद लिए गए बच्चों से जुड़े रखरखाव, अधिकारों और जिम्मेदारियों पर क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। वैध तरीके से गोद लेने के लिए शर्तें निर्धारित करने में, कानून कहता है कि गोद लेने वाले व्यक्ति के पास गोद लेने की 'क्षमता' और 'अधिकार' होना चाहिए।¹⁷⁰

2.4.69 कानून स्पष्ट करता है कि, वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना, हिंदू पुरुष और महिलाएं दोनों, जो स्वस्थ दिमाग के हैं और न्यूनतम उम्र की सीमा पार कर चुके हैं, कानून में गोद लेने की क्षमता रखते हैं।¹⁷¹

2.4.70 दत्तक ग्रहण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों¹⁷² और किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 ('जे०जे० अधिनियम') के परिणामस्वरूप गठित केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी ('कारा') ईसाई, मुस्लिम और पारसी समुदायों के लिए दत्तक ग्रहण तक पहुंच प्रदान करती है, जैसा कि शबनम हाशमी बनाम भारतीय संघ में स्पष्ट किया गया है।¹⁷³

2.4.71 पात्रता मानदंडों के संदर्भ में, जे०जे० अधिनियम कहता है कि भावी दत्तक माता-पिता को शारीरिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सतर्क और बच्चे को अच्छी परवरिश देने के लिए अत्यधिक प्रेरित होना चाहिए। अविवाहित या तलाकशुदा व्यक्ति गोद ले सकते हैं,¹⁷⁴ जो कारा विनियमों के तहत अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन है।¹⁷⁵

2.4.72 कारा विनियमों में कहा गया है कि 'बच्चे का सर्वोत्तम हित' किसी भी दत्तक-ग्रहण स्थापन को शासित करने वाला मूलभूत सिद्धांत होगा।¹⁷⁶ कोई भी संभावित दत्तक माता-पिता, 'वैवाहिक स्थिति' की परवाह किए बिना, बच्चे को गोद ले सकते हैं। हालांकि, किसी भी बच्चे को किसी 'युगल' को गोद लेने के लिए तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उनके पास कम से कम दो साल का स्थिर 'वैवाहिक संबंध' न हो।¹⁷⁷ जबकि ये नियम एकल क्वीयर व्यक्तियों को गोद लेने की अनुमति दे सकते हैं, वे स्पष्ट रूप से विवाह (लिव-इन रिलेशनशिप) की प्रकृति में संबंधों को, गोद लेने की पात्रता से अयोग्य घोषित करते हैं, चाहे वे क्वीयर हों या विषमलैंगिक।

2.4.73 सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020 ('ए०आर०टी० विधेयक') पर वर्तमान में संसद द्वारा विचार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी सेवाओं और ऐसी सेवाओं की पेशकश करने वालों को विनियमित करना है। 'ए०आर०टी० विधेयक एक "कमीशनिंग जोड़े" को एक "बांझ विवाहित जोड़े" के रूप में परिभाषित करता है जो 'ए०आर०टी० सेवाएं चाहता है,¹⁷⁸ और "बांझपन" को बिना गर्भ निरोध के उपायों के यौन संभोग के एक वर्ष के बाद भी गर्भ धारण करने में असमर्थता के रूप में समझा जाता है या अन्य सिद्ध हो चुके चिकित्सा कारण के चलते एक जोड़े की गर्भाधान में असक्षमता के रूप में।¹⁷⁹ प्रस्तावित कानून के तहत एकल महिलाओं को 'ए०आर०टी० सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है।¹⁸⁰

2.4.74 इसके अतिरिक्त, सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2020 पर भी सरोगेसी की प्रथा के नियमन के लिए संसद द्वारा विचार किया जा रहा है। यह विधेयक एक "इच्छुक युगल" को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ विवाह की कानूनी आयु से ऊपर के विवाहित भारतीय पुरुष और महिला हैं, जो प्रमाणित रूप से बांझ हैं और जो सरोगेसी के माध्यम से माता-पिता बनने का इरादा रखते हैं।¹⁸¹ यह "बांझपन" पर ए०आर०टी० विधेयक के समान वैचारिक परिभाषा साझा करता है। यह विधेयक वाणिज्यिक सरोगेसी¹⁸² पर रोक लगाने और केवल परोपकारी सरोगेसी¹⁸³ की अनुमति देने का प्रयास करता है। लोकसभा में पारित होने के बाद, राज्य सभा

प्रवर समिति ने इच्छुक माता-पिता के दायरे को चौड़ा करने की सिफारिश की जिसमें एकल महिलाएं शामिल थीं जो पूर्व में विवाहित थीं और बाद में तलाकशुदा या विधवा थीं।¹⁸⁴ रिपोर्ट अकेले पुरुषों और क्वीयर व्यक्तियों पर पूरी तरह से चुप है।

2.4.75 इच्छुक जोड़े के 'निकट संबंध के आधार पर, महिलाओं के दायरे को सीमित करने के लिए, जिससे पहले से ही मौजूद पितृसत्तात्मक और शोषक परिवारों¹⁸⁵ में महिलाओं के खिलाफ समस्या बढ़ेगी तथा सरोगेसी के माध्यम से माता-पिता बनने का इरादा रखने वाले क्वीयर व्यक्तियों को बाहर रखने के लिए¹⁸⁶, सरोगेसी बिल की नारीवादी और सार्वजनिक स्वास्थ्य समूहों द्वारा आलोचना की गई है। ए०आर०टी० और सरोगेसी बिल दोनों के तहत बांझपन की नैदानिक परिभाषा सेक्स और बच्चे पैदा करने के रूप में विवाहित, योनि-लिंग संभोग में संलग्न विषमलैंगिक व्यक्तियों के हेट्रो-नॉर्मेटिव रूढ़ियों के आधार पर आगे बढ़ती है (अनुज गर्ग)। नतीजतन, वे भेदभावपूर्ण हैं (मधु, नवतेज, नितिशा), क्योंकि इनमें ए०आर०टी० और सरोगेसी सेवाओं तक पहुंच रखने वाले उन इच्छुक माता-पिताओं को बहिष्कृत कर दिया जाता है, जो 'सामाजिक रूप से बांझ'¹⁸⁷ हो सकते हैं, जैसे कि एकल व्यक्ति, और रिश्ते में रह रहे क्वीयर लोग जो अपनी पसंद और/या पहचान के चलते इस विशिष्ट यौन गतिविधि में भाग नहीं ले सकते।

2.4.76 इस संबंध में महत्वपूर्ण रूप से, योग्यकर्ता सिद्धांत¹⁸⁸ को भारतीय कानून के तहत लागू करने के लिए पूरी तरह से आंतरिक बनाया गया है। नवतेज केस ¹⁸⁹ ने इस स्थिति की फिर से पुष्टि की है। योग्यकर्ता सिद्धांतों के अनुच्छेद 24 में विशेष रूप से राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी विधायी, प्रशासनिक या अन्य उपायों को अपनाने की आवश्यकता है:

- i. यौन उन्मुखता या लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव के बिना गोद लेने या सहायक प्रजनन तकनीक तक पहुंच सहित परिवार बनाने का अधिकार;
- ii. इस तरह के कानून और नीतियां परिवार के रूपों की विविधता को पहचानेंगी, जिनमें वे भी शामिल हैं जो वंश या विवाह द्वारा परिभाषित नहीं हैं, और परिवार से संबंधित सामाजिक कल्याण और अन्य सार्वजनिक लाभों के संबंध में किसी भी परिवार या उसके किसी भी सदस्य को यौन उन्मुखता या लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव के अधीन नहीं किया जा सकता है
- iii. बच्चों से संबंधित मामलों में, कानून की अदालतों, प्रशासनिक अधिकारियों या विधायी निकायों को प्राथमिक विचार के रूप में 'बच्चे के सर्वोत्तम हित' के मानक को लागू करना चाहिए, और किसी बच्चे या

परिवार के किसी सदस्य की यौन उन्मुखता या लैंगिक पहचान के साथ ऐसे सर्वोत्तम हित को असंगत नहीं माना जा सकता है।

iv. समान सेक्स विवाह या पंजीकृत साझेदारी की मान्यता, और विभिन्न सेक्स विवाह या अविवाहित या पंजीकृत साथियों के लिए उपलब्ध कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या लाभ, समान-सेक्स विवाहित या पंजीकृत साथियों और भागीदारों के लिए समान रूप से उपलब्ध है।

2.4.77 2017 में, योग्यकर्ता सिद्धांतों को यौनिकता, लैंगिक पहचान और यौन विशेषताओं के साथ कानून के प्रतिच्छेदन की समझ में विकास के कारण संशोधित किया गया था¹⁹⁰ ताकि राज्य यह सुनिश्चित कर सके कि अनुच्छेद 24 के तहत परिवार स्थापित करने के अधिकार के संबंध में सरोगेसी, जहां कानूनी है, वहाँ वह यौन उन्मुखता, लैंगिक पहचान, लैंगिक अभिव्यक्ति या यौन विशेषताओं के आधार पर भेदभाव के बिना प्रदान की जाती है। इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत भारत के बाध्यकारी दायित्वों के अनुसार, वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना, कृीयर व्यक्तियों और रिश्तों को गोद लेने और सहायक प्रजनन तकनीकों (सरोगेसी सहित), द्वारा माता-पिता बनने का समान अधिकार है।

2.4.78 सरोगेसी बि 2016 के पिछले संस्करण¹⁹¹ पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट, वाणिज्यिक सरोगेसी के निषेध को हतोत्साहित करती है और सरोगेसी में संलग्न सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए की पृष्ठभूमि से महिलाओं के लिए उपलब्ध सीमित आर्थिक अवसरों की मान्यता में पर्याप्त मुआवजे के प्रावधान की सिफारिश करती है। समिति ने नारीवादी समूहों की प्रतिक्रिया पर भी ध्यान दिया कि महिलाओं को बिना किसी मुआवजे या लाभ के परोपकारी सरोगेसी से गुजरने के लिए मजबूर करना संविधान के अनुच्छेद 23 में जबरन श्रम के खिलाफ सुरक्षा का उल्लंघन कर सकता है।

2.4.79 वाणिज्यिक सरोगेसी पर पूर्ण प्रतिबंध, स्पष्ट रूप से सरोगेसी में संलग्न गरीब महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए, पेड़ों को चुन कर जंगल को छोड़ देने जैसा है। सरोगेट्स के अनुभव, एक नियामक मॉडल के तहत स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए कानून में पर्याप्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को सूचित करते हैं; इस गतिविधि को प्रतिबंधित करने वाले एक निषेध आधारित मॉडल, निश्चित तौर पर पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाली उन महिलाओं की खराब स्थितियों को और बदतर करेगा, जो सरोगेसी में संलग्न हैं, वे आजीविका के लिए सेक्स कार्य में संलग्न होने के लिए बाध्य होंगी।¹⁹²

2.4.80 यौन कार्य के समानांतर सरोगेसी में महिलाओं की भूमिका पर कानूनी नीति चिंता, प्रजनन श्रम के लिए उचित मुआवजे के संबंध में और शोषणकारी कामकाजी परिस्थितियों को संबोधित करने के साथ शारीरिक अखंडता के अधिकार को संतुलित करती है। दलित नारीवादी राजनीति हाशिए पर रहने वाली उन महिलाओं के लिए उपलब्ध आजीविका के पहले से ही कम होते स्रोतों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध जो इस तरह के काम में अधिकतर भाग लेती हैं और जाति, वर्ग और लिंग आदि के कारण हाशिये पर जीने को मजबूर औरतों को होने वाले नुकसानों को कम करने के लिए यह जरूरी भी है।¹⁹³

2.4.81 सहायक प्रजनन तकनीकों के साथ क्वीयर और दलित नारीवादी जुड़ाव दोनों एक 'प्रजनन जाति व्यवस्था' के स्थायीकरण के खिलाफ चेतावनी देते हैं, जो उन विरोधाभासी नीतियों के खिलाफ हैं जहां एक ओर गरीब दलित महिलाओं और परिवारों को बच्चा पैदा करने के लिए दंडित किया जाता है तो दूसरी ओर उच्च तकनीक वाला उर्वरता उद्योग है जो संपन्न उच्च जाति की महिलाओं और परिवारों द्वारा बच्चे पैदा करने को बढ़ावा देता है।¹⁹⁴ जैसा कि हाल के आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 30% सरोगेसी सेवाएं, कड़े नियमों के लागू होने से पहले,¹⁹⁵ एकल माता-पिता या क्वीयर व्यक्तियों द्वारा शुरू की गई थीं, इस तरह की असमानताओं को चुनौती देने का प्रयास, इच्छुक जोड़े के प्रजनन अधिकारों तक सीमित ढांचे से ध्यान हटाकर, उसे सरोगेसी में संलिप्त महिलाओं के प्रजनन न्याय के ढांचे की ओर केन्द्रित कर शुरू किया जा सकता है, जहां एक समान संविदात्मक संबंध हो और कानून में उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके।

2.4.82 एक विश्लेषण, जो वंचित महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर व्यवसायिक सरोगेसी के अपराधीकरण के प्रभाव पर केंद्रित है, जो अक्सर वैकल्पिक आर्थिक अवसरों (मधु, नवतेज, नितिशा) के अभाव में इसका सहारा लेते हैं, इस निषेधवादी नीति की संवैधानिक वैधता पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। सरकार का परोपकारी सरोगेसी का प्रस्ताव स्वैच्छिक रूप से देखभाल करने वाली, घरेलू श्रम और अनिवार्य प्रजनन करने वाली महिलाओं की रूढ़िवादी धारणाओं पर आगे बढ़ता है, यहां तक कि व्यवसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध को 'सुरक्षात्मक भेदभाव' उपाय (अनुज गर्ग) के रूप में पेश किया जाता है। निषेध की नीति गरीब महिलाओं के शोषण को संबोधित करने के घोषित उद्देश्य के लिए एक असमान प्रतिक्रिया का गठन कर सकती है, जिसे अन्यथा एक नियामक मॉडल के तहत संबोधित किया जा सकता है जो महिलाओं को निजी और आर्थिक विकल्पों (पुट्टुस्वामी) के संबंध में सौदेबाजी की बढ़ी हुई शक्ति प्रदान करता है।

7- श्रम कानूनों में साथी को लाभ

2.4.83 कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 कार्यस्थल पर या रोजगार के दौरान चोट, दुर्घटना (व्यवसायिक बीमारियों सहित) या मृत्यु के मामले में श्रमिकों और उनके आश्रितों को मुआवजे के भुगतान का प्रावधान करता है। धारा 2 (5) केवल विवाह, जन्म या गोद लेने से संबंधित व्यक्तियों को शामिल करने के लिए 'आश्रितों' को परिभाषित करती है।

2.4.84 कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 तीन कर्मचारी कल्याण योजनाओं को नियंत्रित करता है:

- i. कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 (ई०पी०एफ०)
- ii. कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ई०पी०एस०)
- iii. कर्मचारी जमा लिंकड बीमा योजना 1976 (ई०डी०एल०आई०)

2.4.85 ई०पी०एस० कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को लाभ के उद्देश्यों के लिए पति/पत्नी और बच्चों को शामिल करते हुए 'परिवार' को परिभाषित करता है। यदि कर्मचारी का कोई 'परिवार' नहीं है, तो उन्हें उनकी मृत्यु पर पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित करने की अनुमति है। हालांकि यदि कर्मचारी बाद में परिवार शुरू करता है तो यह नामांकन रद्द हो जाएगा।¹⁹⁶ इसके अतिरिक्त, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 भी इसी आधार पर संचालित होती है।

2.4.86 ई०पी०एफ० के तहत, कर्मचारी सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या समाप्ति के मामले में भविष्य निधि का दावा करने के हकदार हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति को भी नामित कर सकते हैं जो उनकी मृत्यु के मामले में भविष्य निधि प्राप्त कर सकता है, नियमों के तहत विवाह, जन्म या गोद लेने के द्वारा पूरे 'परिवार' को अपने दायरे में लिया जा सकता है। परिवार न होने की स्थिति में ई०पी०एफ० नियम कर्मचारियों को "किसी अन्य व्यक्ति" को नामांकित करने की अनुमति देते हैं। हालांकि, यदि कर्मचारी परिवार बनाता है, तो उस स्थिति में उक्त नामांकन अमान्य हो जाएगा।¹⁹⁷ कर्मचारियों और परिवार को गृह निर्माण, उच्च शिक्षा, विवाह, बीमारी लाभ आदि के लिए आर्थिक सहायता जैसे लाभ प्राप्त होते हैं।¹⁹⁸ ई०डी०एल०आई० इस योजना के

तहत लाभ प्रदान करने के लिए ई०पी०एफ० के तहत किए गए नामांकन को स्वतः रूप से 'परिवार' में परिवर्तित कर देता है।¹⁹⁹

2.4.87 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत ग्रेज्युटी और चिकित्सा लाभ सहित रोजगार के दौरान सेवानिवृत्ति, बीमारी या मृत्यु से होने वाले लाभों पर नागरिक कानून का पूरा स्पेक्ट्रम और बीमा पॉलिसी इसी तरह 'परिवार' पर आधारित हैं।²⁰⁰

2.4.88 असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत समाहित) के तहत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, 'प्राथमिक कमाने वाले' की मृत्यु के मामले में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एक शोक संतप्त परिवार को एकमुश्त सहायता प्रदान करती है। एक 'घर' में जीवनसाथी, नाबालिग बच्चे, अविवाहित बेटियां और आश्रित माता-पिता शामिल हैं। अविवाहित वयस्क की मृत्यु के मामले में, एक 'घर' में नाबालिग भाई/बहन और आश्रित माता-पिता शामिल हैं।²⁰¹

2.4.89 यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों और सेवाओं के लिए रोजगार संबंधी सुरक्षा के संदर्भ में, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 कार्यस्थल पर महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और उचित आवास प्रदान करता है, चाहे वे जन्म दें, गोद लें या सरोगेसी अपनाएं।²⁰²

2.4.90 सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर कानून को समेकित करती है। यह संकल्पनात्मक रूप से 'आश्रितों'²⁰³ और 'परिवार'²⁰⁴ की हेट्रो-नार्मेटिव परिभाषाओं को पहले के कानूनों से उधार लेता है जिसे वह प्रतिस्थापित करना चाहता है।

2.4.91 हालांकि, अदालतों ने लक्षित लाभार्थियों (कर्मचारी) के पक्ष में परिवारों को रोजगार के लाभ के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानूनों की इस आधार पर व्यापक व्याख्या की है कि वे राज्य की सामाजिक कल्याण नीतियों के साधन हैं। ऐसा कानूनी दृष्टिकोण आवश्यक है क्योंकि रोजगार लाभ अक्सर बीमाकृत व्यक्ति और परिवार के लिए सस्ती जीवन रक्षक दवाओं और उपचार तक पहुंच प्रदान करते हैं।²⁰⁵

2.4.92 मार्च 2021 में, मद्रास उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि कानूनी रूप से पूर्व विवाहित पत्नी की मृत्यु के बाद, पति की एक लिव-इन पार्टनर या 'दूसरी पत्नी' (जहां पक्षों का व्यक्तिगत

कानून द्विविवाह की अनुमति नहीं देता है) विवाह की मान्यता के सिद्धांत के आधार पर कानून में पत्नी का दर्जा प्राप्त करती है, और इसलिए, उसकी मृत्यु पर पेंशन जैसे पति के साथी के लाभों को प्राप्त करने की हकदार है।²⁰⁶ न्यायाधीश ने डी०वी० अधिनियम के तहत कानून के केंद्र में 'विवाह की प्रकृति में संबंधों' की मान्यता और महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के संरक्षण को मानकर अपना तर्क आधारित किया। हालांकि, इस पर परस्पर विरोधी निर्णयों के कारण न्यायाधीश ने, फैसला सुनाने की बजाय, मामले को उच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ को संदर्भित कर दिया, जिससे मामले पर कानून की एक आधिकारिक स्थिति घोषित की जा सके। जब यौन उन्मुखता, लिंग पहचान और भेदभाव-विरोधी कानून के क्षेत्रों को, संवैधानिक कानून के विकास की पृष्ठभूमि में देखा जाता है, तो ऐसे निर्णय, विवाह (लिव-इन रिलेशनशिप) की प्रकृति में क्वीयर संबंधों की कानूनी मान्यता और उनसे उत्पन्न होने वाले आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए उचित संभावना का संकेत देते हैं।

2.4.93 दिसंबर 2020 में, भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (एस०टी०आई०पी०) का एक मसौदा जारी किया, जिसमें प्रस्ताव किया गया है कि एल०जी०बी०टी०क्यू०+ समुदाय के सदस्य जेंडर से परे किसी भी साथी को वैवाहिक लाभ (सेवानिवृत्ति लाभ सहित) का हकदार बनाया जा सकता है, ताकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में हाशिये के समुदायों की असमानभागीदारी का निवारण किया जा सके।²⁰⁷

2.4.94 कानून के तहत पार्टनर को लाभ तक पहुंच का मतलब क्वीयर व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों तक पहुंच है। हालांकि यह मामला इस शोध के लिए सतही प्रासंगिकता का है, फिर भी एक संक्षिप्त अवलोकन आवश्यक है। काम की दुनिया में हर स्तर पर - भर्ती, काम करने की स्थिति और नौकरी की सुरक्षा में क्वीयर व्यक्तियों के साथ व्यवस्थित रूप से भेदभाव किया जाता है।²⁰⁸ ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 नालसा केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित सार्वजनिक शिक्षा और रोजगार में आरक्षण के वादे को वापस लेता है। जैसा कि शुरुआती खंड में चर्चा की गई है, ट्रांस समुदाय आरक्षण के लिए मुकदमेबाजी और वकालत करने में सबसे आगे हैं। जनहित याचिका²⁰⁹ के माध्यम से एस०सी०/एस०टी०, ओ०बी०सी० (अन्य पिछड़ा वर्ग), एम०बी०सी० (सबसे पिछड़ा वर्ग) और सिविल सेवाओं में खुली श्रेणियों में 1% क्षेत्रीय आरक्षण प्राप्त करने में कर्नाटक स्थित ट्रांस समुदायों की हालिया जीत स्पष्ट रूप से संघर्षों और मांगों को दर्शाती है। क्वीयर समुदाय के लिए अधिकारों का दावा करने की एक कानूनी रणनीति को, यौन उन्मुखता, लिंग पहचान या इंटर-सेक्स दर्जे से परे अवसर की समानता के मौलिक अधिकार पर ध्यान देना चाहिए।

2.4.95 क्वीयर व्यक्तियों के लिए रोजगार तक पहुंच से संबंधित एक अन्य पूरक अवलोकन, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वह है एक चिंताजनक प्रवृत्ति जहां ट्रांस समुदाय के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए दावों को, महिलाओं के अधिकारों और हकों के खिलाफ परस्पर विरोधी स्थिति के रूप में पेश किया जा रहा है। 2015 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले ने ट्रांस महिला की याचिका को खारिज कर दिया, जिसे उसने एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के रोजगार को गलत तरीके से खारिज करने के खिलाफ दायर की थी, जब आशा कार्यकर्ता से यह कहा गया था कि यह पद 'लिंग विशिष्ट' है और केवल विवाहित, तलाकशुदा या विधवा महिलाएं ही इस पद के लिए पात्र हैं।²¹⁰ 2016 में, मद्रास उच्च न्यायालय ने आत्म-पहचान के आधार पर पुलिस उप-निरीक्षक (महिला) के पद के लिए एक ट्रांस महिला के दावे से जुड़े एक मामले में एक सकारात्मक फैसला सुनाया और उसी के लिए नियमों का बचाव किया। हालांकि, अदालत को एक अयोग्य उम्मीदवार के इस तर्क का सामना करना पड़ा कि ट्रांस समुदाय की तुलना में महिलाओं को सार्वजनिक रोजगार से संबंधित कानून में विशेष उपचार की आवश्यकता है, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया क्योंकि इसे इससे पहले मामले के लिए अप्रासंगिक माना गया था।²¹¹ हाल ही में 2021 तक, केरल उच्च न्यायालय ने ट्रांस समुदाय के लिए सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण में समान अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) को निर्देश देने का एक प्रगतिशील निर्णय जारी किया।²¹² फिर से, अदालत को उत्तरदाताओं द्वारा कपटी विवादों का सामना करना पड़ा कि ट्रांस महिलाओं को 'जैविक मतभेदों' के कारण महिलाओं की तुलना में 'अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ' है और प्रशिक्षण के दौरान आम रहने की जगहों और निकटता को साझा करना महिला कैडेटों की 'गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन' होगा। मामला अपील पर है, और यह एक खुला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के विवादों का जवाब कैसे देगा और मामले का फैसला कैसे करेगा।

2.4.96 सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए ट्रांस समुदायों के दावों को, महिलाओं के अधिकारों और हकों के खिलाफ खड़ा कर देना, या यहां तक कि ट्रांस महिलाओं को महिलाओं की सुरक्षा और भलाई के लिए खतरे के रूप में पेश करना, दो कमजोर समूहों के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की लड़ाई का झूठा आख्यान है। हाल ही में, एस० वनिता बनाम उपायुक्त²¹³ के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न कमजोर समूहों से संबंधित पक्षों द्वारा प्रतिस्पर्धी कानूनी दावों का जवाब देने के लिए एक रूपरेखा तैयार की। एक विवाहित महिला के ससुराल वालों द्वारा दायर बेदखली की कार्यवाही से उत्पन्न एक अपील में, अदालत ने घोषणा की कि डी०वी० अधिनियम में 'निवास के अधिकार' और माता-पिता और वरिष्ठ

नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 से संबंधित प्रतिस्पर्धी प्रावधानों को संबोधित किया जाना है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में राहत देने के लिए सामंजस्यपूर्ण रूप से व्याख्या की गई है, क्योंकि दोनों विशेष कानून कमजोर समूहों (क्रमशः महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों) के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। निष्कर्ष यह है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद से जुड़े एक उपयुक्त मामले में, 2007 के अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिकों का निवास का अधिकार, 2005 के अधिनियम के तहत महिलाओं के निवास के अधिकार को स्वतः ही निष्प्रभावी नहीं बनाता है, क्योंकि उस कानून में कोई हठधर्मी खंड नहीं है और उसे बाद में अधिनियमित किया गया था। अदालत ने निचली अदालत के उन आदेशों को पलट दिया, जिसमें महिला को बेदखल करने का आदेश दिया गया था, और निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह महिला के निवास के अधिकार को वरिष्ठ नागरिक के संबंधित अधिकार के साथ मिलाए। परिवर्तनकारी संवैधानिकता का कार्यान्वयन यह स्वीकार करता है कि क्वीयर अधिकारों के लिए कानूनी रणनीतियाँ और सामाजिक आंदोलन, महिलाओं के अधिकारों या अन्य कमजोर समूहों के साथ संघर्ष में नहीं हैं। बल्कि, सभी के लिए समान शर्तों पर लैंगिक न्याय की मांगों को पूरा करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है।

2.4.97 सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की विशाल श्रृंखला की प्राप्ति, जैसा कि इस उप-भाग में चर्चा की गई है, जटिल है। घरेलू हिंसा पर कानून के तहत न्याय तक पहुंच, सभी क्वीयर व्यक्तियों के लिए समावेशी हो सकती है यदि 'विवाह की प्रकृति के संबंधों' को अनिवार्य एकल विवाह और संयुग्मता के हेट्रो-नार्मेटिव विचारों से परे जाने के लिए फिर से कल्पना की जाए। क्वीयर व्यक्तियों द्वारा सहायक प्रजनन तकनीकों तक पहुंच की समानता के लिए प्रजनन न्याय के नजरिये से जुड़ाव की आवश्यकता है, ताकि सरोगेसी के इच्छुक माता-पिता के अधिकारों और हाशिए पर रहने वाली उन महिलाओं के अधिकारों के बीच संतुलन बनाया जा सके, जो इस प्रजनन श्रम को अधिक मात्रा में करती हैं। संपत्ति और विरासत के अधिकारों का एक ढांचा, जो क्वीयर व्यक्तियों की समानता को मान्यता देता है, उसे संपत्ति के उत्तराधिकार के हिजड़ा घरानों के रीति-रिवाजों को भी शामिल करने की आवश्यकता है। आवास और किरायेदारी कानूनों में गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने के अलावा, सामाजिक आवास और अपराधीकरण निवारण को भी प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। और, भरण-पोषण और साझेदार लाभों के संबंधपरक दावों के अलावा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की मांग वास्तव में वैवाहिक स्थिति से परे सभी क्वीयर व्यक्तियों को लाभान्वित कर सकती है।

3. कानून में वैकल्पिक हस्तक्षेप

3.1 - मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत प्रत्यक्ष समावेशन

3.1.1- सामाजिक और आर्थिक अधिकारों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए, संबंधों की कानूनी मान्यता प्राप्त करने हेतु रणनीति की तलाश करने के लिए क्वीयर समुदाय की आवाज़ों ने इस पर अलग-अलग विचार व्यक्त किए हैं। इन्हें मोटे तौर पर ऐसे पहचाना जा सकता है: (i) प्रत्यक्ष समावेश के प्रयास के रूप में, मौजूदा विवाह और अन्य व्यक्तिगत कानूनों के लिए वैधानिक संशोधन/संवैधानिक चुनौती या (ii) पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को नियंत्रित करने के लिए अलग कानून की मांग करना, क्योंकि 'हेट्रो-रिलेशनल वास्तविकताओं' को नियंत्रित करने वाले पहले से ही मौजूद कानून कई स्तरों पर गहरे रूप से असमानता से ग्रसित हैं।²¹⁴ इस निष्कर्ष वाले खंड का पहला भाग उस प्रस्ताव पर केन्द्रित है, जो भारत में विवाह कानूनों के मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत प्रत्यक्ष समावेश का प्रयास करता है। दूसरा भाग पृथक कानूनों की मांग पर केन्द्रित है, जो समावेश के सिद्धान्त और क्वीयर सम्बन्धों की विविधता पर केन्द्रित है, चाहे वो जो आकार लें। तीसरा और अंतिम भाग एक भेदभाव-विरोधी कानूनी ढांचे के तहत, मामले-दर-मामले के आधार पर, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों में शामिल किए जाने का विश्लेषण करता है।

3.1.2 विशेष विवाह अधिनियम, 1954 ('एस०एम०ए०') एकमात्र नागरिक कानून है जो जाति या धर्म की परवाह किए बिना भारत में विवाह के अनुष्ठान और पंजीकरण को नियंत्रित करता है। प्रमुख समुदाय- विवाह और तलाक पर विशिष्ट कानून इस प्रकार हैं:

- i. पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936
- ii. भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 एवं भारतीय तलाक अधिनियम, 1869
- iii. मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 एवं मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 का विघटन, एवं
- iv. हिंदू विवाह अधिनियम, 1956

3.1.3 जबकि किसी भी उपरोक्त कानून में विवाह की कोई कानूनी परिभाषा मौजूद नहीं है, वैध विवाह की शर्तों, समय के साथ तलाक, विवाह विच्छेद और न्यायिक व्याख्या के प्रयास के आधार पर, कुछ सिद्धांत उभरे हैं जिसके आधार पर दीवानी के साथ-साथ व्यक्तिगत/ धार्मिक दोनों जगहों पर, भारतीय कानून के तहत 'विधिक विवाह' को पुनः परिभाषित किया गया है

i. विषमलैंगिकता: एक 'पुरुष/दूल्हा' और 'महिला/दुल्हन' के बीच मिलन को सभी कानून प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहचानते हैं;²¹⁵

ii. एकल विवाह: सभी कानून, विवाह विच्छेद या तलाक मांगने के आधार के रूप में, पति या पत्नी द्वारा विवाहेतर संबंध या 'द्विविवाह' के कृत्य को मान्यता देते हैं;²¹⁶

iii. शारीरिक संबंध: सभी कानून, विवाह विच्छेद या तलाक मांगने के आधार के रूप में, 'नपुंसकता' या 'शारीरिक संबंध न बनने' को मान्यता देते हैं।²¹⁷

3.1.4 हालांकि मद्रास उच्च न्यायालय ने, अरुण कुमार मामले में, निर्विवादित रूप से, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों की प्रगतिशील व्याख्या करने के लिए नालसा [केस में मे](#) संवैधानिक कानूनी विकास को लागू किया है। व्यक्तिगत कानून, प्रथा या प्रचलन से उत्पन्न होने वाले मामलों पर, भाग III (मौलिक अधिकार) को लागू करने में संस्थागत तरीके से, न्यायपालिका की संलिप्तता, कहीं अधिक जटिल है, क्योंकि ऐसे मामलों में कोई अच्छी तरह से स्थापित न्यायिक परीक्षण लागू नहीं होता है।

3.1.5 ऐतिहासिक रूप से अदालतें, विशेष तौर पर संवैधानिक कानूनों के साथ अपने स्पष्ट संघर्ष के संदर्भ में, विवाह और तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने, रख-रखाव, अभिरक्षा, जनजातीय समुदायों में महिलाओं के काश्तकारी और अन्य मुद्दों को निर्धारित करने वाले, व्यक्तिगत कानूनों, रिवाजों या प्रचलनों के साथ जुड़ी हैं। अदालत की प्रतिक्रिया की सीमा को व्यापक रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- i. पारिवारिक कानून ही व्यक्तिगत कानून है, और इसे संविधान के अनुच्छेद 13 में 'कानून' की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है - जिससे परिवार कानून को एक वर्ग के रूप में संवैधानिक जांच के दायरे से बाहर कर दिया जाता है
- ii. पारिवारिक कानून संविधान के अनुच्छेद 13 में 'कानून' की परिभाषा के दायरे में आता है और संवैधानिक जांच के अधीन है; हालांकि, अदालत ने पाया कि विवादित कानून संवैधानिक रूप से वैध है
- iii. अदालत आश्वस्त है कि विवादित कानून प्रथम दृष्टया भेदभावपूर्ण है, लेकिन इसके असंवैधानिक होने की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, विवादित कानून की व्याख्या इसे असंवैधानिकता के आरोप से बचाने हेतु की गई है
- iv. अदालत आश्वस्त है कि विवादित कानून भेदभावपूर्ण है; हालाँकि, यह देखते हुए राहत नहीं दी गई है कि विधानमंडल उक्त कानून में संशोधन कर रहा है
- v. अदालत ने विवादित कानून को असंवैधानिक घोषित किया, क्योंकि वह संविधान के भाग III में प्रदत्त गारंटी का उल्लंघन कर रहा है।²¹⁸

3.1.6 2019 में कांटारू राजुवीरू (सबरीमाला रिव्यू) बनाम इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन और अन्य²¹⁹ में, सुप्रीम कोर्ट ने 7-न्यायाधीशों की एक पीठ को संदर्भित कर, संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी और संविधान के भाग III के साथ उसके संबंध की एक आधिकारिक व्याख्या की मांग की, और प्रस्तावित बेंच के समक्ष, अन्य के साथ निम्नलिखित मुद्दे और प्रश्न प्रस्तुत किए:

- i संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धर्म की स्वतंत्रता, और संविधान के भाग III के अन्य प्रावधान विशेष रूप से अनुच्छेद 14 के बीच पारस्परिक क्रिया।
- ii संविधान के अनुच्छेद 25 में आने वाले "सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य" की अभिव्यक्ति का व्यापक अर्थ क्या है?
- iii "नैतिकता" या "संवैधानिक नैतिकता" शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। क्या यह संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में व्यापक नैतिकता है, या धार्मिक विश्वासों या आस्था तक ही सीमित है? अभिव्यक्ति की रूपरेखा को चित्रित करने की आवश्यकता है अन्यथा यह मनोगत हो जाती है।
- iv क्या किसी भी संप्रदाय के "अनिवार्य धार्मिक अभ्यास", या उसके एक खंड को भी संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए?

3.1.7 अदालत का इरादा इस विषय पर संवैधानिक कानून की एक आधिकारिक व्याख्या के लिए न्यायिक नीति विकसित करना है, और संभवतः इस संविधान पीठ द्वारा घोषित किया गया कानून निकट भविष्य में

पारिवारिक कानून, व्यक्तिगत कानून, प्रथा और प्रचलन के व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कानूनी क्षेत्र को नियंत्रित और प्रभावित करेगा।

3.1.8 हालांकि, केवल औपचारिक समानता तलाशने वाली रणनीतियों को आगे बढ़ाने में जो चुनौती है वो ये है कि वे आर्थिक अन्याय के साथ-साथ आंतरिक अन्याय को भी बढ़ाते हैं। ऐसे सुधारों के, ऊंची कीमत के खर्चे पर मान्यता प्रदान करने के अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं, जिसे महिलाओं द्वारा असमान रूप से वहन किया जाता है।²²⁰ अनिवार्य एकल विवाह और दांपत्य की अंतर्निहित मान्यताओं के साथ, तलाक या विवाह विच्छेद की स्थिति में कठोर सामाजिक, आर्थिक और दंडात्मक परिणामों के साथ अनुरूपता की मांग के अलावा, मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत प्रत्यक्ष समावेशन का दावा, क्वीयर व्यक्तियों और सम्बन्धों में भी, 'हेट्रो-संबंधी वास्तविकताओं' को नियंत्रित करने वाले कानूनों की स्पष्ट असमानताओं को पुनः स्थापित कर देगी।

3.1.9 उदाहरण के लिए, जहां प्रस्तावित विवाह के एक पक्ष के पास पहले से ही एक मौजूदा जीवनसाथी है (द्विविवाह), वहाँ इस तरह की शादी अमान्य है, यानी कानूनी रूप से वैध नहीं है और न ही कानून इसे मान्यता देता है। 'विवाहेतर संबंध' के मामले में, कानून 'विवाहेतर संबंधी या विवाहेतर संबंधिणी' को तलाक की कार्यवाही में एक सह-प्रतिवादी बनाने की अनुमति देता है। एक महिला अलगाव या लंबित तलाक की कार्यवाही की अवधि के दौरान यदि 'अपवित्र या विवाहेतर संबंधी जीवन' व्यतीत करती है और अगर यह साबित हो जाए तो वह गुजारे भत्ते के किसी भी दावे को खो सकती है।²²¹ जीवनसाथी के साथ यौन संबंध की कमी, तलाक या विवाह विच्छेद की कार्यवाही में न्यायिक तौर पर 'क्रूरता' मानी जा सकती है, भले ही अदालतें वैवाहिक सेक्स में सहमति के सवाल को नज़रअंदाज़ कर दें।²²²

3.1.10 ट्रांस, इंटरसेक्स और नॉन-बाइनरी समुदाय को शादी के लिए मजबूर किया जाता है और पति-पत्नी द्वारा यौन शोषण किया जाता है इसलिए इन्होंने यौन उत्पीड़न के कानूनों में वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग की है।²²³ आईपीसी की धारा 375 (बलात्कार) के अपवाद 2 में लिखा है: "संभोग या किसी पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी के साथ जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, यौन कृत्य, बलात्कार नहीं है"।²²⁴ फिलहाल महिला अधिकार समूहों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के द्वारा वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की मांग की जा रही है जिस पर एक संवैधानिक चुनौती के साथ दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है।²²⁵ देश भर में, यौन उत्पीड़न के मामलों में क्वीयर और ट्रांस व्यक्तियों के प्रति हो रही हिंसा के

खिलाफ उपाय प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय ने पहले से ही लिंग-विशिष्ट कानून पारित कर रखे हैं, वह चाहे आई०पी०सी० की धारा 354ए के तहत हो²²⁶, या कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013²²⁷ हो या राज्य स्तर के कानून जैसे तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम, 2002²²⁸, बलात्कार²²⁹ या घरेलू हिंसा²³⁰ हो।

3.1.11 विवाह के विचार के लिए दांपत्य केंद्रीय है, जो कानून द्वारा प्रमाणित है और अदालत की शक्ति इसे लागू भी करती है। दांपत्य अधिकारों की बहाली का प्रावधान,²³¹ जो सतही तौर पर लिंग निरपेक्ष है, एक साथी को न्यायिक आदेश प्राप्त करने का अधिकार देता है, जहां अलग हुए पति या पत्नी को साथ रहने और विवाह के अनिवार्य दायित्व के रूप में यौन संबंधों में भाग लेने का निर्देश दिया जाता है, अलग हुए साथी द्वारा इस आदेश का अनुपालन न किए जाने पर, 'पीड़ित पक्ष' को तलाक मांगने का आधार उपलब्ध करा देता है। इस कानूनी उपाय की हिंसा 1983 में टी० सरिता बनाम टी० वेंकट सुब्बैया,²³² ने अभिव्यक्त किया था, जब आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 धारा 9 (दांपत्य अधिकार की बहाली) को जंगली, बर्बर और असंवैधानिक मानते हुए, यह घोषित करते हुए रद्द कर दिया:

“... दांपत्य अधिकारों की बहाली की डिक्ली का उद्देश्य अतीत में जैसा था, वह वर्तमान में भी वैसा ही है, जहां अनिच्छुक पक्ष को न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से, उसकी सहमति और स्वतंत्र इच्छा के विरुद्ध, डिक्ली धारक के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करना है। इसमें कोई शक नहीं हो सकता है कि इस प्रकार वैवाहिक अधिकारों की बहाली का आदेश, डिक्ली के अधीन व्यक्ति के शरीर और मन की पवित्रता को ठेस पहुँचाता है, और उस व्यक्ति की अखंडता का अपमान करता है व ऐसे व्यक्ति के भौतिक निजता और घरेलू अंतरंगता पर हमला करता है। (पैरा 17)

3.1.12 अदालत ने आगे जोड़ा कि यह प्रावधान महिलाओं के यौन प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि इससे अवांछित गर्भधारण हो सकता है और इसलिए ये संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता की गारंटी का उल्लंघन है। अदालत ने आगे इस प्रावधान को अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के रूप में देखा क्योंकि यह महिलाओं को यौन स्वायत्तता, उनकी गोपनीयता और मानवीय गरिमा से वंचित करता है, और यह प्रावधान एक अनिच्छुक महिला के निजी और अंतरंग मामले में निर्णय लेने की शक्ति

देकर, एक अत्यधिक राज्य हस्तक्षेप को अधिकृत करता है। हालाँकि, यह मील का पत्थर जैसा निर्णय अल्पकालिक था क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे प्रभावी रूप से खारिज कर दिया।²³³ वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट रिट याचिकाओं के एक समुच्चय से निपट रहा है जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और एस०एम०ए० के तहत दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के प्रावधानों के समक्ष एक संवैधानिक चुनौती प्रस्तुत कर रही हैं।²³⁴

3.1.13 एस०एम०ए० ऐसे पक्षों को निर्देश देता है, जो शादी करना चाहते हैं, कि वो इसके लिए नोटिस जमा करें, जिसे जिला विवाह अधिकारी के पास शादी से कम से कम 30 दिन पहले दायर किया जाना है, जो "किसी भी व्यक्ति" के "निरीक्षण के लिए खुला" हो, जो "शादी पर आपत्तियां" दर्ज करना चाहता है। यदि आपत्तियां की जाती हैं, तो विवाह अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जब तक वो उक्त आपत्तियों की जांच नहीं कर लेता तब तक वह विवाह नहीं करवाएगा।²³⁵ इस तरीके ने शत्रुतापूर्ण परिवारों और सतर्कता समूहों द्वारा गालियों की महामारी को जन्म दिया है, जो जाति व्यवस्था से जुड़ी शुद्धता और प्रदूषण की अवधारणा और तथाकथित 'लव-जिहाद' जैसे संविधान विरोधी आधार पर, एस०एम०ए० के तहत शादी करने वाले अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक जोड़ों के शादी करने के अधिकार को नकारने, उन्हें धमकाने और उन पर हिंसा करने के लिए सार्वजनिक रिकॉर्ड की "जांच" करते हैं।

3.1.14 जनवरी 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एस०एम०ए० के तहत नोटिस के अनिवार्य प्रकाशन को असंवैधानिक घोषित किया क्योंकि यह अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक जोड़ों की निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, और सबके सामने उजागर कर देता है, जिससे उनके लिए राज्य और गैर-राज्य तत्वों द्वारा हस्तक्षेप और नुकसान की संभावना बढ़ जाती है।²³⁷ वर्तमान में, अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक जोड़ों के व्यक्तिगत स्वायत्तता, निजता के अधिकार के उल्लंघन और हिंसा से मुक्ति के आधार पर, एस०एम०ए० के तहत इस कानूनी प्रक्रिया को संवैधानिक चुनौती देने वाले मामलों में, उच्चतम न्यायालय²³⁸ और दिल्ली उच्च न्यायालय²³⁹ ने नोटिस जारी किया है।

3.1.15 हाल ही में लागू किये गए उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश, 2020 में राज्य को ये ताकत दी जाती है कि वह विवाह के प्रयोजनों के लिए धर्मांतरण को गैरकानूनी घोषित करके अंतर-धार्मिक

जोड़ों के उत्पीड़न की छूट दे।²⁴⁰ दिसंबर 2020 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस कानून के तहत एक आरोपी को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की, यह घोषणा करते हुए कि व्यक्तिगत स्वायत्तता और निजता का अधिकार दांव पर लगे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।²⁴¹ एक अलग मामले में, उच्च न्यायालय ने इस अध्यादेश को संवैधानिक चुनौती के संदर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य को नोटिस जारी किया।²⁴²

3.1.16 यू०पी० के कानून ने मध्य प्रदेश²⁴³ और गुजरात²⁴⁴ पर दूरगामी प्रभाव डाले जिन्होंने इसी तरह के कानून बनाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट भी कई राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समुच्चय की सुनवाई कर रही है,²⁴⁵ ये विभिन्न राज्य कानून न्यायपालिका में मतभेद पैदा कर रहे हैं। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच ने कथित तौर पर कानून का उल्लंघन करने वाले तीन अंतर्धार्मिक जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करने से इनकार कर दिया,²⁴⁶ वहीं गुजरात उच्च न्यायालय ने शफीन जहान पर भरोसा रखा और संवैधानिक चुनौती का अंतिम निर्णय होने तक, उन स्थानीय कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने का आदेश पारित किया, जो अंतर-धार्मिक विवाहों को अपराध की श्रेणी में रखने का प्रयास करते हैं।²⁴⁷

3.1.17 व्यक्तिगत स्वायत्तता का संवैधानिक अधिकार न केवल अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने, स्वयं को अभिव्यक्त करने और साथी चुनने जैसे व्यक्ति के सकारात्मक अधिकार की सुरक्षा करता है, बल्कि इसमें नकारात्मक अधिकार भी शामिल है – राज्य के साथ-साथ गैर-राज्य संस्थाओं के मनमाने हस्तक्षेप का शिकार नहीं होना चाहिए।²⁴⁸

3.1.18 यह मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत प्रत्यक्ष समावेश चाहने वाले क्वीयर व्यक्तियों को सहन करना पड़ सकता है कि वे कंठारू राजूवीरू जैसे रणनीतिक मुकदमों में हस्तक्षेप करने पर विचार करें, जो संभावित रूप से ऐसी संवैधानिक चुनौतियां की न्यायोचितता को प्रभावित कर सकता है। साथ ही दाम्पत्य अधिकारों की बहाली, वैवाहिक बलात्कार और यौन उन्मुखता, लैंगिक पहचान, जाति और धर्म के आधार पर 'प्रकृति के नियमों के विरुद्ध' मानकर, यौन अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के मुद्दों के साथ जुझकर, कानून में बुनियादी असमानताओं को चुनौती देने में सामुदायिक परामर्श महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

3.2 कानून में अनिवार्य विषमलैंगिकता, एकविवाह और संयुग्मता की सैद्धांतिक अवधारणाओं को चुनौती

3.2.1 जैसा कि पिछले खंडों में चर्चा की गई है, कि इस कानून की जड़ें 'परिवार' और 'आश्रितों' के हेट्रो-नॉर्मेटिव निर्माणों में व्यवस्थागत रूप से निहित है, जो विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंधों पर केंद्रित है। हालांकि, क्वीयर लोगों और समुदायों के जीवंत अनुभव, कानून के मूलभूत सिद्धांतों पर फिर से विचार करने की मांग करते हैं।

3.2.2 ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 'परिवार' को परिभाषित करने में इस गलतफ़हमी को कायम रखता है और इसमें विवाह, जन्म या कानून के अनुसार गोद लेने से संबंधित व्यक्तियों को ही सम्मिलित करता है,²⁴⁹ और हिजड़ा परिवारों और घरानों को कानून में मान्यता नहीं देता है।

3.2.3 अरुण कुमार के बावजूद, विवाहित ('विषमलैंगिक') जोड़े के संदर्भ में पक्षों के अधिकार और शादी की वैधता पर कानून की स्थिति अब भी असपष्ट है यदि कोई व्यक्ति विवाह के उपरांत जेंडर बदलने की घोषणा करते हैं और साथ में रहना चाहते हैं।

3.2.4 एल॰बी॰टी॰ समूह एक ऐसे कानूनी ढांचे का प्रस्ताव करते हैं, जो एक पक्ष को 'शादी के अपरिवर्तनीय टूटने'²⁵⁰ के आधार पर 'बिना किसी गलती के' तलाक लेने की अनुमति देता है, जो वर्तमान में केवल अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के तहत एक असाधारण उपाय के रूप में उपलब्ध है।²⁵¹

3.2.5 जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, 2018 में एक समान नागरिक संहिता (यू॰सी॰सी॰) के प्रस्ताव की वांछनीयता पर अपने अध्ययन के दौरान, भारत के विधि आयोग ने संबंधों में व्यक्तियों के अधिकारों और दायित्वों को नियंत्रित करने वाली 'सिविल पार्टनरशिप' कानून का मसौदा तैयार करने पर क्वीयर समुदाय से परामर्श करने में रुचि व्यक्त की। यह एक ऐसे अलग कानूनी ढांचे की अवधारणा की परिकल्पना और मांग करने के लिए, समुदाय और कानून-निर्माताओं के साथ जुड़ने और परामर्श करने का अवसर प्रस्तुत करता है, जो देखभाल करने और परस्पर आर्थिक निर्भरता के मूल्यों को केंद्र में रख कर, उसे क्वीयर

परिवार की बुनियाद के रूप में मानता है, और जो अनिवार्य एकल विवाह और दाम्पत्य की अनुरूपता की मांगों द्वारा सीमित नहीं है, जैसा कि इस शोध के खंड 1.2 में पहले ही चर्चा की गयी थी।

3.2.6 हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि एकल व्यक्ति परिवार भारत में कुल घरों का 12.5% है। इसके अलावा, सभी घरों में से 7.5% एकल माता-पिता परिवार हैं, जिनमें से अधिकांश, लगभग 1 करोड़ 30 लाख, घरों की मुखिया महिलाएं हैं।²⁵² इसके अतिरिक्त, भारत में मातृत्व पर हाल के शैक्षणिक कार्य गैर-मानक परिवारों की खोज करते हैं, मुख्यतः जहां अविवाहित जैविक माताएँ हैं, अविवाहित दोस्त गोद लिए गए बच्चों को एक साथ पाल रहे हैं, और महिलाओं की पहचान क्वीयर या लेस्बियन के रूप में की जाती है।²⁵³ ये उभरते हुए आख्यान, जो दाम्पत्य या रोमांटिक बंधनों पर आधारित नहीं हैं, वे परिवारों और निर्भरता को नियंत्रित करने वाले कानूनों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता को दर्शाते हैं।

3.2.7 जबकि भारत का संविधान निजता के अधिकार को मान्यता देता है, जिसके मूल में व्यक्तिगत अंतरंगता का संरक्षण और व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करने की स्वायत्तता शामिल है (पुट्टुस्वामी), उसी तर्ज पर, तर्कसंगत आधार पर अपेक्षा की जाती है कि यह कानून सम्बन्धों को मान्यता प्रदान करेगा, जो एकल विवाह और दाम्पत्य, और उससे जुड़े अधिकारों से परे होगा। नितिशा इस दावे को अधिक स्पष्ट रूप से आगे बढ़ाती है क्योंकि इसमें कहा गया है कि व्यवस्थागत भेदभाव को दूर करने में एक प्रमुख सिद्धांत को समानता की कीमत के रूप में अनुरूपता की मांग नहीं करनी चाहिए, इसके बजाय, शासन के संस्थानों को भिन्नताओं को समायोजित करना चाहिए और संरचनात्मक परिवर्तन प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इस संबंध में, यह जांच के योग्य विषय है कि कैसे अन्य न्यायालय गैर-मानक परिवारों को कानूनी मान्यता प्रदान करते हैं और पक्षों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

3.2.8 2001 में कनाडा के विधि आयोग ने दाम्पत्यता से परे शीर्षक वाली एक पथ-प्रदर्शक रिपोर्ट में विषमलैंगिक, लेस्बियन और गैर-दाम्पत्य संबंधों के अलावा, व्यक्तिगत वयस्क संबंधों की विविधता का अध्ययन किया, और इसने अकेले रहने वाले वयस्कों, एकल माता-पिता परिवारों या एक साथ रहने वाले वयस्कों समेत गैर-दाम्पत्य परिवारों और संबंधों वाले पर्याप्त अल्पसंख्यकों की पहचान की, जो कानूनी मान्यता और संबद्ध अधिकारों के योग्य हैं।²⁵⁴ दाम्पत्य संबंधों पर केन्द्रित परिवारों में ऐसे अन्य वयस्क भी शामिल हो सकते हैं, जहां जोड़ों के बीच कोई दाम्पत्य संबंध नहीं है, जैसे रिश्तेदार या करीबी दोस्त। आयोग ने माना कि

असंबंधित व्यक्तियों के बीच जुड़ाव को जैविक या कानूनी संबंधों के समकक्ष अनुभव किया जा सकता है, और गे तथा लेस्बियन समुदायों के भीतर, व्यक्तियों द्वारा दोस्तों का परिवार बनाने की संभावना अधिक थी।

3.2.9 आयोग ने परिवार और दोस्तों सहित, वैतनिक या अवैतनिक देखभाल करने वालों के साथ विकलांग व्यक्तियों के करीबी व्यक्तिगत संबंधों की पहचान की और उन्हें दर्ज किया। अपनी अंतिम सिफारिशों में, यह निष्कर्ष निकाला गया कि सरकार के पास देखभाल और परस्पर आर्थिक निर्भरता पर आधारित गैर-दाम्पत्य परिवारों और संबंधों से जुड़े अधिकारों को रोकने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं था, और आयोग ने अनुबंधों या पंजीकृत डोमेस्टिक पार्टनरशिप जैसे रूपों में उन्हें मान्यता देने का प्रस्ताव किया, जो देखभाल की व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों पर सहमति और सहयोग तथा संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए उत्तरदायी होंगे।

3.2.10 हवाई, पारस्परिक लाभार्थी अधिनियम, 1997 में अमेरिका किन्हीं दो व्यक्तियों के संबंधों को मान्यता देता है, जिनके पास महत्वपूर्ण व्यक्तिगत, भावनात्मक और आर्थिक परस्पर निर्भरता है, और उन्हें वो समान अधिकार और लाभ प्रदान करता है जो केवल विवाहित जोड़ों के लिए उपलब्ध हैं। कानून में पारस्परिक लाभार्थी के रूप में पंजीकृत करने के लिए, ऐसे दोस्त शामिल हैं जो रोमांटिक रिश्ते को साझा नहीं करते हैं और ऐसे व्यक्ति जो एक दूसरे से संबंधित हो सकते हैं।²⁵⁵

3.2.11 वरमोंट घरेलू संबंध अधिनियम, 2000 में संयुक्त राज्य अमेरिका, रक्त द्वारा या गोद लेने से संबंधित व्यक्तियों को पारस्परिक लाभार्थियों के रूप में मान्यता देता है, और उन्हें विषमलैंगिक, गे और लेस्बियन दाम्पत्य साथियों या जीवनसाथी के समान सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करता है।²⁵⁶

3.2.12 वयस्क परस्पर निर्भरता संबंध अधिनियम, 2002 में कनाडाई प्रांत अलबर्टा, विवाह के बाहर के संबंध के रूप में 'परस्पर निर्भरता के संबंध' को परिभाषित करता है, जिसमें कोई भी दो व्यक्ति:

- i. एक दूसरे के जीवन को साझा करें
- ii. भावनात्मक रूप से एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध हों, और
- iii. एक आर्थिक और घरेलू इकाई के रूप में कार्य करते हों।²⁵⁷

3.2.13 यह निर्धारित करने में कि क्या दो व्यक्ति एक आर्थिक और घरेलू इकाई के रूप में कार्य करते हैं, यह अप्रासंगिक है कि क्या व्यक्तियों का दाम्पत्य संबंध है, चूंकि यह रिश्ते की विशिष्टता है।²⁵⁸ हालांकि, एक से अधिक वयस्क परस्पर निर्भरता के संबंध में प्रतिबंध हैं, अर्थात् वास्तव में एकल विवाह की अनुपस्थिति अपने आप में पार्टनरशिप को भंग करने का आधार नहीं है।²⁵⁹

3.2.14 संबंध अधिनियम, 2003 में तस्मानिया (ऑस्ट्रेलिया) व्यक्तियों को अनुमति देता है कि वे एक 'महत्वपूर्ण संबंध' या 'देखभाल संबंध' के रूप में पंजीकृत साझेदारी में प्रवेश करें,²⁶¹ जो वित्तीय निर्भरता, देखभाल और घरेलू सहयोग से परिभाषित है और यहाँ यौन संबंध अप्रासंगिक है।²⁶²

3.2.15 यू०के० में सिविल पार्टनरशिप एक्ट, 2004 में वैध रिश्ते की अनिवार्य शर्त के रूप में दाम्पत्यता की आवश्यकता नहीं है।

3.2.16 2020 में, समरविल, मैसाचुसेट्स (यू०एस०ए०) शहर ने 'घरेलू साझेदारी' पर एक अध्यादेश पारित करके, कानून में बहुविवाह संबंधों को मान्यता दी, जिसे ऐसे लोगों द्वारा गठित इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है:

- i. जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और अनुबंध के लिए सक्षम हैं,
- ii. आपसी सहयोग, देखभाल और प्रतिबद्धता के रिश्ते में हैं, और इस रिश्ते में बने रहने का इरादा रखते हैं,
- iii. एक साथ रहते हैं,
- iv. विवाहित नहीं हैं,
- v. रक्त से संबंधित नहीं हैं, और
- vi. अपने आप को एक परिवार मानते हैं।²⁶³

3.2.17 निवास की आवश्यकता का अर्थ है एक सामान्य घर में एक साथ रहना, जहाँ एक साथी अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो सकता है, जब तक कि उनका वापस लौटने का इरादा हो। एक भागीदार एक अतिरिक्त निवास का स्वामी हो सकता है या उसका रख-रखाव कर सकता है। अध्यादेश स्पष्ट करता है कि 'परिवार'

शब्द की व्याख्या घरेलू भागीदारी को शामिल करने के लिए की जाएगी, और घरेलू भागीदारी में व्यक्तियों को वही अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो विवाहित जोड़ों को प्रदान किए जाते हैं।

3.2.18 यह न्यायालयों में गैर-मानक संबंधों को नियंत्रित करने वाले कानूनों की एक गैर-विस्तृत सूची है। भारत के विधि आयोग के साथ किसी भी प्रस्तावित परामर्श में कानूनी सिद्धांतों और पूर्वोक्त कानूनों के ढांचे के आधार पर एक अलग कानून बनाने की वांछनीयता पर विचार किया जा सकता है, साथ ही साथ भारत में क्वीयर समुदायों की मौजूदा वास्तविकताओं पर एक नृवैज्ञानिक अध्ययन भी किया जा सकता है, जैसा कि कनाडा के विधि आयोग द्वारा किया गया है। क्वीयर दृष्टिकोण पर आधारित एक मॉडल कानून, समुदाय को विवाह के आवश्यक गुणों के रूप में अनिवार्य एकल विवाह और दाम्पत्यता को "आराम से छोड़ने"²⁶⁴ की आज़ादी दे सकता है और ऐसे रिश्तों को कलंक से मुक्त कर सकता है।

3.3 भेदभाव विरोधी कानून

3.3.1 मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर प्रत्यक्ष समावेश या क्वीयर संबंधों को नियंत्रित करने वाले एक पृथक कानून के अलावा, एक और हस्तक्षेप खोजा जा सकता है, वह है भेदभाव-विरोधी कानून का उपयोग करके अलग-अलग मामलों के आधार पर अदालतों के माध्यम से विशिष्ट राहत पाना। इस दिशा में अदालतों द्वारा समानता और भेदभाव-विरोधी कानून पर विकसित न्यायशास्त्र को लागू करके आगे बढ़ा जा सकता है, जैसा कि इस शोध पत्र के खंड 2 में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। तदनुसार, एक व्यापक भेदभाव विरोधी कानून बनाने की वकालत पर विचार किया जा सकता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र में सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव को संबोधित करता है।

3.3.2 यौन उन्मुखता और लिंग पहचान (नालसा, पुट्टुस्वामी, नवतेज और चिन्मयी जेना) और भेदभाव-विरोधी कानून (मधु/नीतीशा) के संदर्भ में संवैधानिक कानून के विकास के प्रकाश में, इस शोध पत्र के खंड 2.4 में वर्णित सामाजिक और आर्थिक अधिकारों तक पहुंच और/या रिश्तों की मान्यता के संदर्भ में उपयुक्त राहत की मांग करके, यह कानूनी रणनीति क्वीयर व्यक्तियों और संबंधों की चिंताओं को संबोधित कर सकती है, चाहे वो कानूनी रूप से विवाहित हों या विवाह की प्रकृति के संबंध (लिव-इन रिलेशनशिप) के हों। उदाहरण के लिए, सामान्य या आपातकालीन स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने के लिए, क्वीयर व्यक्तियों को अपने जीवनसाथी, दोस्त या अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में नामांकित करने से, इस आधार पर बहिष्कृत करने के मामलों में, कि वे ऐसा करने में असक्षम हैं, (जैसा कि पैराग्राफ 2.4.3 - 2.4.6 में चर्चा की गई

है), पीड़ित व्यक्ति उपरोक्त संवैधानिक कानून के विकास के आधार पर, एक रिट अदालत से एक घोषणा की मांग कर सकते हैं कि उनके जीवनसाथी, दोस्त या अन्य व्यक्ति, उक्त उद्देश्य के लिए प्रतिनिधि, अभिभावक या परिवार के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए कानूनन पात्र हो सकते हैं। भेदभाव-विरोधी कानून का ढांचा, वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना, क्रीयर व्यक्तियों की कानूनी चिंताओं का जवाब दे सकता है और उसे देना भी चाहिए।

3.3.3 इस तरह के कानून को पारित करने का एक हालिया प्रयास, डॉ. तरुणभ खेतान, कानूनी विद्वानों और नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा परिकल्पित भेदभाव-विरोधी और समानता विधेयक, 2016 है।²⁶⁵ विधेयक को 10 मार्च 2017 को लोकसभा के समक्ष एक निजी सदस्य के विधेयक के रूप में पेश किया गया था। हालांकि, आज तक विधेयक पर कोई प्रगति नहीं हुई है। विधेयक की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

- i. बहिष्कार और अलगाव के खिलाफ उपचार।
- ii. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव को संबोधित करता है।
- iii. विधेयक अपने दायरे में सार्वजनिक कार्य करने वाले निजी व्यक्तियों को शामिल करता है।
- iv. सार्वजनिक कार्य करने वाले राज्य या निजी व्यक्तियों द्वारा कोई भी आचरण, नियम, विनियमन, नीति, मानदंड, अभ्यास या संरचना कानून के तहत जांच के अधीन है।
- v. "संरक्षित विशेषता" को परिभाषित करता है, जिसमें जाति, नस्ल, जातीयता, वंश, लिंग, लैंगिक पहचान, गर्भावस्था, यौन उन्मुखता, धर्म और विश्वास, जनजाति, विकलांगता, भाषाई पहचान, एच०आई०वी० स्थिति, राष्ट्रीयता, वैवाहिक स्थिति, भोजन का चुनाव, त्वचा का रंग, निवास स्थान, जन्म स्थान, आयु या अन्य व्यक्तिगत विशेषताएं शामिल हैं, जो किसी व्यक्ति के नियंत्रण से परे हैं या उसके मौलिक चुनाव का हिस्सा हैं।
- vi. संरक्षित विशेषताओं की पूर्वोक्त सूची संपूर्ण नहीं है, अर्थात् प्रस्तावित कानून के तहत समानता आयोग को ऐसी अन्य संरक्षित विशेषताओं को अधिसूचित करने का अधिकार है।
- vii. वंचित समूहों की भागीदारी को बढ़ाने या प्रोत्साहित करने के लिए आचरण, कानून, नीति, मानदंड, अभ्यास या संरचना को अपनाकर 'विविधता' लाने के लिए उपयुक्त सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और सार्वजनिक कार्य करने वाले निजी व्यक्तियों पर भेदभाव-विरोधी कर्तव्य।
- viii. सकारात्मक कार्रवाई।

ix. एक नागरिक कानूनी ढांचा प्रदान करता है क्योंकि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य आपराधिक कानून के माध्यम से उल्लंघनकर्ता को दंडित करने पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय पीड़ितों की रक्षा और क्षतिपूर्ति करना है, जिसके लिए प्रमाण के कड़े मानकों की आवश्यकता होती है।

3.3.4 नवीनतम विकास समानता विधेयक, 2021 है जिसकी परिकल्पना सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च द्वारा की गई है।²⁶⁶ यह 2016 के विधेयक की कई विशेषताओं तथा कुछ अन्य विशेषताओं को साझा करता है, जैसे कि इंटरसेक्शनल भेदभाव, संरचनात्मक भेदभाव के लिए निवारण प्रदान करना और राज्य के साथ-साथ सार्वजनिक कार्यों को करने वाले निजी व्यक्तियों के लिए तर्कसंगत समावेश की अवधारणा को शामिल करना। यह दूसरा विधेयक 'सामाजिक-आर्थिक स्थिति' को एक अतिरिक्त संरक्षित विशेषता के रूप में सूचीबद्ध करता है।

4. निष्कर्ष

जहां परिवर्तनकारी संविधानवाद, कानूनी ढांचे की हमारी जांच के साथ-साथ क्वीयर रिश्तों की कानूनी मान्यता के साथ आने वाले मुद्दों को सूचित करता है, वहीं हमने सामुदायिक प्रयास के लिए निम्न कानूनी नीतिगत मुद्दों की पहचान की है, जो बिना उनके वैवाहिक या अन्य किसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सभी क्वीयर व्यक्तियों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने का प्रयास करेगा:

- i. विवाह के मौजूदा कानूनी ढांचे की असमानताओं को संबोधित करना, जिसमें दाम्पत्य अधिकारों की बहाली, वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण, एस०एम०ए० के तहत शादी करने का इरादा रखने वाले पक्षों द्वारा नोटिस के प्रकाशन की प्रक्रिया, 'लव-जिहाद'/धर्मांतरण विरोधी कानून के साथ ऐसे अन्य मुद्दे शामिल हैं।
- ii. व्यक्तिगत कानूनों के तहत 'विवाह समानता' की न्यायोचितता पर इसके संभावित प्रभाव के लिए कांतारू राजुवेरु में हस्तक्षेप।
- iii. क्वीयर समुदायों द्वारा परिभाषित सम्बन्धों की मान्यता वाले 'सिविल पार्टनरशिप' मॉडल के प्रस्ताव पर भारत के विधि आयोग और अन्य राज्य निकायों को संलग्न करना।
- iv. नालसा, जेंडर पहचान के आत्मनिर्णय के अधिकार, शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का बचाव, जिनको ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में नज़रंदाज़ किया गया है।

- v. भेदभाव-विरोधी कानून को अपनाने की सिफारिश करना।
- vi. एक समतावादी संविदात्मक संबंध डीएस द्वारा सरोगेसी में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रजनन न्याय के चश्मे से ए०आर०टी० बिल, 2020 और सरोगेसी बिल, 2020 के परीक्षण की सिफारिश करना।
- vii. बेघर होने, भीख मांगने और सेक्स वर्क के काम के अपराधीकरण को चुनौती देना।
- viii. स्वास्थ्य सेवा, आवास, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, बेरोजगारी बीमा, पेंशन और अन्य मामलों में, वैवाहिक/सम्बन्धों की स्थिति को मद्देनजर रखे बिना क्वीयर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमिकरण करना।
- ix. कन्वर्जन थेरेपी को गैरकानूनी करार कराना।
- x. क्वीयर और इंटरसेक्स व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप, यौन हिंसा के शिकार लोगों के लिए, चिकित्सकीय-विधिपरक संरक्षण पर स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रावधान को लागू करना।
- xi. क्वीयर, इंटरसेक्स व्यक्तियों और किशोरों के सामान्य तथा साथ ही यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए आर०के०एस०के०, ए०आर०एस०एच० और स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था को मजबूत करना।
- xii. व्यापक यौनिकता शिक्षा, यह वह जानकारी प्रदान करती है जो कि क्वीयर और इंटरसेक्स किशोरों तथा विभिन्न जनसंख्या समूहों के उम्र और संदर्भ के लिए उपयुक्त है।
- xiii. वर्ल्ड प्रोफेशनल असोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ (डब्ल्यू०पी०ए०टी०एच०) के तहत एस०आर०एस० के दिशानिर्देशों के साथ, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को शामिल करने के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रम और अनुसंधान की समीक्षा की जाए।
- xiv. एच०आई०वी०/एड्स सम्बंधित स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच।

इस शोध पत्र में उल्लिखित रणनीति, क्वीयर समुदाय के विभिन्न वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और कानूनी नीति संबंधी चिंताओं की बहुलता को संबोधित करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह आशा की जाती है कि यहां चिन्हित किए गए मुद्दे, भारत में क्वीयर सम्बन्धों रिश्तों की कानूनी मान्यता पर महत्वपूर्ण बातचीत और समुदाय की संलिप्तता को प्रेरित करेंगे।

1. एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन बनाम भारत सरकार और अन्य, रिट याचिका संख्या 1784/1994
2. सबसे बढ़तर- तीन सौ सतहतर!: क्वीयर मोबीलाईज़ेशन इन इंडिया अगेंस्ट एन्टी-सोडोमी लॉ, विवेक दिवान, सेक्स पॉलिटिक्स, ट्रेड्स एंड टेंशन्स इन दी 21वीं सेंचुरी, कॉन्टेक्सचुअल अंदरकरन्ट्स- वॉल्यूम 2, अप्रैल 2019, यहाँ देखें
3. (2009) 160 डीएलटी 277
4. (2018) 10 एससीसी 1
5. (2014) 5 एससीसी 438
6. ट्रांस* शब्द उन सभी लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो उनके जन्म के समय दिए गए जेंडर से अलग महसूस करते हैं। ट्रांस* तारांकन के साथ लिखा जाता है और एक सर्वव्यापी शब्द है जो कि लैंगिक अध्ययन से आता है। इसमें सभी गैर-सिसजेंडर जेंडर पहचानें आती हैं जैसे कि ट्रांससेक्शुअल, ट्रांसवेसटाइट, जेंडरक्वीयर, जेंडरफ्लूइड, जेंडरलेस, एजेंडर, नॉन-जेंडर्ड, तीसरा जेंडर, टू-स्पिरिट, बाईजेंडर, एमटीएफ (पुरुष से महिला), एफटूएम (महिला से पुरुष), ट्रांसपुरुष, ट्रांसमहिला, अन्य, जन्म के समय महिला जेंडर दिए गए व्यक्ति जो कि खुद को पुरुष के रूप में पहचानते हैं, जन्म के समय पुरुष जेंडर दिए गए व्यक्ति जो कि खुद को महिला के रूप में पहचानते हैं, और अन्य;
infra at40
7. रेशमा प्रसाद बनाम भारतीय संघ और अन्य, रिट याचिका संख्या 13861 ऑफ 2015 पटना उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया, तारीख 09.01.2018
8. ग्रेस बानो बनाम चीफ सेक्रेटरी, तमिल नाडु सरकार, 2016 एससीसी ऑनलाइन मैड 15973; एस. थारिका बानो बनाम सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, 2017 एससीसी ऑनलाइन मैड 10220; रानो और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य, रिट याचिका संख्या 1794 ऑफ 2018 अंतिम आदेश द्वारा खारिज किया गया तारीख 28.09.2018; वीरा यादव बनाम चीफ सेक्रेटरी, बिहार सरकार, सिविल रिट याचिका जुरिसडिक्शन केस संख्या 5627/2020, फ़ैसले की तारीख 18.01.2021; एमएक्स सुमना प्रामाणिक बनाम भारतीय संघ, डब्ल्यूपीए 9187/2020, फ़ैसले की तारीख 01.02.2021; संगमा और निशा गुलूर बनाम कर्नाटक राज्य, रिट याचिका संख्या 8511/2020, एमएक्स सुमना प्रामाणिक बनाम भारतीय संघ और अन्य, अंतिम फ़ैसले की तारीख 02.02.2021, डब्ल्यूपीए संख्या 9187/2020

9. संगीता हिजड़ा बनाम बिहार राज्य, 2017 एससीसी ऑनलाइन पैट 1040, अंजली संजना जान बनाम महाराष्ट्र राज्य, रिट याचिका संख्या 104 ऑफ 2021, अंतिम फ़ैसले द्वारा खारिज किया गया तारीख 02.01.2021

10. फैज़ान सिद्दीकी बनाम सशस्त्र सीमा बल, (2011) 124 डीआरजे 542; जैकलिन मैरी बनाम पुलिस अधीक्षक, 2014 एससीसी ऑनलाइन मैड 987; टी. थानुसू बनाम तमिल नाडु सरकार सेक्रेटरी, (2014) 6 मैड एलजे 452; के. अन्नपूर्णम बनाम सरकारी सेक्रेटरी, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, 2016 एससीसी ऑनलाइन मैड 15928; के. पृथिका यशिनी बनाम चेयरमैन, तमिल नाडु यूनिफॉर्मड सर्विसेज़ रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2016 (4) एलडब्लू 594; गंगा कुमारी बनाम राजस्थान राज्य, 2016 की रिट याचिका संख्या 14006, राजस्थान उच्च न्यायालय के अंतिम ऑर्डर द्वारा खारिज की गई, तारीख 13.11.2017; तमिल नाडु यूनिफॉर्मड सर्विसेज़ रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाम आराधना, 2018 की रिट याचिका संख्या 330 अंतिम फ़ैसले द्वारा खारिज की गई, तारीख 22.02.2018; एस. मिथरा बनाम सरकारी सेक्रेटरी, 2019 एससीसी ऑनलाइन मैड 8617; शनवी पुन्नूस्मि बनाम नागर विमानन मंत्रालय, 2017 की रिट याचिका संख्या 1033 (विचाराधीन), हिना हनीफा @ मोहम्मद आशिफ अली बनाम केरल राज्य, अंतिम निर्णय तारीख 15.03.2021 इन डब्लूपी(सी) संख्या 23404/2020 (अपील किया गया है)

11. एमएक्स. आलिया एसके बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2019 की रिट याचिका संख्या 21587, अंतरिम ऑर्डर तारीख 27.11.2019

12. अरुणकुमार और अन्य बनाम रेजिस्ट्रेशन महानिरीक्षक और अन्य, (2019) 4 मैड एलजे 503

13. आशीष कुमार मिश्रा बनाम सचिव खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार, एआईआर 2015 ऑल 124

14. ऑल असम ट्रांसजेंडर एसोसिएशन बनाम असम राज्य और अन्य, जनहित याचिका संख्या 24/2021 (विचाराधीन)

15. कर्नाटक सेक्शुअल माइनोंरिटीज़ फोरम बनाम कर्नाटक राज्य, 2015 की रिट याचिका संख्या 1397 को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम फ़ैसले से खारिज किया गया, तारीख 06.02.2017. वैजयंती वसंत मोगली और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य, 2018 की रिट याचिका संख्या 44 को 18.09.2019 के अंतरिम ऑर्डर द्वारा तेलंगाना यूनुक एक्ट, 1329 एफ के लागू होने पर रोक लगाया गया।

16. संपूर्णा वर्किंग ग्रुप का ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 पर कथन, <https://sampoornaindiablog.wordpress.com/2019/07/19/spwg-statement-on-transgender-persons-protection-of-rights-bill-2019/>

17. रचना मुद्रबोर्डना बनाम भारतीय संघ, 2020 की रिट याचिका संख्या 281; स्वाति बिधान बरुआ बनाम भारतीय संघ, 2020 की रिट याचिका संख्या 51; ग्रेस बानो और अन्य बनाम भारतीय संघ, 2020 की रिट याचिका संख्या 406
18. ऑनदेदे बनाम भारतीय संघ, 2020 की रिट याचिका संख्या 11679
19. वही 12
20. इंद्रजीत घोरपड़े बनाम भारतीय संघ और अन्य. इंटरिम फ़ैसले की तारीख 23.03.2021 इन डब्ल्यूपी(सी) 3865/2021
21. प्रमोद कुमार शर्मा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 2 अन्य, अंतिम फ़ैसले की तारीख 02.02.2021 इन रिट-ए नंबर 8399 ऑफ 2020
22. पेटिशन की कॉपी: https://www.livelaw.in/pdf_upload/pdf_upload-369544.pdf
23. अभिजीत अय्यर मित्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, डब्ल्यूपी(सी) नंबर 7692/2020
24. डॉ कविता अरोड़ा एंड एनआर. बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एनआर., डब्ल्यूपी(सी) नंबर 7692/2020
25. वैभव जैन एंड एनआर. बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड एनआर., डब्ल्यूपी(सी) नंबर 7657/2020
26. उदित सूद एंड ओआरएस. बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड एनआर., डब्ल्यूपी(सी) 2574/2021
27. दी एन्ड ऑफ क्रिमिनलिटी? दी साईनेकडोकि क सिंबॉलिज्म ऑफ सेक्शन 377, अनिरुद्ध दत्ता, एनयूजेएस रिव्यू, 13 एनयूजेएस एल, रेव 3 (2020)
28. फ्रेज़र, नैसी (1998). 'सोशल जस्टिस इन दी एज ऑफ आईडेंटिटी पॉलिटिक्स: रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिकॉग्निशन, पार्टिसिपेशन', डिस्कशन पेपर्स, रिसर्च यूनिट: ऑर्गेनाइजेशन एंड एंग्लॉयमेंट एफएस | 98-108, डब्ल्यूजेडबी बर्लिन सोशल साइंस सेंटर
29. इस शोध पत्र के लेखकों के पास सी-हेल्प द्वारा 13 फरवरी 2021 को आयोजित वर्चुअल कम्युनिटी कंसल्टेशन के मिनट्स की एक कॉपी है।
30. क्वीयर शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता है जो जेंडर और यौनिकता के तय मानकों को रवैये, व्यवहार, पहचान और/या भाव में चुनौती देते हैं।

31. लेस दैन गो, अ सिटीजंस रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ होमोसेक्सुअलिटी इन इंडिया, एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन (एड्स एंटी-डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट), न्यू दिल्ली (1991) पृ. 4-6

32. वही, पृ. 6-7, 10

33. वही 31, पृ. 9

34. वही 31, पृ. 12

35. वही 31, पृ. 10-11

36. वही 31, पृ. 51

37. गुजरात हाई कोर्ट ने मैत्री करार (फ्रेंडशिप एग्रीमेंट) को मीनाक्षी जावेरभाई जेठवा बनाम गुजरात राज्य (2000) 41 (2) जीएलआर 1336 में अवैध घोषित कर दिया था। ऐसा उन शादीशुदा पुरुषों को रोकने के लिए हुआ जो गुजरात में हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत द्विविवाह निषेध का उल्लंघन कर दूसरी औरतों के साथ लिव इन में रह रहे थे।

38. वही 31, पृ. 68-69

39. राइड्स इन इंटीमेट रिलेशनशिप: टूर्वर्डस ऐन इंकलूसिव एंड जस्ट फ्रेमवर्क ऑफ वीमेंस राइड्स एंड द फैमिली, पार्टनर्स फ़ॉर लॉ इन डेवलपमेंट (2010), पृ. 61-72

40. सेम-सेक्स कपल्स इन इंडिया आर यूजिंग गुजराती प्रैक्टिस टू गेट 'मैरिड', आंकार खांडेकर, लाइवमिंट, 05.10.2020

41. हमजिन्सी, अ रिसोर्स बुक ऑन लेस्बियन, गे एंड बिसेक्सयूअल राइड्स इन इंडिया, एडिटेड एंड कम्पाइल्ड बाई बीना फ़र्नान्डिस, इंडिया सेंटर फ़ॉर ह्यूमन राइड्स एंड लॉ (1999)

42. वही, पृ. 8

43. वही 41, पृ. 83-88

44. वही 41, पृ. 16-19, 66-72

45. ब्रेकिंग दी बायनरी: अंडरस्टैंडिंग कंसर्न एंड रियलिटीज़ ऑफ क्वीयर पर्सन्स एसाइन्ड जेंडर फीमेल एट बर्थ अक्रॉस अ स्पेक्ट्रम ऑफ लिव्ड जेंडर आईडेंटिटीज़, अ स्टडी बाय लेबिया- अ क्वीयर फेमिनिस्ट कलेक्टिव (अप्रैल 2013)

46. चयनिका शाह, मीनाक्षी सान्याल, माया शर्मा, रितुपर्णा बोरा, रूमी हरीश, दीप्ति शर्मा एंड जया शर्मा, रिस्पांस टू लॉ कमिशन ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड (जुलाई 2018); यहाँ देखें: <http://orinam.net/lci-response-lbt-2018/>

47. ट्रांस*, इंटर सेक्स और जेंडर बायनरी लोग केए बार सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक नामों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ट्रांस औरताना पहचानों और अभिव्यक्तियाँ निम्न प्रकार हैं: थिरुनंगई, मंगलमुखी, हिजड़ा, कोथी, किन्नर, जोगप्पा, शिव शक्ति, पर्सन ऑफ ट्रांस फेमिनिन एक्सपीरियंस। कुछ ट्रांस मर्दाना पहचानों और अभिव्यक्तियाँ इस प्रकार हैं: थिरुनम्बई, गंडाबसका, बाबू, भैया, पर्सन ऑफ ट्रांस मैस्क्युलिन एक्सपीरियंस। कई नॉन-बाइनैरियन और जेंडर नॉन-बाइनरी लोग हैं जो इनमें से किसी पहचान से खुद को नहीं जोड़ते हैं; *इंद्रा* 42

48. अ मेनिफेस्टो फॉर राइट ऑफ ट्रांस, इंटरसेक्स एंड जेंडर नॉन-बाइनरी पर्सन; संपूर्ण (2019); यहाँ देखें: <https://sampoornaindiablog.wordpress.com/2019/02/25/a-manifesto-for-rights-of-trans-intersex-gender-non-binary-indians/>

49. वही 16

50. मेकिंग इंडियन लॉज़ एलजीबीटी+ इंकलूसिव, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी (2019)

51. वही, पृ 33-34

52. अनिवार्य विषमलैंगिकता या कंपलसरी हेट्रोसेक्सुअलिटी यह विचार है कि विषमलैंगिकता ही यौनिकता की प्राकृतिक स्थिति है और इस सामान्य से भटकना कानून और समाज द्वारा अमान्य और सज़ायाफ़्त है। अनिवार्य एकविवाह और संयुग्मता भी इन्हीं आधारों पर तय होते हैं, और समाजिक तथा वैधानिक संस्थाएं लोगों को इसे मानने या ना मानने के लिए दंड और पुरस्कार देती हैं। देखें रिच, एड्रियन। "कंपलसरी हेट्रोसेक्सुअलिटी एंड लेस्बियंस एग्सिस्टेंस।" साइंस, वॉल्यूम 5, नम्बर 4, 1980, पृ. 631-630।

53. पोनी अरसू और प्रिया थंगराजा, *क्रीयर वूमन एंड हैबियस कॉर्पस इन इंडिया: द लव दैट ब्लाइंड्स द कोर्ट*, 19(3) इंडियन जर्नल आफ जेंडर स्टडीज 413 (2012)

54. *मनसूर रहमान बनाम सुपरिटेण्डेंट ऑफ पुलिस*, 2018 एससीसी ऑनलाइन मैड 3250।

55. *लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*, (2006) 5 एससीसी 475

56. साधना सिनसिनवार और अन्य बनाम राज्य और अन्य, डब्लूपी (सीआरएल) नंबर 3005 ऑफ 2018 अंतिम फ़ैसले से निपटारा, तारीख 01.10.2018

57. एसएसजी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, रिट पेटिशन नम्बर 23120(डब्लू) ऑफ 2018, अंतिम फ़ैसले से निपटारा, तारीख 29.01.2019

58. भावना और अन्य बनाम राज्य और अन्य, डब्लूपी (सीआरएल) नंबर 1075 ऑफ 2019, ऑर्डर डेटेड 12.04.2019

59. मोनू राजपूत बनाम राज्य, 2019 एससीसी ऑनलाइन डेल 9154

60. मधु बाला बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन यूटीटी 276

61 परमजीत कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य सीआरडब्लूपी नंबर 5042/2020 अंतिम फ़ैसले से निपटारा, तारीख 20/07/2020

62 सुल्ताना मिर्जा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य रिट पेटिशन (स) 17394/2020 अंतिम फ़ैसले से निपटारा, तारीख 02/12/2020

63 रौनक रॉय बनाम कर्नाटक राज्य वीपी (स) 85 ऑफ़ 2020, अंतिम फ़ैसले से निपटारा, तारीख 14.12.2020

64 पूनम रानी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य रिट (स) नंबर. 1213 ऑफ़ 2021 अंतिम फ़ैसले से निपटारा, तारीख 20/01/2021

65 सुषमा और सीमा बनाम कमिश्नर ऑफ़ पुलिस, अंतिम फ़ैसले से निपटारा, तारीख 07.06.2021 इन डब्लूपी नंबर 7284/2021

66 धनक ऑफ़ ह्यूमैनिटी और अन्य बनाम एनसीटी राज्य और अन्य, डब्लूपी (सीआरएल) नंबर 1321/2021 अंतिम फ़ैसले की तारीख 23.07.2021

67 शक्ति वाहिनी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया और अन्य (2018) ७ एससीसी 192

68 डॉ० संघमित्रा आचार्य बनाम एनसीटी दिल्ली 2018 एससीसी ऑनलाइन डेल 8450 पारा. 66-70

69 वीमेन'स राइट टू चूज़ इफ, व्हेन एंड हूम टू मैरी, एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव (एएएलआई), लखनऊ (2003), पृ 6-8

70 वही 4 पैराग्राफ 385

71 इन द मैटर ऑफ़ क्वीयर रिलेशनशिप्स - कोर्ट अप्रूवल वर्सेस सोशल अप्रूवल, दीक्षा सान्याल, अगस्त 24 2021: <https://vartagensex.org/insight/2021/08/in-the-matter-of-queer-relationships-court-approval-vs-socialdisapproval/>

72 वही 12

73 केरल राज्य बनाम एनबी थॉमस (1976) 2 एससीसी 310

74 वही 4 पैरा. 95

75 वही 4, पैरा. 104. सी: अल्बर्टाइन एंड गोल्डब्लाट्ट फेसिंग द चैलेंज ऑफ़ ट्रांसफॉर्मेशन: डिफीकल्टीज इन द डेवलपमेंट ऑफ़ एन इंडिजेनस जुरीसप्रूडेन्स ऑफ़ इक्लिटी, 14 एस. एफ़आर. जे एचयूएम. आरटीएस. 248 (1998)

76 (2008) 3 एससीसी 1

77 (2017) 10 एससीसी 1

78 (2014) 1 एससीसी 1

79 2018 एससीसी ऑनलाइन एससी 343

80 (2019) 3 एससीसी 39

81 वही पैरा. 152-157. सी: मार्टिन जे. सीगल 'फॉर बेटर और फॉर वर्स: अडल्टेरी, क्राइम एंड द कंस्टीटूशन' जर्नल ऑफ़ फॅमिली लॉ, वॉल. 30 (1991) 45। विवाहेतर संबंधों के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग करते हुए यह कार्य बिना किसी संयोग के जेंडर और यौनिकता पर मौजूद विधिशास्त्र का हवाला देता है और दिखाता है कि सामाजिक, आर्थिक और वैधानिक मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं: मातृत्व अवकाश में बंधन, गरीब औरतों के लिए तलाक का अधिकार, आवासीय नियम जो कानूनी तौर पर साथ रहने की एक छोटी और सपाट

रेखा खींचते हैं, नस्लीय मिलावट के खिलाफ़ कानून जो अंतर्नस्लीय विवाह रोकते हैं, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच और समलैंगिकता का अपराधीकरण आदि।

82 2018 एससीसी ऑनलाइन डेल 6660

83 बिलका-काउफ़स जीएमबीएच वर्सेस वेब्लर वोन हर्टज़ (1986) ईसीआर 1607

84 एंड्र्यू वर्सेस लॉ सोसाइटी ऑफ़ ब्रिटिश कोलंबिया, [1989] 1 एससीआर 143। एचआईवी/एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 2017 में भेदभाव की ऐसी ही समझ है जो प्रमोशन ऑफ़ इकलिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ़ अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन एक्ट, 2000 इन साउथ अफ्रीका. 85 ओंटारियो ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड ओ'मैली वर्सेस सिम्पसंस-सियर्स एलटीडी., [1985] से ली गई है। 2 एससीआर 536

86 सिटी कौंसिल ऑफ़ प्रिटोरिया वर्सेस वॉकर केस, सीसीटी 8/97

87 ग्रिग्स वर्सेस ड्यूक पावर सीओ., 401 यूएस 424 (1971)

88 रिट पेटिशन (सिविल) नंबर 4525/2014 अंतिम निर्देश से खारिज और फ़ैसले की तारीख 06.08.2015

89 वही 4, पैरा. 395-396

90 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 261

91 2015 एससीसी ऑनलाइन बोम 6256

92 (2016) 7 एससीसी 761

93 (2015) 4 आल एलजे 339

94 अगोस्ट इकलिटी: क्वीयर क्रिटिक्स ऑफ़ गे मैरिज, रयान कौनराड द्वारा संपादन और यास्मीन नायर द्वारा भूमिका

95 रि-कास्ट(इ)इंग नवतेज सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ़ इंडिया, जीईई ईमान सेम्मलर, एनयूजेएस लॉ रिव्यू, 13 एनयूजेएस एल. रेव. 3 (2020)

96 (2018) 5 एससीसी 1

97 (2020) एससीसी ऑनलाइन बोम 880

- 98 सेक्शंस 4-7, ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स) एक्ट 2019
- 99 इंडिया एचआईवी एस्टिमेट्स 2019 रिपोर्ट नेशनल एड्स कण्ट्रोल आर्गनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ़ हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया @ पृ. 15-17
- 100 फ़ैसले की तारीख 16.12.2010 संकल्प रिहैबिलिटेशन ट्रस्ट बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया में, रिट पेटिशन (सी) 512/1999
- 101 द एचआईवी/एड्स बिल 2007: पॉजिटिव डायलाग, लॉयर्स कलेक्टिव एचआईवी/एड्स यूनिट (जुलाई 2007)
- 102 केमसेक्स एंड द फेलियर ऑफ़ नई एचआईवी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज इन इंडिया, कर्नेलिस रिजनेवेल्ड 31 अगस्त 2020 कैरवां
- 103 एचआईवी अधिनियम का अनुभाग 14
- 104 लूपहोल इन एचआईवी/एड्स बिल पासड बाई राज्य सभा ड्रॉस क्रिटिसिज्म फ्रॉम पेशेंट्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स, मेनका राव एंड प्रियंका वोरा, मार 22 2017, स्कॉल.इन
- 105 विक्रमादित्य सहाय, एजे अग्रवाल एंड अल्मास शैख, 'एक्सक्लूशन एम्प्लीफाइड: कोविड-19 एंड द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी', (सीएलपीआर बैंगलोर, 2020)
- 106 रूल 10 को ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स) रूल्स, 2020 के एनेक्सर 11 के साथ पढ़ें
- 107 सेक्शन 15, ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स) एक्ट 2019
- 108 क्रियरिदम बनाम नेशनल मेडिकल कमीशन और अन्य, डब्ल्यूपी (सी) नंबर 18210 ऑफ़ 2021, अंतिम फ़ैसले से खारिज, तारीख 07.09.2021
- 109 थंगजम सांता सिंह @ सांता खुरई बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया और अन्य, डब्ल्यूपी (स) नंबर 275/2021
- 110 ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ़ इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट रिगार्डिंग 'कन्वर्शन थेरेपी' एंड एप्रोच टुवर्ड्स लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर पर्सन्स, नंबर आईएसीपी/ऑफिस/पोजीशन स्टेटमेंट/02, डेटेड 21 मई 2020; पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ़ इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी रिगार्डिंग एलजीबीटीक्यू रेफ: आईपीएस/एचजीएस/20-22/0311, डेटेड 11.06.2020

111 क्वीयरला बनाम केरल राज्य और अन्य. रिट पेटिशन (सिविल) नंबर 21202/2020

112 कंट्री असेसमेंट ऑफ़ ह्यूमन राइट्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ़ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स, ए स्टडी अंडरटेकन फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एसएएमए रिसोर्स ग्रुप फॉर वीमेन एंड हेल्थ, पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलपमेंट द्वारा रिपोर्ट, 2018

113 दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट्स, नंबर एफ/डीसीपीसीआर/20-21/हेल्थ एंड न्यूट्रीशन/प्रोजेक्ट फाइल- VIII/1329495, डेटेड 13.01.2021

114 सृष्टि मदुरै एजुकेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाम एनसीटी दिल्ली और अन्य. डबल्यूपी (सी) नंबर 8767/2021

115 हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के अनुभाग 24-25

116 रानी सेठी बनाम सुनील सेठी, 179 (2011) डीएलटी 494

117 हिन्दू अडोप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का अनुभाग 3(बी); मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ़ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 का अनुभाग 2(बी)

118 ए. डीनोहमी वर्सेस डबल्यू. एल. ब्लाहमय, एआईआर 1927 पी.सी. 185

119 भरथा माथा बनाम आर. विजय रंगनाथन (2010) 11 एससीसी 483

120 एसएमटी. यमुनाबाई अनंतराओ आधव ए बनाम रानंतराओ शिवराम आधव 1988 एआईआर एससी 644; सविताबेन सोमभाई भाटिया बनाम गुजरात राज्य, अपील (सीआरएल.) 399 ऑफ़ 2005

121 बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे (2014) 1 एससीसी 188

122 चनमुनिया बनाम वीरेंदर कुमार सिंह कुशवाहा (2011) 1 एससीसी 141; कमला & ओआरएस. बनाम एम.आर. मोहन कुमार (2019) 19 एससीसी 491

123 कै.प्ट. रमेश चन्दर कौशल बनाम वीणा कौशल एआईआर (१९७८) एससी 1807

124 डीवी एक्ट की प्रस्तावना

125 (घरेलू हिंसा) अनुभाग 3 के अनुसार "आर्थिक दुर्व्यवहार"में शामिल हैं--

(क) सभी या किसी भी आर्थिक या वित्तीय संसाधनों से वंचित करना, जिसका पीड़ित व्यक्ति किसी कानून या प्रथा के तहत हकदार है, चाहे वह अदालत के आदेश के तहत देय हो या जिसकी पीड़ित व्यक्ति को आवश्यकता हो, जिसमें पीड़ित व्यक्ति और उसके बच्चों के लिए घर की आवश्यकताएं, यदि कोई स्त्रीधन अथवा संपत्ति संयुक्त रूप से या अलग से पीड़ित व्यक्ति के स्वामित्व में हो, साझा घर और रखरखाव से संबंधित किराये का भुगतान आदि शामिल है, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है।

(ख) घरेलू कार्यों का निपटान, परिसंपत्तियों का कोई भी हस्तांतरण, चाहे वह चल या अचल हो, कीमती सामान, शेयर, प्रतिभूतियां, बांड और इसी तरह की या अन्य संपत्ति जिसमें पीड़ित व्यक्ति का हित है या घरेलू संबंध के आधार पर उपयोग करने का हकदार है या जिसकी उचित रूप से पीड़ित व्यक्ति या उसके बच्चों या उसके स्त्रीधन या पीड़ित व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या अलग से रखी गई किसी अन्य संपत्ति द्वारा आवश्यकता हो सकती है; और

(ग) उन संसाधनों या सुविधाओं तक निरंतर पहुंच पर रोक या प्रतिबंध, जिनका उपयोग करने या आनंद लेने का पीड़ित व्यक्ति साझा घर तक पहुंच सहित घरेलू संबंधों के आधार पर हकदार है।”

126 (2010) 10 एससीसी 469, पैरा. 31

127 (2013) 15 एससीसी 755, पैरा. 56

128 कॉस्मान, बेरन्डा एंड ब्रूस रीडर. “व्हाट इस मैरिज-लाइक लाइक? द इर्रेलेवन्स ऑफ़ कौंजुगैलिटी” कैनेडियन जर्नल ऑफ़ फॅमिली लॉ 18.2 (2001): 269:236

129 (2016) 10 एससीसी 165

130 रिट पेटिशन नंबर 57 ऑफ़ 2020, डिस्पोजेड ऑफ़ बाई अंतिम फैसले की तारीख 24.08.2020

131 लॉ कमीशन ऑफ़ इंडिया कंसल्टेशन पेपर ऑन रिफार्म ऑफ़ फॅमिली लॉ (अगस्त 2018), पीजीएस. 33-34

132 रिपोर्ट ऑफ़ द सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर (2002); अवेलेबल एट: <https://www.prsindia.org/uploads/media/1237548159/NLCII-report.pdf>

133 सेक्शन 2(75) ऑफ़ सोशल सिक्योरिटी कोड 2020

134 सेक्शन 2(86) ऑफ़ सोशल सिक्योरिटी कोड 2020

135 ट्रेड यूनियनों ने 29 श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड के अंतर्गत लाने के संसद के 2019-2020 फ़ैसले पर विरोध दर्ज़ किया है। उनका कहना है कि इसने सामाजिक सुरक्षा को कमज़ोर किया है और गैर-श्रमिक कानूनों को आगे बढ़ाया है। देखें: न्यू लेबर कोड्स एंड थेइर लूपहोल्स, इडबल्यूपी एडिटोरियल, वॉल. 55, इशू नंबर 40, 03 ओसीटी 2020; लेबर लॉज़ परफॉर्म ए रिडिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन. डाइल्युटिंग देम हैज़ सीरियस कोंसकेंसेस, रश्मि वेंकटेशन, द वायर 29/सेप्ट/2020; व्हाई द न्यू लेबर कोड्स लीव इंडिया'ज़ वर्कर्स इवन मोर प्रीकारियस्ली पोइज़्ड दैन बिफ़ोर, वर्किंग पीपल'स चार्टर, स्क़ॉल.इन, सेप्ट 23 2020

136 राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना (ईएसआईसी, 2005); अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ईएसआईसी 2018)

137 सम्मरी रिपोर्ट ऑफ़ 8 स्टेट्स स्टडी ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ़ नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज एंड पेंशन परिषद् (फरवरी 2015)

138 एचआईवी एक्ट का अनुभाग 15

139 ट्रांस एक्ट के अनुभाग 8 और 14

140 रूल 10 को ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स) रूल्स 2020 के एनेक्सर II के साथ पढ़ें

141 वही 50 पृ. 24-25

142 (2008) 2 एससीसी 238 पैरा. 11-15

143 वही 46

144 एआईआर 2016 एचपी 148

145 ईल्ल्यास बनाम बादशा अलियास कमला एआईआर 1990 एमपी 334

146 यूपी रेवेन्यु कोड (अमेंडमेंट) एक्ट, 2020 ऑन रेकमेंडेशन ऑफ़ सिक्स्थ रिपोर्ट ऑफ़ स्टेट लॉ कमीशन ऑन ट्रांसजेंडर राइट्स इन एग्रीकल्चरल लैंड इन यूपी (मार्च 2019)

147 लिविंग विद डिग्रिटी: सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी-बेस्ड ह्यूमन राइट्स वाईओलेशनस इन हाउसिंग, वर्क एंड पब्लिक स्पेसेस इन इंडिया, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ़ जुरिस्ट्स (जून 2019) पीजी. 59. सी

आल्सो: त्रिपुरा बिल्डिंग (लीज एंड रेंट कण्ट्रोल) एक्ट, 1975 एंड अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग (लीज, रेंट एंड एविकशन) कण्ट्रोल एक्ट, 2014

148 सेक्शन 16(1)(सी) ऑफ़ द महाराष्ट्र रेंट कण्ट्रोल एक्ट 1999

149 सेक्शन 12(1)(इ) ऑफ़ द वेस्ट बंगाल प्रेमिसेस रेंट कण्ट्रोल (टेम्पररी प्रोविशंस) एक्ट, 1950

150 सेक्शन 21(2)(डी) ऑफ़ तमिल नाडु रेगुलेशन ऑफ़ राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ़ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स एक्ट, 2017

151 सेक्शन 10(2)(iv), द पुडुचेरी बिल्डिंग्स (लीज एंड रेंट कण्ट्रोल) एक्ट, 1969

152 सेक्शन 2(13) रीड विद सेक्शन 12(2) शेड्यूल 2, आइटम 11(डी) एंड शेड्यूल 4, आइटम 10 ऑफ़ छत्तीसगढ़ रेंट कण्ट्रोल एक्ट, 2011; सेक्शन 22(2)(डी) ऑफ़ द गोवा, दमन एंड दिउ बिल्डिंग्स (लीज, रेंट एंड एविकशन) कण्ट्रोल एक्ट, 1968

153 वही 147 पृ. 51-52

154 वही 41 सिविल लॉज़ अप्फेक्टिंग गे में एंड लेस्बियन्स, पृ. 66-72

155 सेक्शन 4 ऑफ़ आरईआरए

156 राजस्थान रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) रूल्स 2017

157 वही 68

158 लेखकों के पास ऐसे ही एक गे कपल के केस से जुड़े रिकॉर्ड और कानूनी सलाह की फ़ाइल है

159 आर्टिकल 34 ऑफ़ शेड्यूल I, महाराष्ट्र स्टाम्प एक्ट 1958

160 सेक्शन 2(एफ) एंड (जे) रीड विद सेक्शन 3(4) ऑफ़ द ओडिशा लैंड राइट्स तो स्लम डेवलर्स एक्ट, 2017

161 स्कीम ऑफ़ शेल्टर्स फॉर अर्बन होमलेस, रिवाइज्ड ऑपरेशनल गाइडलाइन्स (2018) दीनदयाल अंत्योदय योजना –नेशनल अर्बन लाईवलीहुड्स मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ़ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ़ इण्डिया

162 हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क कमेंट्स ऑन ड्राफ्ट मॉडल टेनेंसी एक्ट (अगस्त 2019)

163 वही 17

164 वही 140

165 हर्ष मंदेर और अन्य. बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया और अन्य. एआईआर 2018 डेल 188

166 सुहैल रशीद भट बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य 2019 एससीसी ऑनलाइन जेएंडके 869

167 सेक्शन 3 रीड विद सेक्शंस 7 एंड 18 ऑफ़ आईटीपीए

168 (1999) 2 एससीसी 228

169 पर्सनललाॅज (अमेंडमेंट) एक्ट, 2010

170 सेक्शन 6, हिन्दू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956

171 सेक्शंस 7-8, हिन्दू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956

172 लक्ष्मी कांत पांडेय बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (1984) 2 एससीसी 244

173 (2014) 4 एससीसी 1 1

174 सेक्शन 57, जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन) एक्ट, 2015

175 अडोप्शन रेगुलेशंस, 2017

176 वही रेगुलेशन 3(ए)

177 वही 175, रेगुलेशन 5

178 सेक्शन 2(1)(जी) एआरटी बिल

179 सेक्शन 2(1)(एम) एआरटी बिल

180 सेक्शन 21 एआरटी बिल

181 सेक्शन 2(जी) को सररोगेसी बिल के (आर) के साथ पढ़ें

182 सेक्शन 3(ii) को सररोगेसी बिल के सेक्शन 35-37 के साथ पढ़ें

183 सेक्शन 4(ii)(बी) सररोगेसी बिल

184 राज्य सभा रिपोर्ट ऑफ़ द सेलेक्ट कमेटी ऑन द सररोगेसी (रेगुलेशन) बिल 2019

185 द सररोगेसी (रेगुलेशन) बिल, 2016: एनालिसिस एंड सजेस्टेड चेंजस: एसएएमए रिसोर्स ग्रुप फॉर वीमेन एंड हेअल्थ

186 हाउ कैन फैमिलीज़ बी इमेजिनड बियाँन्ड किनशिप एंड मैरिज? अरिजीत घोष, दिशा सान्याल, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वॉल. 54, इशू नंबर 45 (नवंबर 2019)

187 एक्सपैंडिंग द क्लीनिकल डेफिनिशन ऑफ़ इनफर्टिलिटी टू इनक्लूड सोशली इनफरटाइल इंडिविडुअल्स एंड कपल्स, वीइ लो एंड लिसा कैपो-इंग्लेस्टीन, रिप्रोडक्टिव एथिक्स II (2018)

188 द योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स: प्रिंसिपल्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ़ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ इन रिलेशन टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी (मार्च 2007)

189 वही 4 पैरा. 338-342

190 योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स प्लस 10: एडिशनल प्रिंसिपल्स एंड स्टेट ओब्लिगेशंस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ़ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ इन रिलेशन तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रेसन एंड सेक्स कैरेक्टरस्टिक्स टू कॉम्प्लीमेंट थे योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स, अडॉप्टेड ऑन 10थ नवंबर 2017, जेनेवा

191 रिपोर्ट नंबर 102, डिपार्टमेंट-रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेयर, द सररोगेसी (रेगुलेशन) बिल, 2016 (अगस्त 2017)

192 रिपोर्ट ऑफ़ ए स्टडी टू अंडरस्टैंड द लीगल राइट्स एंड चैलेंजेज ऑफ़ सररोगेटेस फ्रॉम मुंबई एंड न्यू दिल्ली, सबमिटेड टू एनएचआरसी बाई डॉ. पी.एम. अरथी, एसएसटी. प्रोफेसर काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट नई दिल्ली (2018), पृ. 27-29 51-52 99-105

193 दलित फेमिनिस्ट वॉइसेस ऑन रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड रिप्रोडक्टिव जस्टिस, जोहन्ना गोन्डोयू, सुरुचि थापर-बजाकेट, मोहन राओ, इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वॉल. 55 इशू नंबर 40 (अक्टूबर 2020)

194 न्यू इंटीमिसेज़, ओल्ड डिज़ायर्स लॉ, कल्चर एंड क्वीयर पॉलिटिक्स इन नियोलिबेल टाइम्स, संपादक ओईशिक सिरकार और दीपिका जैन, जुबां (2017); चैप्टर 13, पोलीमॉर्फोस रेप्रोडक्टिविटी एंड द कृटीक ऑफ़ फ्यूचरिटी टुवर्ड्स ए क्वीयर लीगल एनालिटिक फॉर फर्टिलिटी लॉ, स्टु मार्वल पृ. 386-402

195 वही 193 पृ. 2

196 रेगुलेशन 2(vii) को एम्प्लोयी'स पेंशन स्कीम, 1995 के रेगुलेशन 16 के साथ पढ़ें

197 रेगुलेशन 2(जी) को एम्प्लोयी'स प्रोविडेंट फंड्स स्कीम 1952 के रेगुलेशन 61 के साथ पढ़ें

198 एम्प्लोयी'स प्रोविडेंट फण्ड आर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ़ लेबर & एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया; यहाँ देखें:

https://www.epfindia.gov.in/site_en/AboutEPFO.php

199 रेगुलेशन 23 एम्प्लोयी'स डिपाजिट लिंक्ड इन्स्युरेन्स स्कीम

200 वही 154 पृ. 68-71

201 नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम गाइडलाइन्स (2014), मिनिस्ट्री ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया

202 सेक्शन 5-13 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961

203 सेक्शन 2(24) कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020

204 सेक्शन 2(33) कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020

205 बेबी देवानंद (अपनी माता के ज़रिए) बनाम एम्प्लाइज स्टेट इन्स्युरन्स कारपोरेशन, 2017 एससीसी. ऑनलाइन Del 12779

206 मलरकोडी @ मलार बनाम चीफ इंटरनल ऑडिट अफसर एंड ओआरएस., फैसले की तारीख 09.03.2021 , 20121 के डबल्यूपी नंबर 5706 में

207 ड्राफ्ट साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पालिसी, मिनिस्ट्री ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, दिसंबर 2020

208 वही 147 पृ. 65-103

209 नोटिफिकेशन नंबर डीपीएआर 179 एसआरआर 2020 डेटेड 06.07.2021 कर्नाटक सरकार द्वारा संगमा और अन्य बनाम राज्य के चीफ सेक्रेटरी और अन्य के उत्तर में पारित डबल्यूपी नंबर 8511/2020(जीएम-पीआईएल)

210 सुमिता कुमारी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, अंतिम फैसले की तारीख 01.07.2015, 2015 के डबल्यूपी 8911 में

211 क. अन्नपूरनम बनाम एसइसीवाई. टू द गवर्नमेंट, पर्सनेल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डेप्ट., एससीसी. ऑनलाइन मेड 15928

212 हिना हनीफा बनाम केरल राज्य और अन्य, अंतिम फैसले की तारीख 15.03.2021, 2020 (ए) के डबल्यूपी (सी) नंबर 23404 में

213 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 1023

214 वही 41 पृ. 17-19, 72

215 सेक्शन 4, एसएमए; सेक्शन 3, द पारसी लॉ; सेक्शन 4, द क्रिस्चियन लॉ; सेक्शंस 5 और 7, हिन्दू लॉ; चैप्टर 11: मैरिज (निकाह), मुल्ला ऑन मोहम्मडन लॉ 2008.

216 सेक्शंस 27 35 और 41 एसएमए; सेक्शन 4-5 और 32 पारसी लॉ; सेक्शन 10-11 क्रिस्चियन 1869 लॉ; सेक्शन 12 और 17 हिन्दू लॉ; सेक्शन 2 मुस्लिम 1939 लॉ (मुस्लिम पर्सनल लॉ पुरुष को दूसरा विवाह करने की अनुमति देता है, हालांकि अदालतों ने माना है कि बहुविवाह आवश्यक धार्मिक अभ्यास 'इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस' नहीं है, इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सुरक्षित नहीं है: खुर्शीद अहमद खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2015) 8 एससीसी 439)

217 सेक्शन 24-25 एसएमए; सेक्शन 30-32 पारसी लॉ; सेक्शन 10 और 18 क्रिस्चियन 1869 लॉ; सेक्शन 12-13 हिन्दू लॉ; सेक्शन 2 द मुस्लिम 1939 लॉ

218 कॉन्स्टीटूशनलिटी ऑफ़ फॅमिली लॉज़ इन इंडिया, एन इनसाइट ईटू द चैलेंजेज एंड द रिस्पॉंस ऑफ़ द जुडिशरी, डॉ. पूनम सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ़ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ़ डेल्ही

219 (2020) 2 एससीसी 1

220 वही 28

221 सेक्शन 40 पारसी लॉ; सेक्शन 37 एसएमए; सेक्शन 25 हिन्दू लॉ, सेक्शन 125 सीआरपीसी

222 व्हाट इज जजेस इन इंडिया थिंक अबाउट मैरिटल सेक्स? इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, सप्तर्षि मंडल, वॉल्युम. 52 इशू नंबर 52 (जनवरी 2018)

223 वही 48

224 एक्सेप्शन 2 टू सेक्शन 375 आईपीसी आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ लॉ इन इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, (2017) 10 एससीसी 800

225 आरआईटी फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पेटिशन (सी) 284 ऑफ 2015 और अन्य.

226 अनमिका बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पेटिशन नंबर 2537 ऑफ 2018 डिस्पोसेड ऑफ बाई दिल्ली हाई कोर्ट बाई अंतिम फैसले की तारीख 17.12.2018

227 डॉ॰ मालाबीका भट्टाचार्य बनाम इंटरनल कम्लेंट्स कमेटी, विवेकानंद कॉलेज एंड अदर्स डब्ल्यूपीए 9141 ऑफ 2020, बाई फैसले की तारीख 27.11.2020

228 एम. श्रीनिवासन बनाम स्टेट थ्रू इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और अन्य. 2020 एससीसी ऑनलाइन एमएडी 6311

229 एक्स बनाम उत्तराखंड राज्य, एआईआर 2019 यूटीटी 138

230 वही 130

231 सेक्शन 22, 23, 27 एसएमए; सेक्शन 32 ए, 36 पारसी लॉ; सेक्शन 9, 13 हिन्दू लॉ; सेक्शन 18, 32 क्रिस्चियन 1869 लॉ; सेक्शन 2 मुस्लिम 1939 लॉ

232 1983 (5) एपीएलजे एच.सी. 37

233 श्रीमती सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा, (1984) 4 एससीसी 90

234 ओजस्वा पाठक और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पेटिशन नंबर 250/2019 और अन्य

235 सेक्शन 5-8 एसएमए

236 वही 69, पृ. 38; व्हाई डज़ द सेक्युलर इंडियन स्टेट डिस्करेज इंटर-रिलीजियस मैरिज? न्यूजक्लिक, आर. निथ्या 15 नव. 2013; कोर्ट इन्फोर्मेस एंड मोहल्ला स्पाइस: हाउ हिंदुत्व गुप्स इन नार्थ इंडिया स्टॉप इंटर-फेथ मैरिज, द स्कॉल, अभिषेक डे एयूजी. 05 2018; केरला गवर्नमेंट स्टॉप्स पब्लिशिंग ऑफ़ मैरिज नोटिसेस ऑन वेबसाइट, सबरंग, संचिता कदम 29 जुलाई 2020; टू हैरेस हिन्दू-मुस्लिम कपल्स, राइट विंग एक्टिविस्ट्स आर नाउ यूज़िंग देयर मैरिज डाक्यूमेंट्स, द वायर शीबा कुरियन 20 जुलाई 2020; द ऑटोनोमी टू चूज वन्स पार्टनर, हिंदुस्तान टाइम्स, नमिता भंडारे, सेप्ट 19 2020; हाउ द स्पेशल मैरिज एक्ट इज़ किलिंग लव, आर्टिकल 14, नमिता भंडारे एंड सुरभि कारवा 19.10.2020

237 सफिया सुल्ताना थ्रू हर्बैड अभिषेक कुमार पांडेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, हीबियस कार्पस नंबर 16907 ऑफ़ 2020 अंतिम फ़ैसले से खारिज, तारीख 12.01.2021

238 नन्दिनी प्रवीण बनाम यूनीयन ऑफ़ इंडिया, रिट पेटिशन नंबर 983/2020

239 निदा रेहमान और अन्य बनाम एनसीटी राज्य और अन्य., रिट पेटिशन नंबर 6974/2020

240 प्रिंएबल को आर्डिनेंस के सेक्शन 3 के साथ पढ़ा जाए

241 नदीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, फ़ैसले की तारीख 18.12.2020 इन क्रिमिनल मिस्क. रिट पेटिशन नंबर 16302 ऑफ़ 2020

242 अजित सिंह यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, पीआईएल नंबर 1756 ऑफ़ 2020

243 मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ़ रिलिजन आर्डिनेंस, 2020; कॉपी: <http://govtpressmp.nic.in/pdf/extra/2021-01-09-Ex-07.pdf>

244 गुजरात असेंबली पासेज फ्रीडम ऑफ़ रिलिजन अमेंडमेंट बिल (2021), एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग अप्रैल 2 2021: <https://www.scconline.com/blog/?p=246437>

245 सिटिज़ेस फॉर जस्टिस एंड पीस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, डबल्यूपी (सीआरएल) नंबर 428/2020

246 "मैरिज इललीगल": अलाहाबाद हाई कोर्ट साइट्स नॉन-कंप्लायंस विद यूपी एंटी-कन्वर्शन लॉ टू रिफ्यूज प्रोटेक्शन टू 3 इंटरफेथ कपल्स, बार एंड बेंच, 30 जून 2021: <https://www.barandbench.com/news/litigation/allahabad-highcourt-refuses-protection-3-interfaith-couples-non-compliance-up-anti-conversion-law>

247 जमीअत उलेमा-ए-हिन्द गुजरात बनाम गुजरात राज्य, अंतरिम फैसले की तारीख 19.08.2021 आर/स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर 10304 ऑफ़ 2021 में

248 वही 5 पैरा 75

249 सेक्शन 2(सी) ट्रांस एक्ट

250 वही 41 पृ. 86-88

251 मुनीष कक्कर बनाम निधि कक्कर, 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 1636

252 वही 186

253 नन्दी, अमृता (2017): मदरहुड एंड चॉइस: अनकोमन मदर्स चाइल्डफ्री वीमेन, नई दिल्ली: जुबान

254 बियाँन्ड कन्जुगैलिटी: रिकगनाईज़िंग एंड सपोर्टिंग क्लोज़ पर्सनल एडल्ट रिलेशनशिप्स, लॉ कमीशन ऑफ़ कनाडा (2001)

255 हवाई रेसिप्रोकल बेनेफिशरीज़ एक्ट ऑफ़ 1997, यहाँ देखें:
<https://law.justia.com/codes/hawaii/2015/title-31/chapter-572c/>

256 चैप्टर 25: रेसिप्रोकल बेनेफिशरीज़

257 सेक्शन 1(1)(एफ)

258 सेक्शन 1(2)

259 सेक्शन 5

260 कानून के सेक्शन 4 में एक महत्वपूर्ण रिश्ते के लिए निम्न बातें देखनी होंगी:

(ए) रिश्ते का समय;

(बी) साथ रहने वाली जगह की स्थिति और समय;

(सी) कोई यौन रिश्ता है या नहीं;

(डी) पक्षों के बीच आर्थिक निर्भरता या स्वतंत्रता और आर्थिक सहयोग के लिए किसी प्रकार का प्रबंध;

(इ) संपत्ति का स्वामित्व, इस्तेमाल और क्रियान्वन;

(एफ) एक साझा जीवन के लिए साझी प्रतिबद्धता;

(जी) बच्चों का संरक्षण और सहारा;

(एच) घरेलू ज़िम्मेदारियों का निर्वहन;

(आई) रिश्ते का सार्वजनिक पहलू और प्रतिष्ठा;

261 कानून के सेक्शन 5 के अनुसार देखभाल के रिश्ते के लिए निम्न बातें देखनी होंगी:

(ए) रिश्ते का समय;

(बी) साथ रहने वाली जगह की स्थिति और समय;

(सी) पक्षों के बीच आर्थिक निर्भरता या स्वतंत्रता और आर्थिक सहयोग के लिए किसी प्रकार का प्रबंध;

(डी) संपत्ति का स्वामित्व, इस्तेमाल और क्रियान्वन;

(इ) एक साझा जीवन के लिए साझी प्रतिबद्धता;

(एफ) घरेलू ज़िम्मेदारियों का निर्वहन;

(जी) रिश्ते का सार्वजनिक पहलू और प्रतिष्ठा;

(एच) एक दूसरे के द्वारा या किसी एक के द्वारा कितनी व्यक्तिगत देखभाल की जा रही है और कितना घरेलू सहयोग दिया जा रहा है

262 रिलेशनशिप एक्ट, 2003 (तस्मानिया); अवेलेबल एट:
<https://www.legislation.tas.gov.au/view/whole/html/asmade/act-2003-044>

263 सिटी ऑफ़ सोमरविल्ल आर्डिनेंस नंबर 2020-16, इन सिटी कौंसिल: जून 25, 2020: एन आर्डिनेंस एड्रिंङ प्रोविशंस रिगार्डिंग डोमेस्टिक पार्टनरशिप्स इन द सिटी ऑफ़ सोमरविल्ल; यहाँ देखें: https://library.municode.com/ma/somerville/ordinances/code_of_ordinances?nodeId=1028806

264 वही 80

265 द एंटी-डिस्क्रिमिनेशन बिल प्रोजेक्ट: <https://sites.google.com/site/tarunabh/Home/discrimination-law>

266 द इक्वलिटी बिल, 2019: <https://clpr.org.in/wp-content/uploads/2020/01/Equality-Bill-2021-8th-January-2021.pdf>

C-HELP | CENTRE FOR HEALTH
EQUITY, LAW & POLICY



Indian Law Society
Law College Road
Pune 411004
Maharashtra, India
www.c-help.org
contact@c-help.org